के.वि.वि.आ.

वार्षिक रिपोर्ट

2012-13

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2012–13

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी)

तृतीय एवं चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली – 110001

फोन नंः– +91 11 23353503 फैक्सः +91 11 23753923

वेबसाइटः www.cercind.gov.in

प्राक्कथन

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने पहले की तरह वर्ष 2012–13 के दौरान विद्युत क्षेत्र में सुधारों के लिए अपनी महत्वपूर्ण नेतृत्वकारी भूमिका का निर्वाह किया। आयोग ने ईंधन की अनिश्चितता एवं नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश की दीर्घकालिक निरंतरता के कारण ग्रिड सुरक्षा, क्षमता क्षेत्रों में विवेचनीय चुनौतियों के समाधान का कार्य किया।

30 और 31 जुलाई 2012 कों हुई ग्रिड की खराबी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। आयोग ने प्रयोज्यताओं के प्रभारी अधिकारियों को निदेश दिया कि वे आयोग के समक्ष उपस्थित हों और ग्रिड अनुशासन के उल्लंघन कर्त्ताओं के विरुद्ध कार्यवाहियां आरंभ की। आयोग द्वारा 49.5–50.2 एचजेड से 49.7–50.2 एचजेड तक संकीर्ण फ्रीक्वेंसी रेंज 17.9.2012 से प्रभावी हुआ। ग्रिड में विद्युत के कुशल, विश्वसनीय और मितव्ययी पारेषण को सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों के लिए कार्यनिष्पादन के मानक विनिर्दिष्ट किए।

उच्च मांग की पूर्ति के लिए उत्पादन को विकसित करने के प्रयास में आयोग ने भंडार आधारित स्टेशनों के अलावा हाइड्रो उत्पादनकारी स्टेशनों पर आधारित पम्प स्टोरेज को प्रोत्साहित करने के लिए टैरिफ विनियमों को संशोधित किया। 1% की दर पर इक्विटी पर अतिरिक्त रिटर्न इस प्रकार के संयंत्रों के लिए उपलब्ध करवाई गई। टैरिफ विनियमों में संशोधनों को पम्प स्टोरेज हाइड्रो उत्पादनकारी स्टेशनों के लिए टैरिफ निर्धारण हेतु उपबंधों में भी शामिल किया गया।

व्यापार अनुज्ञप्ति विनियमों की संभावना में विस्तार को देखते हुए केन्द्रीय आयोग ने भारत के अंदर पुनः बिक्री के लिए किसी अन्य देश से आयात की गई विद्युत के लिए एवं विद्युत के अंतरराज्यिक व्यापार के रूप में किसी अन्य देश को निर्यात की गई विद्युत के लिए अंतरराज्यिक व्यापार की परिभाषा का विस्तार किया। "उल्लंघन एवं दंड" के लिए प्रावधान को व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उल्लंघनों के विभिन्न उदाहरणों को देखते हुए आंरभ किया गया है।

नवीकरणीय ऊर्जा पर की गई पहल को आगे बढ़ाते हुए आयोग ने मौजूदा बुनियादी ढ़ांचे और पारेषण सुविधाओं के अधिकतम उपयोग के लिए ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत पर आधार 5 से 50 मैगावाट के बीच क्षमता को स्थापित करने के लिए अधिशेष भूमि वाले अंतरराज्यिक ग्रिड से संबद्ध मौजूदा उत्पादनकारी स्टेशनों को अनुमति देने के लिए कनैक्टीविटी विनियमों को संशोधित किया। आयोग ने एमएनआरई द्वारा संस्थापित कार्य दल प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के बाद 1.7.2013 से आरआरएफ मैकेनिज्म के कार्यान्वयन के लिए आदेश भी जारी किया।

आयोग ने विद्युत मंत्रालय द्वारा परिचालित केस–2/अल्ट्रा मैगा पावर प्रोजेक्ट के लिए ड्राफ्ट माडल पीपीए की जांच की और सरकार को सांविधिक सलाह दी जिसमें वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत की प्रतिस्पर्द्धात्मक प्राप्ति के विभिन्न मुद्दों के लिए दस्तावेज के परिष्कार हेतु आवश्यकता को रेखांकित किया गया।

आयोग अपने मार्किट मॉनिटरिंग कक्ष के माध्यम से विद्युत बाजार की गतिविधियों पर पूर्ण दृष्टि रखता रहा है। आयोग द्वारा विनियामक फोरम (एफओआर), भारतीय विनियामक फोरम (एफओआईआर) तथा दक्षिण एशियाई अवसंरचना विनियम फोरम(साफिर) की गतिविधियों के लिए संसाधन तथा सहायता प्रदान की जाती रही है।

आयोग आशा करता है कि उसे अपने उत्तरदायित्वों का पूरी तरह से निर्वाह करने में सभी स्टेकहोल्डरों का निरंतर सहयोग मिलता रहेगा।

विषय–वस्तु

1.	**आयोग**	1
2.	**मिशन विवरण**	3
3.	**2012–13 के दौरान आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का संक्षिप्त विवरण**	5
4.	**पूर्व वर्ष एक अवलोकन**	13
5.	**उपभोक्ताओं के लाभ तथा क्षेत्र के विकास के लिए विनियामक प्रक्रियाओं का निष्कर्ष**	17
5.1.	उपभोक्ताओं के फायदे	19
5.2.	क्षेत्र का विकास	19
6.	**विनियामक प्रक्रियाएं तथा कार्यवाहियां**	21
6.1.	विनियमों के लिए प्रक्रिया	23
6.2.	याचिकाओं से संबंधित आदेश के लिए प्रक्रिया	23
6.3.	टैरिफ अवधारण करने की प्रक्रिया और सिद्धांत	24
7.	**वर्ष 2012–13 के दौरान किए गए क्रियाकलाप**	25
7.1.	कानूनी कार्यवाहियां	27
7.2.	वर्ष 2012–13 के दौरान प्रमुख निर्णय/जारी किए गए विनियम	27
7.3.	विद्युत बाजार : व्यापार, पावर एक्सचेंज तथा निर्बाध पहुंच	29
	(I) अंतर–राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्तिधारी	29
	(II) पावर एक्सचेंज	30
	(III) बाजार निगरानी प्रकोष्ठ	31
	(IV) बोली मूल्यांकन और भुगतान के प्रयोजनार्थ संवर्धित कारकों तथा अन्य मानकों की अधिसूचना	32
7.4.	थर्मल उत्पादन	32
	1. टैरिफ निर्धारण	32
	2. आयोग द्वारा निपटाए गए अन्य मुद्दे	35

विषय–वस्तु

7.5.	हाइड्रो उत्पादन	37
7.6.	पारेषण	39
	क. पारेषण टैरिफ	39
	ख. ग्रिड नियंत्रण की मॉनिटरिंग एवं प्रवर्तन	39
	ग. गैर अनुसूचित अंतःपरिवर्तन भुगतान में चूक करने वाली प्रयोज्यताओं पर कार्रवाई	42
	घ. निर्बाध पहुंच का प्रवर्तन	45
	ङ. विविध याचिकाएं	46
7.7.	नवीकरणीय ऊर्जा	46
	1. विनियामक नवीकरणीय विनियामक निधि मैकेनिजम का कार्यान्वयन	46
	2. टैरिफ निर्धारण से संबंधित आदेश	48
7.8.	वर्ष के दौरान अन्य गतिविधियां	49
	(क) केंद्रीय सलाहकार समिति (सीएसी):	49
	(ख) विनियामक फोरम (एफओआर) की गतिविधियां	50
	(ग) भारतीय विनियामक फोरम (एफओआईआर) की गतिविधियां	51
	(घ) बुनियादी विनियम के लिए दक्षिण एशिया फोरम की गतिविधियां (साफिर)	51
	(ङ) सेमिनार/सम्मेलन/प्रशिक्षण/विनिमय कार्यक्रम	52
7.9.	भारत सरकार को सलाह	52
	(क) मामला 2/यूएमपीपी के लिए मानक बोली दस्तावेजों के पुनरीक्षण के संबंध में	52
8.	**वर्ष 2012–13 के दौरान जारी की गई अधिसूचनाएं**	53
9.	**वर्ष 2013–14 के लिए कार्य सूची**	57
10.	**लेखों की वार्षिक विवरणी**	61
11.	**आयोग का मानव संसाधन**	65

विषय–वस्तु

उपाबंध

I.	के.वि.वि.आ. के समक्ष फाइल की गई याचिकाओं की स्थिति (1.4.2012 से 31.3.2013)	71
II.	31.03.2013 को एनटीपीसी के उत्पादन केंद्रों की संस्थापित क्षमता तथा वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख	110
III.	दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के उत्पादन केंद्रों की संस्थापित क्षमता तथा प्रत्येक की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख	113
IV.	मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार एनटीपीसी, एनएलसी और नीपको केन्द्रीय थर्मल पावर स्टेशन के टैरिफ	114
V.	केंद्रीय क्षेत्र की हाइड्रो उत्पादन कंपनियों (एनएचपीसी, एनएचडीसी, नीपको, एसजेवीएनएल, टीएचडीसी तथा डीवीसी) की संस्थापित क्षमता	116
VI.	सीइआरसी की परिधि के अधीन हाइड्रो उत्पादन केंद्रों का संयुक्त टैरिफ	117
VII.	वर्ष 2013–14 के लिए नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ (रूपए/केडब्ल्यूएच)	118
VIII.	वित्त वर्ष 2012–13 में संगोष्ठियां/सम्मेलन/आदान–प्रदान कार्यक्रम (भारत के बाहर) जिनमें आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया)	121
IX.	वित्त वर्ष 2012–13 में (भारत में) कार्यक्रम जिनमें आयोग के अधिकारियों ने भाग लिया	123
X.	वर्ष 2012 –13 के लिए सं. परीक्षित वार्षिक लेखा	124
XI.	आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारियों के ई–मेल आईडी और दूरभाष नम्बर (31.03.2013 के अनुसार)	145
XII.	संगठन चार्ट	150

1 आयोग

विद्युत क्षेत्र के लिए स्वतंत्र विनियामक आयोग की परिकल्पना 1990 के दशक के प्रारंभ में उस समय की गई थी, जब 1994 में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री, श्री शरद पावर की अध्यक्षता में विद्युत संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद समिति ने "सार्वजनिक और निजी प्रतिष्ठानों की टैरिफ नीतियों को विनियमित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर स्वतंत्र व्यावसायिक टैरिफ बोर्डों का गठन" करने की सिफारिश की थी। समिति ने यह भी दोहराया था कि "टैरिफ बोर्डों से प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक राज्य के लिए समुचित विद्युत टैरिफो को तैयार करने के मामले में उच्च स्तर की व्यचावसायिकता आ सकेगी।"

विनियामक आयोग के गठन की आवश्यकता को 1996 में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में पुनः दोहराया गया। सम्मेलन में, अन्य बातों के साथ–साथ, विद्युत के लिए सामान्य न्यूनतम राष्ट्रीय कार्रवाई योजना की बात को व्यक्त करते हुए, यह सहमति हुई कि राज्य विद्युत बोर्डों में सुधार और पुनर्संरचना करना आवश्यक है तथा इनको एक निश्चित समय के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और इस दिशा में एक उपाय के रूप में विनियामक आयोग को बनाने की बात को समझा गया।

इस प्रकार, केंद्र तथा राज्यों में विनियामक आयोगों को बनाने के लिए विद्युत विनियामक आयोग (ईआरसी) अधिनियम, 1998 अधिनियमित किया गया।

1998 का अधिनियम, टैरिफ विनियमन से सरकार को अलग रखने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। अधिनियम में विद्युत टैरिफ सहायिकियों आदि के बारे में, पारदर्शी नीतियों के सुव्यवस्थीकरण के लिए केंद्र तथा राज्यों में विद्युत विनियामक आयोगों के लिए उपबंध किया गया। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन केंद्रीय सरकार ने जुलाई 1998 में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (के.वि.वि.आ.) का गठन किया। चूंकि, अब विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 को विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के उपबंधों के अधीन सृजित सीईआरसी को विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के रूप में मान्यता दी गई है।

आयोग अर्ध–न्यायिक हैसियत में कार्य करता है। इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है।। इसमें एक अध्यक्ष, तीन पूर्णकालिक सदस्य और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) के अध्यक्ष, पदेन सदस्य के रूप में शामिल है। स्वतंत्र विनियमन से संबंधित मुद्दों पर विचार करते समय, एक बहुविषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, अधिनियम यह विहित करता है कि अध्यक्ष और सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे, जिन्हें इंजीनियरी, विधि, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, वित्त अथवा प्रबंधन में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो। यह आयोग में निरूपित की जाने वाली विभिन्न विधाओं के एक व्यापक स्वरूप को भी निर्धारित करता है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अधिनियम में यथा विहित केंद्रीय सरकार द्वारा गठित चयन समिति की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अधिनियम एक सचिव की नियुक्ति के लिए भी उपबंध करता है, जो अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन कार्य करता है और जिसकी शक्तियां और कर्तव्य आयोग द्वारा परिभाषित किए जाते हैं।

विद्युत अधिनियम, 2003 ने केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के उत्तरदायित्व में एक महत्वपूर्ण अभिवृद्धि की है। विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अधीन केवल टैरिफ नियतन की शक्तियां ही केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग में निहित थी। 2003 की नई विधि के अधीन केंद्रीय विद्युत विद्युत विनियामक आयोग को टैरिफ नियतन की शक्तियों के अतिरिक्त विभिन्न अन्य उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं, अर्थात्, अनुज्ञप्ति प्रदान करने और परिणामस्वरूप लाइसेंस में संशोधन करने, उसे निलंबित करने और निरस्त करने की शक्तियां, अनुज्ञप्तिधारियों के लिए निष्पादन मानक बनाकर और उनका पालन सुनिश्चित करते हुए विनियमित करने की शक्तियां, आदि।

अधिदेश

जैसा विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा दायित्व सौपा गया है, आयोग निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी है :–

(क) केंद्रीय सरकार के स्वामित्व अथवा उसके द्वारा नियंत्रित उत्पादन कंपनियों के टैरिफ का विनियमन करना;

(ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट केंद्रीय सरकार के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा नियंत्रित उत्पादन कंपनियों से भिन्न उत्पादन कंपनियों के टैरिफ का विनियमन करना यदि ऐसी उत्पादन कंपनियां एक राज्य से अधिक राज्यों में विद्युत के उत्पादन और विक्रय के लिए संयुक्त स्कीम में शामिल होती है या अन्यथा उनकी ऐसी कोई संयुक्त स्कीम है;

(ग) विद्युत के अंतर–राज्यिक पारेषण को विनियमित करना;

(घ) विद्युत के अंतर–राज्यिक पारेषण के लिए टैरिफ अवधारित करना;

(ङ) किन्हीं व्यक्तियों को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और उनकी अंतर–राज्यिक संक्रियाओं की बाबत विद्युत व्यापारी के रूप में कृत्य करने के लिए अनुज्ञप्ति जारी करना;

(च) उपर्युक्त खंड (क) से खंड (घ) तक से संसक्त विषयों के संबंध में उत्पादन कंपनियों या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को अंतर्वलित करने वाले विवादों का न्यायनिर्णयन करना तथा मध्यस्थता के लिए किसी विवाद को निर्दिष्ट करना;

(छ) अधिनियम के प्रयोजनों के लिए फीस उदगृहीत करना;

(ज) ग्रिड मानकों को ध्यान में रखते हुए, ग्रिड कोड विनिर्दिष्ट करना;

(झ) अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता की बाबत मानकों को विनिर्दिष्ट और प्रवृत्त करना;

(ञ) विद्युत के अंतर–राज्यिक व्यापार में, यदि आवश्यक समझा जाए, व्यापार अंतर को नियत करना;

(ट) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो अधिनियम के अधीन समनुदेशित किए जाएं।

(ठ) केंद्रीय सरकार को निम्नलिखित पर सलाह देना

(i) राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति बनाना;

(ii) विद्युत उद्योग के क्रियाकलाप में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और मितव्ययिता का संवर्धन करना;

(iii) विद्युत उद्योग में विनिधान का संवर्धन; और

(iv) केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय आयोग को निर्दिष्ट कोई अन्य विषय।

2 मिशन विवरण

आयोग की थोक विद्युत बाजारों में प्रतिस्पर्धा, कार्यकुशलता और मितव्ययता को बढावा देने, सप्लाई की गुणवत्ता में सुधार करने, मांग आपूर्ति के अंतर, जिससे ग्राहकों के हितों का सम्पोषण हो, को पाटने के लिए संस्थागत बाधाओं को दूर करने के संबंध में सरकार को सलाह दने की योजना है। इन उद्देश्यों के अनुसरण में, आयोग का उद्देश्य :–

- भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (आईईजीसी), उपलब्धता आधारित टैरिफ (एबीटी) के माध्यम से क्षेत्रीय पारेषण प्रणालियों के प्रचालन और प्रबंधन में सुधार करना,
- एक कारगर टैरिफ निर्धारण तंत्र को तैयार करना जिससे थोक विद्युत और पारेषण सेवाओं की कीमत के संबंध में मितव्ययिता और कार्यकुशलता और न्यूनतम लागत पर निवेश सुनिश्चित होगा,
- अंतर–राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच को सुकर बनाना
- अंतर–राज्यिक व्यापार को सुकर बनाना
- सभी पणधारियों के लिए जानकारी देने में सुधार लाना,
- थोक ऊर्जा तथा पारेषण सेवाओं में प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के विकास के लिए अपेक्षित तकनीकी तथा संस्थानिक परिवर्तनों को सुकर बनाना,
- प्रतिस्पर्धात्मक बाजारों के सृजन के प्रथम उपाय के रूप में, पर्यावरणीय, सुरक्षा तथा विद्यमान विधायी अपेक्षाओं की सीमा के भीतर पूंजी तथा प्रबंधन के लिए प्रवेश तथा निकासी की बाधाओं के संबंध में सलाह देना।

मार्गदर्शक सिद्धांत

मिशन विवरण और इसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आयोग का मार्गदर्शन निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा किया जाता है:

- सभी पणधारियों (स्टेक होल्डरों) के प्रति पारदर्शी और निष्पक्ष रहते हुए उपभोक्ता और आपूर्तिकर्ताओं के हितों सहित समाज के हित का संरक्षण,
- पक्षकारों को सुने जाने के पर्याप्त और समान अवसर दिए जाने के पश्चात् याचिकाओं के माध्यम से इसके समक्ष लाए गए विवाद समाधान में निष्पक्ष रहना।
- एक ओर विचारों में संगत रहते हुए, विनियामक निश्चितता बनाए रखना और दूसरी ओर उभरते हुए विद्युत क्षेत्र में खुले मन से परिवर्तनों को अंगीकार करना,
- यह सुनिश्चित करने के लिए अपने विनियम बनाने में पणधारी परामर्श और भागीदारी प्रक्रिया अपनाना जिससे कि विनियम यथासंभव पणधारियों की आशाओं के अनुरूप हों,
- विनियामक और बाजार आधारित तंत्र का प्रयोग करते हुए विद्युत क्षेत्र में स्रोतों का अनुकूल आबंटन सुनिश्चित करना,
- विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय स्रोतों के संवर्धन द्वारा कायम रखने योग्य विकास को प्रोत्साहित करना।

3

वर्ष 2012–13 के दौरान आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का संक्षिप्त विवरण

डॉ. प्रमोद देव

अध्यक्ष

(9 जून, 2008 से कार्यभार ग्रहण किए हुए हैं)

डॉ. प्रमोद देव ने 9 जून, 2008 को केंद्रीय विनियामक आयोग के सदस्य के रूप में पद भार ग्रहण किया। डॉ. प्रमोद देव भारत में सबसे अधिक लम्बे समय से विद्युत विनियामक से जुड़े हुए हैं। डॉ देव 29 अप्रैल, 2002 को एमईआरसी के सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया। डॉ. देव को 11 फरवरी, 2005 को अध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया गया।

डॉ. देव को ऊर्जा नीति विशेषज्ञ के साथ–साथ क्षेत्र में 30 वर्षों का अनुभव है। एमईआरसी में पदभार ग्रहण करने से पूर्व, डॉ. देव को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) का 30 वर्षों का अनुभव है जिसमें 20 वर्ष का अनुभव ऊर्जा क्षेत्र में नीति तथा परियोजना प्रबंधन के दोनों स्तरों में है। इन्होंने भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार के ऊर्जा विभाग में कार्य किया है। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विद्युत संबंधी यूएनईपी रिसोर्स केंद्र, जलवायु तथा धारणीय विभाग (यूआरसी), डेनमार्क तथा एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान (एआईटी) बैंकाक में कार्य किया है।

केन्द्रीय विद्युत विनियामक के अध्यक्ष के रूप में, इन्होंने लागत आधारित विनियम से प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तैयार करके निजी क्षेत्र द्वारा निवेश को सुकर बनाने के लिए आयोग के आंरभिक कार्यों को आगे बढ़ाने में एक प्रेरक के रूप में कार्य किया है। आयोग का अब मुख्य कार्य पर्याप्त ग्रिड संवर्धन से ऊर्जा बाजार का विकास, ग्रिड के लिए अविभेदकारी निर्बाध पहुंच को सुकार बनाना, तथा कठिन, ग्रिड अनुशासन को लागू करना है।

इससे पूर्व, इन्होंने उपयोगिता टैरिफ संबंधी एमईआरसी के आदेश, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा तथा "पूना माडल" में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया जो कि पहचाने गए क्षेत्रों में विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए उपभोक्ताओं की संदाय करने की इच्छा को अभिनिश्चित करने के पश्चात्, व्यर्थ कैप्टिव क्षमता पर आधारित व्यस्ततम उत्पादन के उपयोग पर आधारित है।

इन्होंने पांच वर्ष (1993–98) तक डेनमार्क में अवस्थित ऊर्जा, जलवायु तथा धारणीय विकास (यूआरसी) संबंधी यूएनईपी रिसोई केंद्र में वरिष्ट ऊर्जा अर्थशास्त्री के रूप में कार्य किया है। इसका उद्देश्य यूएनईपी से समर्पित केंद्र में विकासशील देशों में ऊर्जा योजना तथा नीति में पर्यावरणीय पहलुओं को सम्मिलित करना था।

डॉ. देव क्रमशः नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता का संवर्धन करने के लिए स्थापित राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के ऊर्जा संस्थानों, अर्थात् महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी (1986–88) तथा ऊर्जा प्रबंधन केंद्र (1989–1993) के संप्रवर्तक निदेशक थे। अंततः नई विधि के कार्यान्वयन के लिए एक कानूनी निकाय ब्यूरों ऑफ एनर्जी एफिसियेंसी (बीईई) को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अधीन, उन्नत किया गया है।

भौतिक शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त डॉ. देव ने अवसंरचना अर्थशास्त्र में डाक्टरेट की है तथा इन्होंने ऊर्जा नीति तथा अर्थशास्त्र में पोस्टडाक्टरेट अनुसंधान किया है। ये ऊर्जा योजना, ऊर्जा प्रबंधन तथा विनियामक पद्धति संबंधी तीन पुस्तकों के सह–लेखक भी हैं।

डॉ. देव ने पवन ऊर्जा के प्रचार में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए विश्व पवन ऊर्जा संगम से विश्व पवन ऊर्जा पुरस्कार, 2005 से सम्मानित किया गया है।

श्री एस. जयरमण
सदस्य
(11 सितम्बर 2008 से से कार्यभार ग्रहण किए हुए हैं)

श्री जयरमण मद्रास विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक है तथा ये भारतीय लागत तथा लेखा संकर्म संस्थान के अध्येता सदस्य हैं। 10 मई, 1948 को जन्में श्री जयरमण के पास सरकार तथा सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में 35 वर्ष से अधिक का अनुभव है तथा इन्होंने वित्त और प्रबंधन, दोनों में, अनेक प्रकार के कार्य किए हैं जिनमें से 20 वर्ष तक इन्होंने बोर्ड स्तर की जिम्मेदारियों निभाई हैं।

इन्होंने नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालकों) में अपना वरिष्ठ स्तर का पद धारण किया जहां इन्होंने विभिन्न हैसियतों में अनेक सफलतापूर्वक कार्य किए है जिससे 40 वर्ष की युवावस्था में 1988 खनिज अन्वेषण विकास निगम लिमिटेड (एमईसीएल)(सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी) के निदेशक (वित्त) के लिए इनका मार्ग प्रशस्त हो गया। उसके पश्चात् इन्होंने वर्ष 1993 में निदेशक (वित्त) के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनएमडीसी में पदभार ग्रहण किया। इन्होंने 1998 में नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड में निदेशक (वित्त) के रूप में पदभार ग्रहण किया तथा तत्पश्चात् इन्हें 1.7.2002 से 31.5.2008 तक नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

उच्च प्रबंधन दल के भाग के रूप में, श्री जयरमण वस्तुगत तथा वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति के उद्देश्य से समुचित लक्ष्य तय करने व योजना बनाने, परियोजनाओं के लिए हर प्रकार के मार्गदर्शन तथा सहायता में सहबद्ध रहे। इन्होंने दीर्घ–कालिक कारपोरेट योजना, विस्तृत विनिधान योजना, वार्षिक योजना आदि को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

इनके पास औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा निगमित स्तरों का उत्तम ज्ञान हैं। इनके पास वृहत् खनन तथा बिजली परियोजनओं को तैयार करने तथा ऐसी परियाजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने में काफी अनुभव रहा है। इनके पास वृहत संगठनों को प्रशासित करने का काफी लम्बा अनुभव है।

इन्होंने यूनाइटेड किंगडम में विख्यात संस्थान, मैनेजमेंट कालेज, हिंले ऑन थॉमस, हिनले द्वारा संचालित कार्यनीतिक प्रबंधन कार्यक्रम में भाग लिया। इन्होंने वित्तीय प्रबंधन, प्रबंधन लेखाकन, विदेशी विनिमय, डब्ल्यूटीओ आदि जैसे विषयों पर अपने कैरियर के प्रारंभ में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी भाग लिया है।

इन्होंने अनेक देशों का भ्रमण किया जिनमें यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, फ्रांस, मारीशस, सिंगापुर, मलेशिया, जापान, हांककांग, जर्मनी सम्मिलित हैं।

श्री वी. एस. वर्मा
सदस्य
(23 फरवरी, 2009 से पदासीन)

श्री वी.एस.वर्मा देश में थर्मल ऊर्जा तथा उत्पादन क्षमता के लिए योजना के क्षेत्र में एक सुविदित विशेषज्ञ हैं। श्री वर्मा ने वर्ष 1971 में आईआईटी रूड़की (तत्कालीन रूड़की विश्वविद्यालय) से यांत्रिक इंजीनियरिंग में स्नातक की शिक्षा पूरी की तथा इन्होंने वर्ष 1975 में रूड़की से यांत्रिक इंजीनियरिंग से एप्लाइड थर्मोसाइंस से मास्टर डिग्री प्राप्त की। इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से बीएससी भी की तथा जो अब एफआईई के नाम से ज्ञात है। श्री वर्मा ने 23 फरवरी, 2009 के पूर्वाह्न को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया। सीईआरसी में सदस्य का पदभार ग्रहण करने से पहले श्री वर्मा, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में सदस्य (योजना) तथा भारत सरकार के पदेन अपर–सचिव के पद पर थे। श्री वर्मा थोड़े समय के लिए सीईए में सदस्य (हाइड्रो) के पद पर भी कार्य किया। गत हाल में, ये तीन वर्ष के लिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के महानिदेशक भी रहे।

श्री वर्मा 1971 बैच के केंद्रीय पावर इंजीनियरिंग सेवा के संबंधित है। सीईए में विभिन्न विरचनाओं में विद्युत क्षेत्र में 36 वर्ष की लम्बी सेवा में, श्री वर्मा ने योजना, थर्मल पावर प्लांट इंजीनियरिंग, बिजली परियोजना, निगरानी परियोजना निर्माण, पर्यवेक्षण, प्रचालन मॉनीटरिंग, मानव संसाधन विकास, ग्रिड प्रचालन विद्युत संयत्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण एवं अन्य नीतिगत क्षेत्रों में व्यापक तथा बहुमूल्य अनुभव अर्जित किया। बिजली की योजना, भार पूर्वानुमान, संरक्षण तथा दक्षता, राष्ट्रीय विद्युत योजना, सीडीएम, बेसलाइन डाटा आदि सदस्य (योजना), सीडीए के रूप में उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां थी। श्री वर्मा ने विद्युत क्षेत्र में ईंधन प्रबंधन, अनुसंधान एवं विकास तथा आईटी के क्षेत्र की देखरेख की। श्री वर्मा ने देश की विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण, मानक तथा लेवलिंग तथा ऊर्जा दक्षता का संवर्धन करने के लिए महत्वपूर्ण पहल की।

श्री वर्मा ने सरकार द्वारा गठिन विभिन्न समितियों की अध्यक्षता की जिसमें नेशनल मिशन ऑफ एनहान्सड एनर्जी एफिसिएंसी के अधनी जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई योजना संबंधी कार्यकारी समूह, उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए कार्रवाई योजना की विरचना के लिए कार्यदल, लद्दाख, जम्मू–कश्मीर के पुगा जियो थर्मल क्षेत्रों में जियो–थर्मल आधारित संभावित ऊर्जा उत्पादन का अध्ययन करने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएन–आरई) द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति, ग्यारहवीं योजना के लिए बिजली क्षेत्र के अनुसंधान तथा विकास का कार्यकारी समूह, 17वें विद्युत सर्वेक्षण समिति तथा अन्य, योजना आयोग द्वारा गठित ग्यारहवीं योजना के लिए विद्युत संबंधी कार्यकारी समूह के सदस्य–सचिव, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 50,000 मेगावाट हाइड्रो बिजली में एक अग्रिम भूमिका अदा की। इन्होंने भारतीय विद्युत क्षेत्र में सीओ2 बेसलाइन डाटा के प्रकाशन तथा प्रचालन की दक्षता को अनुकूल बनाने के लिए देश में थर्मल विद्युत केंद्रों की मैपिंग की भी अगुवाई की।

श्री वर्मा योजना आयोग द्वारा गठित विद्युत क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास संबंधी स्थायी समिति के सदस्य रहे हैं तथा इनके नेतृत्व में व्यापाक अनुसंधान तथा विकास परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की गई। श्री वर्मा ने विभिन्न शासकीय कार्यों के लिए यूके, यूएसए, यूएसएसआर और वियतनाम, कीनिया, गुयाना, नाइजीरिया, पोलैंड, ब्रूसेल्स तथा जर्मनी का दौरा किया है। इन्होंने बिजली संबंधी विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संमिनारों तथा कर्यशालाओं में विद्युत क्षेत्र से

संबंधित 50 से अधिक तकनीकी पेपरों को प्रकाशित किया तथा उन्हें प्रस्तुत किया। श्री वर्मा उत्पादन तथा पारेषण क्षमताओं के अनुकूलतम उपयोग, ऊर्जा का अंतर–राज्यिक तथा अंतर–प्रादेशिक विनिमय, उत्पादन अनुसूचीकरण तथा लेखांकन आदि से संबंधित पूर्वी क्षेत्रीय बोर्ड में बिजली प्रणाली मॉनीटरिंग तथा ग्रिड प्रचालन के लिए उत्तरदायी रहे। श्री वर्मा ने दो वर्ष तक पावर सिस्टम ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट तथा हाट लान ट्रेनिंग सेंटर पर मानव संसाधन प्रबंधन विकास तथा प्रणाली प्रबंधन का संचालन किया। श्री वर्मा को केंद्रीय सिंचाई तथा विद्युत बोर्ड तथा भोपाल प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा आजीवनकाल उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

श्री वर्मा केंद्रीय विद्युत अंनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केंद्र, दामोदर घाटी निगम आदि जैसे विभिन्न संस्थानों के शासी परिषद/निदेशक बोर्ड में भी रहे हैं।

श्री एम. दीन दयालन
सदस्य
(4 मार्च, 2010 से पदासीन हैं)

श्री एम. दीन दयालन (जन्म तिथि 22 फरवरी, 1950) के पास भारत सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्य करने का 37 वर्षों से अधिक का अनुभव है।

श्री दयालन ने अपने जीवन की शुरूआत क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, त्रिचिरापल्ली, तमिलनाडु (1972) में रसायन विज्ञान के व्याख्याता के रूप में की और फिर इंडियन बैंक, जो एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, में पदभार ग्रहण किया जहां इन्होंने विभिन्न पदों पर लगभग 6 वर्ष तक सेवा की। इसके बाद उन्होंने भारत सरकार में प्रवेश किया और 1978 में भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा में शामिल हो गए। श्री दयालन ने राज्यों और उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा एवं लेखा देखरेख के मध्यम व वरिष्ठ प्रबंधन स्तरों पर विभिन्न पदों पर कार्य किया।

विशेष रूप से श्री दयालन ने हरियाणा और केरल में महालेखाकार के पद पर सेवा की है। इन्होंने दूरसंचार विभाग में महाप्रबंधक (वित्त) के पद पर कार्य किया है और इसे बीएसएनएल के रूप में निगम बनाए जाने के दौरान कार्य किया है। इन्होंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण, प्रशासन तथा राज्य राजस्व विभाग की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के प्रभारी निर्देशक के पद पर सेवा की है।

गत 6 वर्षों से श्री दयालन वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार रहें हैं, जिसमें सभी विभाग, अर्थात् राजस्व, व्यय, आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवा एवं विनिवेश विभाग तथा प्रधानमंत्री कार्यालय तथा मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा, राज्य सभा तथा उच्चतम न्यायलय सहित विधि विभाग शामिल हैं। वे 1994 से भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समतुल्य पद और 2006 से अपर सचिव के पद पर आसीन रहे हैं।

श्री दयालन ने सिंडीकेट बैंक में सरकार के नामिती निदेशक, पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण के बोर्ड के अंशकालिक सदस्य तथा भारतीय सुरक्षा मुद्रण एवं टकसाल निगम में सरकार के नामिती निदेशक के रूप में कार्य किया है। श्री दयालन गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के अपील प्राधिकरण के सदस्य के रूप में कार्य करते रहे हैं।

श्री दयालन रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर तथा लीड्स विश्वविद्यालय, यूके से कारपोरेट वित्त में एमबीए की उपाधि से सम्मानित हैं।

श्री दयालन को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयार्क में संयुक्त रांष्ट्र संघ तथा हनोई वियतनाम स्थित संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग की लेखापरीक्षा में विविध एवं व्यापक अनुभव है।

श्री दयालन सरकारी सेवा से 26 फरवरी, 2010 को सेवानिवृत्त हुए।

4

पूर्व वर्ष : एक अवलोकन

4 पूर्व वर्ष : एक अवलोकन

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने विद्युत अधिनियम 2003 द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए विद्युत क्षेत्र में सुधार को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान अनेक महत्वपूर्ण पहल की है।

ग्रिड अनुशासन लाने के उद्देश्य से आयोग ने वर्ष वित्तीय वर्ष 2011–12 में फ्रिक्वेंसी के सननियमों को कड़ा किया तथा प्रचालन की अनुज्ञेय फ्रिक्वेंसी बैंड को 50.2 एचजेड 49.5 एचजेड से 50.2 एचजेड 49.7 एचजेड किया। नई अनुज्ञेय फ्रिक्वेंसी सननियम 17.9.1912 से प्रभावी हुआ। जुलाई, 2012 में दो ग्रिड असफलता से आयोग के लिए नई चुनोतियां सामने आई। इस मामले में आयोग ने अधिनियम और ग्रिड कोड के प्रावधानों तथा आयोग के दिशा निर्देशों के गैर अनुपालन के लिए दंड लगाने के लिए उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर राज्यों के एसटीयू/एसएलडीसी के प्रभावी अधिकारियों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 142 के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ की। आयोग ने ग्रिड गैर अनुशासन के मामलों में बढ़ी संख्या में ईकाईयों पर दिशानिर्देशों के गैर अनुपालन के लिए दंड भी लगाए।

नियंत्रण अवधि 2009–14 के लिए टैरिफ नियमों में आयोग ने उच्च सहायता प्रदान करने के लिए हाइड्रो पावर संयत्रों के प्रोत्साहन के लिए विनियामक फ्रेमवर्क निर्धारित किया। इस पहल को आगे ले जाते हुए आयोग ने हाइड्रों जनेटिंग केन्द्रों पर आधारित पंप स्टोरेज को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से टैरिफ विनियमों को संशोधित किया चूंकि वे बहुमूल्य उच्च सहायता प्रदान करत` है। 1 प्रतिशत की दर पर इक्विटी पर अतिरिक्त रिटर्न इस प्रकार के संयत्रों के लिए उपलब्ध करवाई गई। संशोधित विनियमों में पंप स्टोरेज हाइड्रो जनरेटिंग केंद्रों के लिए टैरिफ के निर्धारिण की व्यवस्था भी की गई। पारदर्शिता लाने के लिए थर्मल उत्पादन कंपनी को विनियमों में यह अधिदेश दिया गया कि वह हिताधिकारियों से सकल क्लॉरिफिक मूल्य के मानदंडों के ब्यौरे एवं विभिन्न स्रोत्रों से ईधन की कीमत के ब्यौरों को शेयर करें, घरेलु कोयला इत्यादि अयातित कोयले के अनुपात के बारे में भी शेयर करें। टैरिफ विनियमों को इसलिए भी संशोधित किया गया ताकि उत्पादनकारी कंपनियों तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अदा विभिन्न फीस तथा प्रभारों के प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जा सके।

आयोग ने अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तियों के लिए कार्यनिष्पादन के मानदंडों को भी विनिर्दिष्ट किया ताकि ग्रिड में विद्युत के कुशल, विश्वसनीय और किफायती पारेषण को सुनिश्चित किया जा सके। एसओपी विनियमों में पारेषण प्रणाली के विभिन्न सघंटकों के लिए घटकवार उपलब्धता मानदंडो को विनिर्दिष्ट किया गया है और मानदंडों में यथाविनिर्दिष्ट अधिक समय लेने वाले मानदंडो से कम के घटक की उपलब्धता की स्थिति में प्रभावित व्यक्तियों के लिए क्षतिपूर्ति को भी विनिर्दिष्ट किया गया है।

व्यापार अनुज्ञप्ति विनियमों में संशोधनों के माध्यम से आयोग ने विद्युत की अंतरराज्यिक व्यापार के रूप में किसी अन्य देश को निर्यात की गई विद्युत तथा भारत के अंदर पुनर्बिक्री के लिए किसी अन्य देश से आयातित विद्युत को मान्यता देने के लिए 'अंतरराज्यिक व्यापार' की परिभाषा को विस्तार प्रदान किया। इसे कंपनी के मैमोरेंडम ऑफ एसोशियसन में एक उद्देश्य के रूप में 'विद्युत में व्यापार' रखने वाले व्यापार अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने वाली कंपनी के लिए अधिदेश दिया गया है। 'उल्लंघन एवं दंड' के लिए प्रावधानों की शुरुआत की गई है ताकि व्यापार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उल्लंघनों के विभिन्न उदाहरणों का पता लगाया जा सके।

संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास को ध्यान में रखते हुए आयोग ने अधिशेष भूमि रखने वाले अंतरराज्यिक ग्रिड से संबद्ध मौजूदा उत्पादनकारी केंद्रों को अनुमति के लिए कनैक्टीविटी विनियमों को संशोधित किया ताकि मौजूदा बुनियादी ढांचे और अंतरसंबंधन और पारेषण सुविधाओं के साथ नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादनकारी केंद्रो को सहस्थित करते हुए उन्ही परिसरों में ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत्रो पर आधारित 5 मैंगावाट के 50 मैगावाट के बीच क्षमता को स्थापित किया जा सके। मौजूदा उत्पादनकारी केंद्रो को नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनकारी केंद्र के मूल उत्पादक के रूप में कार्य करना अपेक्षित होगा और उसे आयोग के ग्रिड कोड और अन्य विनियमों का पालन करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनकारी केंद्र के लिए सभी परिचालनगत और

वाणिज्यिक उत्तरदायित्वों के लिए और उनके बीच करार को औपचारिक करना अपेक्षित होगा।

नवीकरणीय विनियामक निधि (आरआरएफ) मैकेनिज्म के सुचारू रूप से कार्यान्वयन के लिए आयोग ने एमएनआरई को निदेश दिया की वे अनुसूचीकरण पवन ऊर्जा के संबंध में स्टेकहोल्डरों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान करें। कार्यदल की रिपोर्ट के आधार केविविआ ने 1.7.2013 से आरआरएफ मैकेनिज्म के कार्यान्वयन के लिए 16.1.2013 को आदेश जारी किए। आयोग ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोगों के निर्देशों के अनुसार 'नवीकरणीय विनियामक निधि के मैकेनिज्म के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया' के अनुरूप तथा तेजी से आयोग के अनुमोदन के लिए संशोधित क्रियाविधियों को प्रस्तुत करने के लिए एनएलडीसी को निर्देश दिया। जैसाकि आरईटैरिफ विनियम 2012 में अधिदेश दिया गया है आयोग ने 28.2.2013 के आदेश के माध्यम से नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2013–14) के लिए आरई परियोजनाओं के लिए जनेरिक परियोजनओं को निर्धारित किया।

आयोग विनियामक फोरम (एफओआर), भारतीय विनियामक फोरम (एफओआईआर) तथा साफिर को सचिवीय सेवाएं प्रदान करता है। विनियामक फोरम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता के अंतर्गत विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत समाविष्ट निकाय है। राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के अध्यक्ष विनियामक फोरम के सदस्य हैं। फोरम ने वर्ष के दौरान 7 बैठके आयोजित की और कई विवेचनीय मुद्दों पर सर्वसम्मति प्राप्त की। फोरम की पहल नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में रही जहां फोरम ने नवीकरणीय क्षमता के लिए पारेषण योजना पर अध्यन आयोजित किए और नवीकरणीय क्रय बाध्यता लक्ष्यों के लिए राज्यों हेतु प्रोत्साहन ढ़ांचा विकसित किया।

वर्ष के दौरान आयोग ने भारत सरकार को केस–2/अल्ट्रा मैगा पावर परियोजनाओं के लिए मॉडल विद्युत क्रय करार (पीपीए) पर आयोग के अभिमतों पर विचार के लिए सांविधिक परामर्श प्रदान किया जिसे विद्युत की प्रतिस्पर्द्धात्मक प्राप्ति के लिए मॉडल मानक बोली दस्तावेजों को अंतिम रूप देते हुए विद्युत मंत्रालय द्वारा परिचालित किया गया।

भारतीय विनियामक फोरम (एफओआईआर) एक सोसायटी है जिसे विद्युत, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विनियामकों से प्रतिनिधित्व सहित वर्ष, 1999 में निर्मित किया गया था। यह विनियामक क्रियाविधि और पद्धतियों में बढ़ते मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध करवाता है ताकि भारत में विनियामकों के समक्ष चुनोतियों का पूरा करने के लिए सामान्य रणनीतियां विकसित की जा सके और सूचना तथा अनुभवों को शेयर किया जा सके। भारतीय विनियामक फोरम के सदस्यों में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड(पीएनजीआरबी), हवाई अड्डा आर्थिक विनियामक अधिकरण(एईआरए) भारतीय प्रतिस्पर्द्धात्मक आयोग (सीसीआई) एवं बड़े पोर्टो के टैरिफ अधिकरण (टीएएमपी), विनियमन एवं प्रतिस्पर्द्धा कट्स संस्थान एवं एनर्जी तथा संसाधन संस्थान (टीईआरआई)के सदस्य शामिल हैं एवं केविविआ द्वारा भारतीय विनियामक आयोग को सचिवीय सेवाएं दी जाती हैं। भारतीय विनियामक फोरम ने मानव शक्ति अपेक्षा पर कई महत्वपूर्ण अध्ययन आयोजित किए जिसमें विनियामक स्टाफ के लिए क्षतिपूर्ति पेकैज भी शामिल है और विनियामक अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए फ्रेमवर्क का भी सुझाव दिया।

साफिर दक्षिण एशियन देशों का आधारभूत संरचना विनियामको का एक फोरम है जो 1999 से अस्तित्व में रहा है। साफिर के सचिवालय के रूप में केविविआ ने मुबंई ने सितंबर 2012 में आधारभूत संरचना सम्मेलन आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। इन्फ्रास्ट्रक्चर विनियम एवं सुधारों पर कोर पाठ्यक्रम श्रीलंका में आयोजित किया गया था।

5

उपभोक्ताओं के लाभ तथा क्षेत्र के विकास के लिए विनियामक प्रक्रियाओं का निष्कर्ष

5 उपभोक्ताओं के लाभ तथा क्षेत्र के विकास के लिए विनियामक प्रक्रियाओं का निष्कर्ष

5.1 उपभोक्ताओं के लाभ

केविविआ के मार्गदर्शक सिद्धान्तों में से एक नागरिक समाज के हितों की रक्षा करना है जिनमें वे उपभोक्ता तथा प्रदायकर्त्ता शामिल है जो सभी स्टेक होल्डरों के प्रति उचित और पारदर्शी और तटस्थ रवैया अपनाते हैं उपभोक्ताओं के हितों के सुरक्षा उपायों के लिए केविविआ द्वारा शुरू की गई पहल निम्नानुसार है÷

(क) हरित सुरक्षा के लिए हरित ऊर्जा

- हरित ऊर्जा उत्पादन का संवर्द्धन। जलवायु परिवर्तन के प्रति ऊर्जा सुरक्षा तथा सुरक्षा उपाय को सुनिश्चित करने के लिए अंतिम उद्देश्य के साथ किया गया है।
- संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए मौजूदा थर्मल उत्पादनकारी केन्द्रों के परिसरों में नवीकरणीय ऊर्जा सोत्रों पर आधारित उत्पादन के स्थापना को सरल बनाने के लिए प्रावधान किए गए।

(ख) ऊर्जा की गुणवत्ता

- ग्रिड सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्रिड फ्रीक्वेसी बैंड का कडा करना और फ्रीक्वेंसी की परिचालनात्मक रैंज को संकीण करना।
- ग्रिड अनुशासन के लिए निवारक के रूप में अननुसूचित अंतपरिवर्तन प्रभारों को बढ़ाना। ग्रिड अनुशासन के लिए पारेषण प्रयोज्यता/भार प्रेषणकर्ताओं के प्रभारी व्यक्तियों को उत्तरदायित्व देना।
- सभी स्टेक होल्डरों द्वारा ग्रिड फ्रीक्वेंसी मानदंडो का पालन करने से उपभोक्ताओं को ऊर्जा की बेहतर क्वालिटी मिलेगी।
- अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों के कार्यनिष्पादन के मानक।
- ग्रिड परिचालन में सुधार के लिए नवीकरणीय विनियामक निधि मैकेनिज्म और ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा के समेकन को बढ़ाना।

(ग) अल्पकालीन कीमत गिरता हुआ रूझान

- अल्पकालिक बाजार में व्यापार की मात्रा में वृद्धि।
- अल्पकालिक बाजार में संव्यवहार की गई विद्युत की कीमतों में गिरता हुआ रूझान।

(घ) निर्बाध पहुंच

- अंतरराज्यिक पारेषण नेटवर्क के लिए गैर विभेदककारी पहुंच के अवरोध को कार्रवाई करके हटाकर निर्बाध पहुंच को सरल बनाना।
- 1000 से अधिक उपभोक्ताओं ने पावर एक्सचैंज मे निर्बाध पहुंच के माध्यम से विद्युत का क्रय करने के लिए रिपोर्ट की।

5.2. क्षेत्र का विकास

क्षेत्र के विकास के लिए आयोग द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार है

(क) हरित ऊर्जा का संवर्द्धन

- मौजूदा बुनियादी ढांचा तथा संबद्ध अंतःकनैक्शन एवं पारेषण सुविधाओं वाली अधिशेष भूमि वाले अंतरराज्यिक ग्रिड से संबद्ध मौजूदा थर्मल उत्पादनकारी केन्द्रों के परिसरों में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित 5 मैगावाट से 50 मैगावाट के बीच क्षमता के स्थापन की अनुमति दी गई।

(ख) पीकिंग ऊर्जा का संवर्द्धन

- पंप स्टोरेज हाईड्रो उत्पादन के लिए टैरिफ निर्धारित हेतु मानदंड
- हाइड्रो उत्पादनकारी केन्द्रों पर आधारित पंप स्टोरेज के लिए 1 प्रतिशत की दर पर इक्विटी पर अतिरिक्त रिटर्न।

(ग) ग्रिड अनुशासन

- आयोग के लिए ग्रिड सुरक्षा चिंता का विषय है।
- फ्रीक्वैंसी बैंड का कडा करके ग्रिड परिचालन में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास।

- अधिक निकासी को हत्तोसाहित करने के लिए उच्चतर यूआई प्रभार।
- यह संदेश देना की यूआई का प्रयोग विद्युत में व्यापार के लिए व्यापार करने के मार्ग के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
- ग्रिड अनुशासन के उल्लंघन कर्त्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई।
- ग्रिड अनुशासन में सुधार के लिए आरआरएफ मैंकेनिज्म के कार्यान्वन को बढ़ावा देना।
- इन सभी पहलुओं का उद्देश्य ग्रिड के परिचालन को सुनिश्चित करने को सरल बनाना है जो कि सभी स्टेक होल्डरों, उत्पादकों, प्रदायकत्ताओं तथा उपभोक्ताओं के हित में है।

(घ) अल्पकालिक बाजार विकास

- भारत के अंदर पुनः बिक्री के लिए किसी अन्य देश से आयातित विद्युत का पता लगाने के लिए तथा विद्युत के अंतरराज्यिक व्यापार के रूप में किसी अन्य देश को निर्यात की गई विद्युत का पता लगाने के लिए 'अंतरराज्यिक व्यापार' की परिभाषा को संशोधित किया।
- अल्पकालिक बाजार में उत्पादकों, व्यापारियों तथा निर्बाध पहुंच उपभोक्ताओं की सहभागिता में वृद्धि करना।
- अवधि में संव्यवहारों की मात्रा में वृद्धि।
- अधिशेष विद्युत तथा कमी वाले राज्यों के बीच विद्युत का अधिकतम उपयोग।
- कीमतों में कमी की प्रवृति।

6

विनियामक प्रक्रियाएं तथा कार्यवाहियां

6 विनियामक प्रक्रियाएं तथा कार्यवाहियां

केंद्रीय आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अधीन अपने निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करता है:–

1. विनियमों को अधिसूचित करता है;
2. निम्नलिखित से संबंधित याचिकाओं पर आदेश जारी करता है:–
   - टैरिफ निर्धारित करने
   - अनुज्ञप्ति जारी करने
   - पुनर्विलोकन और विविध याचिकाएं

6.1. विनियमों के लिए प्रक्रिया

आयोग विनियम जारी करने से पूर्व विस्तृत और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करता है। प्रारंभ में, उन मुद्दों पर जिन पर विनियम बनाया जाना प्रस्तावित है, परामर्श पेपर तैयार किए जाते हैं। प्रायः परामर्श पेपर कर्मचारीवृंद स्तर पर तैयार किया जाता है और उसे स्टाफ पेपर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद परामर्श पेपर/स्टाफ पेपर का पणधारियों (स्टेक होल्डरों) से टीका–टिप्पणी और सुझाव आमंत्रित करने के लिए इलैक्ट्रानिक और प्रिंट माध्यम से व्यापाक प्रचार किया जाता है। टीका–टिप्पणी की प्राप्ति पर, मुद्दों पर विस्तृत रूप से विचार–विमर्श करने के लिए सार्वजनिक सुनवाई की जाती है। प्राप्त टीका–टिप्पणियों और सार्वजनिक सुनवाई में हुए विचार–विमर्श के आधार पर प्रारूप विनियम तैयार किया जाता है। अधिनियम की अपेक्षानुसार, प्रारूप विनियमों पर पूर्व प्रकाशन की कार्रवाही की जाती है इससे यह लक्षित होता है कि प्रारूप विनियम पणधारियों से टीका टिप्पणियों की प्राप्ति और उन पर विचार–विमर्श करने के पश्चात ही विनियमों को अंतिम रूप से भारत के राजपत्र से प्रकाशित/अधिसूचित किया जाता है तथा कारणों के कथन को पृथक रूप से वेबसाइट पर डाला जाता है।

6.2. याचिकाओं से संबंधित आदेश के लिए प्रक्रिया

आयोग के समक्ष याचिकाएं/आवेदन प्राथमिक रूप से निम्नलिखित के लिए किए जाते हैं :–

- उत्पादन और पारेषण के लिए टैरिफ का निर्धारण करने;
- विद्युत के अंतर–राज्यिक पारेषण और अंतर–राज्यिक व्यापार में अनुज्ञप्ति प्रदान करने।

उपरोक्त के अलावा, निम्नलिखित याचिकाएं/आवेदन भी आयोग के समक्ष फाइल किए जाते हैं :–

- विविध याचिकाएं
- पुनर्वलोकन याचिकाएं

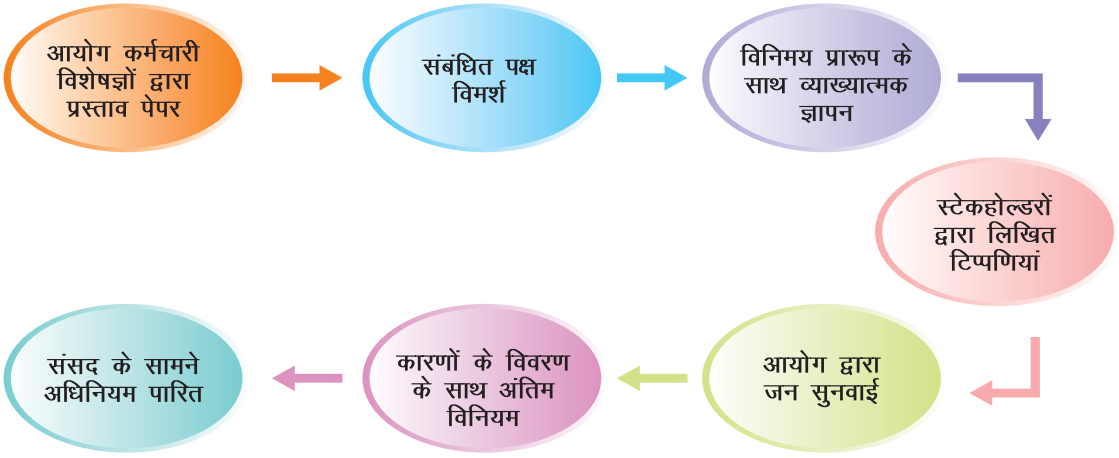

चित्र : विनियम बनाने की क्रियाविधि

आवेदक विहित फीस के साथ याचिकाएं दायर करते हैं और अपनी याचिकाओं के प्रति सभी संबंधितों को तामील करते हैं। आवेदक से, टैरिफ तथा अनुज्ञप्ति के लिए अपने आवेदन को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने और जनता से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए समाचारपत्र से नोटिस देने की अपेक्षा की जाती है। तत्पश्चात, सार्वजनिक सुनवाई की जाती है जहां याचिकाकर्त्ता और प्रत्यर्थी आयोग के समक्ष अपने मामले का तर्क प्रस्तुत करते हैं। आयोग सभी संबंधित व्यक्तियों की सुनवाई करने के पश्चात् याचिका पर अंतिम आदेश पारित करता है। याचिकाकर्त्ता और प्रत्यर्थी को, आयोग के समक्ष पुनर्विलोकन करने और विद्युत अपील प्राधिकरण के समक्ष आयोग के आदेश के विरूद्ध अपील करने के लिए विधि के अधीन अनुमति है।

6.3. टैरिफ अवधारण करने की प्रक्रिया और सिद्धांत

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सृजन के पूर्व, केंद्रीय उत्पादन कंपनियों, अर्थात एनटीपीसी, एनएचपीसी, एनएलसी और नीपको, का टैरिफ, परियोजना विशिष्ट अधिसूचनाओं के माध्यम से केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जा रहा था। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अधीन जुलाई, 1998 से अस्तित्व में आया। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग को, अन्य बातों के साथ–साथ, केंद्रीय उत्पादन कंपनियों के टैरिफ के निर्धारण का कार्य सौंपा गया था। इस कार्य का निर्वहन करने के लिए, आयोग से टैरिफ के निबंधन और शर्तों को अंतिम रूप देने की अपेक्षा की गई थी। सभी पणधारियों की सुनवाई की पारदर्शी प्रक्रिया पूरा करने के पश्चात आयोग ने अैरिफ के निबंधनों एवं शर्तों का तीन वर्ष की अवधि, अर्थात 2001–04 के लिए मार्च, 2001 में अंतिम रूप दिया तथा उन्हें अधिसूचित किया। विद्युत अधिनियम, 2003 (जिससे अन्य बातों के साथ–साथ, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 निरसित हो गया) के अधिनियमन के पश्चात, आयोग ने 2004–09 पांच वर्ष की अवधि तथा मार्च, 2009 में 2009–14 की पांच वर्ष की अवधि के लिए टैरिफ के निबंधन और शर्तों को अधिसूचित किया। उपर्युक्त अधिसूचनाओं में केन्द्र / स्टेशन / राज्य–वार उत्पादन टैरिफ तथा लाइन या प्रणाली–वार पारेषण टैरिफ को निर्धारण करने का उपबंध है।

टैरिफ समय–समय पर यथा लागू टैरिफ के निबंधनों और शर्तों के अनुसार तय किया जाता है। निबंधन और शर्तों में वित्तीय मानदंड और तकनीकी मानदंड विहित है। टैरिफ को प्रायः लागत प्लस टैरिफ कहा जाता है क्योंकि परियोजना की पूंजी लागत टैरिफ संगणना के लिए आंरभिक बिन्दु होती है। इसे विनियमित टैरिफ कहना अधिक समुचित होगा क्योंकि वास्तविक पूंजी व्यय से भिन्न टैरिफ के लिए स्वीकार्य अधिकांश वित्तीय और तकनीकी पैरामीटर मानकीय होते हैं न कि वास्तविक थर्मल केंद्रों के परिवर्तनीय प्रभार, मासिक भारित औसत कीमत और ईंधन के हीट मूल्य के अनुसार ईंधन कीमत के लिए संशोधित किए जाते हैं।

टैरिफ संगणना बहुत ही लम्बी होती है क्योंकि टैरिफ के लिए जाने वाले विभिन्न तत्वों को, पूर्ण टैरिफ में सम्मिलित करने के लिए व्यष्टिक रूप से संगणित किया जाता है। प्रत्येक उत्पादन केंद्र के लिए उसकी स्वीकृत पूंजी लागत, आधार ईंधन कीमत और(सकल कैलोरी मूल्य) तथा दक्ष प्रचालन के लागू संनियमों पर निर्भर करते हुए, टैरिफ भिन्न–भिन्न होता है। प्रक्रिया में काफी समय लगता है किन्तु यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि ये केंद्र दक्ष और मितव्ययी रीति से कार्य करते हैं और विक्रेता केंद्रो से उच्च कीमत प्राप्त करने के लिए अपनी प्रबल स्थिति का दुरूपयोग नहीं करते हैं।

7

वर्ष 2012–13 के दौरान गतिविधियां

7 वर्ष 2012–13 के दौरान गतिविधियां

7.1. कानूनी कार्यवाहियां:

वर्ष 2012–13 के दौरान 395 याचिकाओं को गतवर्ष अर्थात 2011–12 से आगे ले जाया गया। इसके अलावा 1.4.2012 और 31.3.2013 के दौरान 297 याचिकाओं को दायर किया गया जिससे याचिकाओं की कुल संख्या 692 हो गई। इनमें से 266 याचिकाएं वर्ष 2012–13 के दौरान निपटा दी गई। इसके अतिरिक्त 24 अंतवर्ती आवेदनों को गतवर्ष 2011–12 के आगे ले जाया गया। इसके अलावा 52 अतंवर्ती आवेदन प्राप्त हुए जिससे इनकी कुल संख्या 76 हो गई। इनमें से 41 को निपटा दिया गया। याचिकाओं के ब्यौरे **अनुबंध I** में दिए गए हैं।

7.2. वर्ष 2012–13 में जारी किए गए प्रमुख निर्णय/विनियम:

7.2.1 केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के मानक) विनियम, 2012.

केन्द्रीय आयोग को विद्युत अधिनिमय 2003 की धारा 57 के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी के कार्यनिष्पादन के मानको को विनिर्दिष्ट करने की शक्तियां दी गई हैं। तदनुसार विद्युत के कुशल, विश्वसनीय, समन्वित एवं किफायती अंतरराज्यिक पारेषण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के मानक) विनियम, 2012 (कार्यनिष्पादक मानक विनियम के रूप में उल्लेख किया गया है) अधिसूचित किया। आयोग 17.9.2012 को कार्य निष्पादक मानक विनियम अधिसूचित किया।

एसओपी विनियम में एसी पारेषण लाईन, ट्रांसफारमरो, रियक्ट्ररों, स्टेक्टीक वीएआर कम्पनसेटरों, सीरिज कम्पनसेटरों जैसी पारेषण प्रणालियों के विभिन्न संघठकों के लिए घटकवार उपलब्धतता मानदंडों को विनिर्दिष्ट किया है। इन घटकों की मासिक उपलब्धता मानदंडों से कम नहीं होनी चाहिए।

एसओपी विनियमों में फेस कन्डक्ट्रों की स्नेपिंग, टावर के गिरने, इन्सुलेटर के खराब होने एवं मैदानी क्षेत्र तथा पहाडी क्षेत्र के लिए अर्थवायर की असफलता के लिए पुनःस्थापन मानदंडो की व्यवस्था की गई है। विभिन्न प्रकार की खराबी के लिए पुनःप्रतिष्ठा समय विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मानदडों से अधिक नहीं होना चाहिए।

मानदंडो से नीचे या पुनःस्थापन मानदंडों में विनिर्दिष्ट समय से अधिक समय लेने की स्थिति में प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति के लिए प्रावधान है। एसओपी विनियमों में प्राप्त कार्यनिष्पादन के स्तर तथा विभिन्न मामलों में प्रदत्त क्षतिपूर्ति के ब्योरें से संबंधित सूचना केन्द्रीय आयोग को छमाही आधार पर प्रस्तुत करने के लिए अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों को अधिदेश दिया गया है। अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों को मासिक आधार पर कार्यनिष्पादन के विनिर्दिष्ट मानदंडो तथा प्रदत्त क्षतिपूर्ति के कुल रकम के लिए उनके वास्तविक कार्यनिष्पादन को उनकी वेबसाइट पर प्रदर्शित करने की अपेक्षा है।

7.2.2 केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग(व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए एवं अन्य संबद्ध मामलों के लिए क्रियाविधि, निबंधन एवं शर्ते)(प्रथम संशोधन) विनियम, 2012

आयोग को विद्युत में अंतरराज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ङ) के अंतर्गत कार्य निहित किए गए हैं। सांविधिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन में आयोग ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग(व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए एवं अन्य संबद्ध मामलों के लिए क्रियाविधि, निबंधन एवं शर्ते) विनियम, 2009 को अधिसूचित किया है जो 2 जून, 2009 को लागू हुआ है। विद्युत क्षेत्र में बाजार गतिशीलता के साथ तालमेल बिठाने के उद्देश्य से आयोग ने व्यापार अनुज्ञप्ति विनियमों के संशोधन के लिए इसे आवश्यक समझा है। "अंतरराज्यिक व्यापार" की परिभाषा को लागू कानूनों के अनुपालन तथा उचित प्राधिकारियों के क्लीयरैंस के अध्यधीन विद्युत के अंतरराज्यिक व्यापार के रूप में भारत के अंदर पुनः बिक्री के लिए किसी अन्य देश से आयात की गई विद्युत और किसी अन्य देश को निर्यात की गई विद्युत की पहचान के लिए

संशोधित किया गया था। यह व्यवस्था की गई है कि उस कंपनी को जो व्यापार अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन कर रही है उसे कंपनी के मैमोरैंडम ऑफ एसोसिएसन में एक मुख्य उद्देश्य के रूप में "विद्युत में व्यापार" होना चाहिए। अंतःराज्यिक व्यापार मात्रा की रिपोर्टिंग व्यापार अनुज्ञप्ति की उचित श्रेणी के लिए आवेदक की शुद्ध मालियत की संगणना के प्रयोजन के लिए आंरभ की गई है। एक अलग अध्याय व्यापार अनुज्ञप्ति द्वारा उल्लंघनों के विभिन्न उदाहरणों को देखने के उद्देश्य से "उल्लंघन एवं दंड" के संबंध में आरंभ किया गया है।

7.2.3 केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग(टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें)(तीसरा संशोधन) विनियम, 2012

टैरिफ अवधि 2009–14 के लिए लागू केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग(टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2009 में सहायता के लिए हाइड्रो को प्रोत्साहित करने हेतु विनियामक फ्रेमवर्क के लिए व्यवस्था की गई है। पंप स्टोरेज आधारित हाइड्रो जेनेटिंग स्टेशनों को प्रोत्साहित करने के लिए तथा चूंकि वे बहुमूल्य सहायता प्रदान करते हैं और उत्पादनकारी कंपनियों तथा अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों को प्रभावित करने वाले कुछेक मुद्दो को प्रभावित करते है अतएव आयोग ने टैरिफ विनियम 2009 में तीसरा संशोधन अधिसूचित किया है। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग(टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें)(तीसरा संशोधन) विनियम, 2012 को निम्नलिखित व्यवस्था के लिए 31 दिसम्बर 2012 को आयोग द्वारा अधिसूचित किया गया :

क) हाइड्रो विद्युत परियोजना की पंप स्टोरेज योजना के लिए टैरिफ का प्रावधान। इस संशोधन में निवल क्षमता प्रभारों के रूप में पूर्ण निर्धारित प्रभारों की वसूली की व्यवस्था की गई है। हिताधिकारियों को हाइड्रोलोजी जोखिम को वहन करना है तथा पंपिंग पावर की व्यवस्था करनी है। उत्पादकों को पमपिंग पावर के 75 प्रतिशत उत्पादन की आवश्यकता है।

ख) 15.5 प्रतिशत की इक्विटी पर कुल मिलाकर 1 प्रतिशत की दर पर इक्विटी रिटर्न पर अतिरिक्त रिटर्न पंप स्टोरेज योजना एवं उन विभिन्न प्रकार के उत्पादनकारी स्टशनों को प्रोत्साहन देने, जिन्हें प्रणाली की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए पीक घंटों के दौरान संचालित होने के लिए तैयार किया गया है, सहित उन विभिन्न प्रकार के उत्पादनकारी स्टेशनों के लिए व्यवस्था की गई है।

ग) थर्मल उत्पादनकारी कंपनियों के लिए यह आवश्यक बना दिया गया है कि वे उत्पादनकारी स्टेशनों के हिताधिकारियों के साथ शेयर करें, अतएव पारदर्शिता के प्रयोजन के लिए सकल क्लोरोफिक मूल्य के पैरामीटरों के ब्यौर तथा विभिन्न स्रोतों से ईंधन की कीमत, देशी कोयले इत्यादि से आयातित कोयले के अनुपात को शेयर करें और हिताधिकारियों को स्टेशन से विद्युत के प्रेषण के संबंध में अनौपचारिक निर्णय के जानकारी दी जा सके।

घ) पांच किलोमीटर के अंदर स्थित ग्रामीण हाउसहोल्ड को विद्युत की आपूर्ति के बुनियादी ढांचे के सृजन की लागत पूंजी लागत में शामिल कर ली गई है।

ङ) पंप स्टोरेज हाइड्रो विद्युत उत्पादन के लिए एवं गैस अतःक्षेपित उपस्टेशनों के लिए मानदंडो की व्यवस्था की गई है।

च) जम्मू एवं कश्मीर राज्य में हाइड्रो उत्पादनकारी स्टेशनों वाले उत्पादनकारी कंपनियों को जल प्रयोग प्रभारों एवं अनुज्ञप्ति फीस की प्रतिपूर्ति के लिए प्रावधान किए गए हैं जो जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय में एनएचपीसी द्वारा दाखिल रिट याचिका के परिणाम के अध्यधीन जम्मू एवं काश्मीर जन संसाधन (विनियम एवं प्रबंधन) अधिनियम, 2010 के कारण उत्पन्न हुए हैं।

छ) उत्पादनकारी कंपनियों तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रदत्त विभिन्न फीस एवं प्रभारों की प्रतिपूर्ति के लिए अनुमति के प्रावधान किए गए हैं।

7.2.4 केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण में कनेक्टीविटी, दीर्घकालीन पहुंच और मध्यकालीन निर्बाध पहुंच प्रदान करना एवं संबद्ध मामलें)(तीसरा संशोधन) विनियम, 2013

केन्द्रीय आयोग ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण में

कनेक्टीविटी, दीर्घकालीन पहुंच और मध्यकालीन निर्बाध पहुंच प्रदान करना) विनियम, 2009 में अंतरराज्यिक ग्रिड के लिए कनैक्टीविटी हेतु 50 मैगावाट क्षमता या उससे अधिक वाले नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों को अनुमति दी है।

आयोग ने यह विचार किया है कि अंतरराज्यिक ग्रिड से संबद्ध और अधिशेष भूमि वाले मौजूदा उत्पादनकारी स्टेशनों में मौजूदा बुनियादी ढांचे तथा संबद्ध अंतर्संबंध एवं पारेषण सुविधाओं वाले नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादनकारी स्टेशनों को सहअस्तित्व करते हुए उसी परिसरों में ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत की अल्प क्षमता में वृद्धि करने की संभावना रखते हैं। तदनुसार आयोग ने विचार किया और अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली के साथ मौजूदा कनैक्शन प्वाइंट के लिए अपने मौजूदा एक उत्पादनकारी स्टेशन में उत्पादनकारी कंपनी द्वारा विकसित 5 मैगावाट और उससे अधिक लेकिन 50 मैगावाट से कम के नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनकारी स्टेशनों को कनेक्टीविटी प्रदान करने के लिए कनेक्टीविटी विनियमों को संशोधित करने का कार्य आरंभ किया। यह भी व्यवस्था की गई है कि मौजूदा उत्पादनकारी स्टेशन को नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनकारी स्टेशन से मूल उत्पादक के रूप में कार्य करने की अपेक्षा होगी और आयोग के ग्रिड कोड और अन्य विनियमों के अनुपालन द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन स्टेशनों के लिए सभी परिचालनगत और वाणिज्यिक उतरदायित्वों के लिए उनके बीच करार करना होगा।

इस संशोधन का लक्ष्य उनके परिसरों में उपलब्ध भूमि तथा अन्य संसाधनों का उपयोग करने के लिए उत्पादनकारी स्टेशनों को प्रोत्साहित करना होगा ताकि पर्यावरणीय नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादनकारी स्टेशनों को स्थापित किया जा सके।

7.3. विद्युत बाजार : व्यापार, पावर एक्सचेंज और निर्बाध पहुंच

I: अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्तिधारी

आयोग ने विद्युत व्यापार गतिविधियों को विनियमित करने के लिए फरवरी 2009 में केविविआ(व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्रक्रिया, निबंधन, शर्तें तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2009 अधिसूचित किए थे।

आयोग ने 31 मार्च 2013 तक विद्युत में अंतरराज्यिक व्यापार के लिए 63 आवेदकों को बाजार अनुज्ञप्तियां प्रदान की हैं। इनमें से 21 अनुज्ञप्तिधारियों ने अपनी अनुज्ञप्तियां वापस कर दी है। वर्ष 2012–13 के दौरान 7 आवेदकों को व्यापार अनुज्ञप्तियां प्रदान की गई थी।(सारणी –1)

सारणी 1: 2012–13 के दौरान जारी की गई व्यापार अनुज्ञप्ति

क्र.स.	व्यापार अनुज्ञप्तिधारी का नाम	जारी की गई अनुज्ञप्ति की तारीख	अनुज्ञप्ति की श्रेणी
1	एसएन पावर मार्केट प्रा. लि.	**21-06-2012**	**I**
2	जीमैक इंजीनियरिंग सर्विस प्रा. लि.	**21-06-2012**	**IV**
3	मणिकरण पावर लि.	**29-06-2012**	**III**
4	ग्रेटा पावर ट्रेडिंग लि.	**03-09-2012**	**IV**
5	अरूणांचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन प्रा. लि.	**11-09-2012**	**III**
6	ग्रीन फील्ड पावर सर्विसिज प्रा. लि.	**08-02-2013**	**IV**
7	एचएमएम इन्फ्रा लि.	**11-03-2013**	**IV**

कुल 42 मौजूदा अनुज्ञप्तिधारियों में से वर्ष 2012–13 के दौरान 22 अनुज्ञप्तिधारियों ने विद्युत में व्यापार किया। (सारणी 2)

सारणी 2: वर्ष 2012–13 के दौरान व्यापार शुरू करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों की सूची*

क्र.स.	व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों का नाम
1	पीटीसी इंडिया लि.
2	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लि

क्र.स.	व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों का नाम
3	टाटा पावर ट्रेडिंग कंपनी प्रा.लि.
4	जेएसडब्लू पावर ट्रेडिंग कंपनी लि.
5	नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एवं सर्विसिज लि.
6	अदानी एंटरप्राईज लि.
7	रिलाइंस एनर्जी ट्रेडिंग (प्रा.) लि.
8	नोलेज इन्फ्रांस्टक्चर सिस्टम(प्रा.) लि.
9	मित्तल प्रोसेसर्स(प्रा)लि.
10	श्री सिमेंट लि.
11	जय प्रकाश एसोसिएट्स लि.
12	जीएमआर एनर्जी ट्रेडिंग लि.
13	इंस्टीक्ट इन्फ्रा एंड पावर लि.
14	एस्सार इलेक्ट्री पावर डेवलोपमैंट कॉर्प. लि.
15	ग्लोबल एनर्जी (प्रा.) लि.
16	आरपीजी पावर ट्रेडिंग कंपनी लि.
17	मणिकरण पावर लि.
18	अरूणाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन प्रा. लि.
19	इन्द्रजीत पावर टेक्नालाजी प्रा. लि.
20	एंबीशियस पावर ट्रेडिंग कंपनी लि.**
21	पुने पावर डेवलोपमैंट प्रा. लि.
22	कस्टोमाइज एनर्जी सोल्यूशन इंडिया प्रा. लि.

* व्यापार अनुज्ञप्तिधारी द्विपक्षीय या पावर एक्सचैंज या दोनों के माध्यम से व्यापार कर रहे हैं।

** 9.1.2013 से पूर्व व्यापार अनुज्ञप्तिधारी का नाम जिंदल पावर कंपनी ट्रेडिंग लि. था

जनवरी 2010 में आयोग ने केविविआ (व्यापार मार्जिन का निर्धारण) विनियम, 2010 जारी किया। विद्युत के अंतरराज्यिक व्यापार के लिए मार्जिनों को विनियमित किया गया और अनुज्ञप्तिधारियों को उन मामलों में 7 पैसे/किलो वाट घंटे से अधिक व्यापार मार्जिन प्रभारित करने की अनुमति नहीं दी गई जहां विद्युत की बिक्री कीमत 3रु/किलो वाट घंटे, से अधिक थी और 4 पैसे/किलो वाट घंटा जहां बिक्री कीमत 3रु/किलो वाट घंटे की अपेक्षा कम थी या बराबर थी। इस मार्जिन में अनुसूचित विद्युत, निर्बाध पहुंच और पारेषण हानियों के लिए प्रभारों को छोड़कर सभी प्रभार शामिल हैं। व्यापार मार्जिन विद्युत की अनुसूचित मात्रा पर प्रभारित है।

इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट व्यापार मार्जिन उत्पादक तथा क्रेता के बीच संव्यवहारों की श्रृंखला में शामिल सभी व्यापारियों द्वारा प्रभारित व्यापार मार्जिन का संचयी मूल्य हैं जिसका अर्थ है कि बहुविध व्यापारी दर व्यापारी संव्यवहारों के मामलों में व्यापार मार्जिन उपरिलिखित उच्चतम सीमा व्यापार मार्जिन से अधिक नहीं होना चाहिए।

II: पावर एक्सचेंज

दो विद्युत एक्सचेंज (1) मैसर्स इंडियन ऊर्जा एक्सचेंज लि. (आईईएक्स) नई दिल्ली तथा (2) पावर एक्सचेंज इंडिया लि. (पीएक्सआईएल) मुबंई है जो भारत में कार्यरत है। आईईएक्स और पीएक्सआईएल में क्रमशः 27 जून 2008 और 22 अक्तूबर 2008 को कार्य करना शुरू कर दिया।

जनवरी 2010 में आयोग ने विद्युत बाजार के विकास और विनियमन के लिए सीईआरसी(विद्युत बाजार) विनियम, 2010 जारी किया। विनियमों का उद्देश्य एक व्यापार ढ़ांचा सृजित करने में सहायता करना और विद्युत बाजारों में सभी प्रकार के संभव उत्पादों में संव्यवहार, निष्पादन और संविदाएं करने के लिए समर्थ बनाना था।

III: बाजार निगरानी प्रकोष्ठ

अगस्त 2008 में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने एक बाजार निगरानी प्रकोष्ठ(एमएमसी) स्थापित किया गया था। अगस्त 2008 से एमएमसी 'विद्युत के अल्पावधि संव्यवहार पर मासिक रिपोर्ट' तैयार कर रहा है तथा रिपोर्ट को वेबसाइट पर डाल रहा है। 'विद्युत का अल्पकालिक संव्यवहार' व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों (द्विपक्षीय संव्यवहार) पावर एक्सचेंजों और अननुसूचित विनियमों के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत के प्रति निर्देश करता है जो अनुसूचित विद्युत के विरुद्ध विद्युत के निम्न निकासी/अतिनिकासी का निर्देश है। रिपोर्ट के उद्देश्य यह है (i) विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहार की मात्रा और मूल्य में प्रवर्तियों पर ध्यान देना। (ii) बाजार के व्यापरियों के बीच प्रतिस्पर्द्धा का विश्लेषण करना। (iii) स्टेक होल्डरों को संगत बाजार सूचना प्रसारित करना।

एमएमसी व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा की जा रही द्विपक्षीय संविदाओ/ओटीसी संविदाएं (ओटीसी संविधाए) पर भी एक मासिक रिपोर्ट निकालता है जिसका शीर्षक "ओटीसी संविदाओं साप्ताहित रिपोर्टिंग : मासिक विश्लेषण" है। रिपोर्ट में "एक अग्र वक्र जो भावी अवधि के लिए स्थानिक कीमतों की वर्तमान दिन की आशा को दर्शाता है और कार्योपरान्त विश्लेषण है जो गत माह के विद्युत परिदानों के संबंध में विद्युत केंद्रों की तुलना में औसत ओटीसी कीमत को दर्शाता है।

एमएमसी अल्पकालिक संव्यवहार पर एक वार्षिक रिपोर्ट निकालता है। "2011–12 में भारत में अल्पकालिक विद्युत बाजार पर रिपोर्ट" से संबंधित अंतिम रिपोर्ट जुलाई, 2012 में प्रकाशित की गई थी। अल्पकालीन संव्यवहारों में प्रवृतियों को नीचे सारणी में दर्शाया गया था।

सारणी 3: विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहार की मात्रा (बिलियन यूनिट)

वर्ष	व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों के माध्यम से संव्यवहार	पावर एक्सचेंजो (आईईएक्स और पीएक्सआईएल) के माध्यम से संव्यवहार	यूआई संव्यवहार कर्त्ता	डिस्काम के बीच प्रत्यक्ष संव्यवहार	कुल संव्यवहार
2009-10	26.72	7.19	25.81	6.19	65.91
2010-11	27.70	15.52	28.08	10.25	81.56
2011-12	35.84	15.54	27.76	15.37	94.51
2012-13	36.12	23.54	24.76	14.52	98.94

सारणी 4: कुल विद्युत उत्पादन के संबंध में विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहार की कुल मात्रा

वर्ष	विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहार की कुल मात्रा (बिलियन यूनिट)	कुल विद्युत उत्पादन (बिलियन यूनिट)	कुल विद्युत उत्पादन के प्रतिशत के रूप में विद्युत के अल्पकालीन संव्यवहार की कुल मात्रा
2009-10	65.90	764.03	9%
2010-11	81.56	809.45	10%
2011-12	94.51	874.17	11%
2012-13	98.94	907.49	11%

सारणी 5: विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहार की कीमत

वर्ष	व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत की कीमत (₹/किलोवाट घंटा)	पावर एक्सचेंजों के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत की कीमत (डीएएम+टीएएम) (₹/किलोवाट घंटा)	यूआई के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत की कीमत (₹/कि.वाट घंटा)
2009-10	5.26	4.96	4.62
2010-11	4.79	3.47	3.91
2011-12	4.18	3.57	4.09
2012-13	4.33	3.67	3.52

जैसा कि सारणी 3 से देखा जा सकता है अल्पकालिक विद्युत व्यापार की मात्रा में समय अवधि से वृद्धि हुई है तथापि वर्ष 2012–13 में वृद्धि जुलाई 2012 में ग्रिड खराबी के बाद यूआई संव्यवहार में कमी के कारण प्राथमिक रूप से कम हुई। देश में कुल विद्युत उत्पादन की प्रतिशतता के रूप में अल्पकालिक संव्यवहारों में 2009–10 में 9 प्रतिशत से बढकर 2011–12 में 11 प्रतिशत हो गई जिससे 2012–13 में मार्जनल वृद्धि का पता चलता है (सारणी 4)। विद्युत कीमतें 2012–13 में 2009–10 की तुलना में (व्यापारियों, एक्सचैंजों और यूआई) में कम थी लेकिन यह कमी बाद के वर्षों में नहीं रही (सारणी 5)।

IV: बोली मूल्यांकन और भुगतान के प्रयोजनार्थ के संबंधित कारकों तथा अन्य मानकों की अधिसूचना

"वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत की खरीद के लिए प्रक्रिया द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए दिशानिर्देश" से संबंधित विद्युत मंत्रालय द्वारा 2005 में जारी अधिसूचना के अनुसरण में केविविआ के लिए बोली मूल्यांकन के लिए भुगतान के प्रयोजनार्थ विभिन्न संबंधित कारको तथा अन्य मानको को प्रत्येक छ माह में अधिसूचित करना अपेक्षित है। तदनुसार आयोग ने उत्पादन परियोजनाओं और पारेषण परियोजनाओं के लिए दिनांक 3.4.2012 और 8.4.2012 की अधिसूचना के माध्यम से उत्पादन परियोजनओं के लिए अभिवृद्धि घटको और अन्य पैरामीटरों को अधिसूचित किया तथा दिनांक 2.4.2012 और 25.9.2012 की अधिसूचना के माध्यम से पारेषण परियोजनाओं के लिए अभिवृद्धि घटकों और पैरामीटको को अधिसूचित किया। अप्रैल की अधिसूचनाएं 1.4.2012 से 30.09.2012 की अवधि के लिए लागू थी और सितंबर अक्तूबर की अधिसूचनाएं 1.10.2012 से 31.3.2013 की अवधि के लिए लागू थी। इसके बाद 2013 में आयोग ने 1.4.2013 से 30.9.2013 तक की अवधि के लिए लागू 25.3.2013 को पारेषण परियोजनाओं के लिए अभिवृद्धि घटकों और अन्य पैरामीटरों को अधिसूचित किया।

7.4 थर्मल उत्पादन

1. टैरिफ निर्धारिण

1.1 एनटीपीसी लिमिटेड के थर्मल उत्पादन स्टेशनों के टैरिफ

1.1.1. 31.03.2013 को एनटीपीसी लिमिटेड की कुल संस्थापित क्षमता 34871.64 मैगावाट (वाणिज्यिक) थी जिसमें कोयले पर आधारित 30855.00 मैगावाट तथा प्राकृतिक गैस/तरल ईंधन पर आधारित 4016.64 मैगावाट शामिल है। वर्ष 2012–13 के दौरान एनटीपीसी द्वारा 3820 मैगावाट की नई क्षमता को जोड़ा गया। उत्पादनकारी कंपनी ने सिपत–1 में 2x660 मैगावाट को जोड़ा, माऊदा एसटीपीएस में 1x500 को जोड़ा, सिमहाद्री एसटीपीएस 2 ने 1x500 को जोड़ा, विंध्याचल एसटीपीएस स्टेज 4 में 1x500 मैगावाट, फरक्का एसटीपीएस चरण 3 में 1x500 मैगावाट और रिहंद, चरण 3 में 1x500 मैगावाट को जोड़ा। 31.3.2013 को स्थापित क्षमता तथा एनटीपीसी के प्रत्येक उत्पादनकारी स्टेशन/यूनिट के वाणिज्यिक परिचालन की तारीख **अनुबंध II** में दी गई है।

वर्ष 2004–2009 की अवधि के लिए टैरिफ का पुनरीक्षण

1.1.2 आयोग ने वर्ष 2007–08 और 2008–09 के लिए अनुमत अतिरिक्त पूंजीकरण पर विचार करने के पश्चात तल्चर टीपीएस(460 मैगावाट) के लिए संशोधित निर्धारित प्रभारों को अनुमोदित किया है।

विद्युत के लिए अपीलीय न्यायाधीकरण के निर्णय के कारण टैरिफ का पुनरीक्षण

1.1.3 आयोग ने विद्युत के लिए अपीलिय न्यायाधीकरण के निर्णय पर आधारित निम्नलिखित स्टेशनों के संबंध में 2004–09 की अवधि के लिए संशोधित निर्धारित प्रभारों को अनुमोदित किया है :

(i) फरीदाबाद जीपीएस (431.586 मैगावाट)

(ii) तल्चर एसटीपीएसए स्टेज-I (1000 मैगावाट)

(iii) रिहंद एसटीपीएस, स्टेज-II (1000 मैगावाट)

पुनरीक्षण याचिकाएं:

1.1.4 आयोग ने वर्ष 2009–14 की अवधि के लिए आयोग द्वारा जारी किए गए टैरिफ आदेशों के विरुद्ध कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज चरण 2(3x500 मैगावाट) और बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन (705 मैगावाट) के लिए एनटीपीसी द्वारा दाखिल की गई पुनरीक्षण याचिकाओं का निपटान किया।

1.1.5 2009–14 की अवधि के लिए टैरिफ

1.1.5.1 वर्ष 2011–12 के दौरान आयोग ने एनटीपीसी लि. के निम्नलिखित कोयला आधारित/गैस आधारित स्टेशनों के लिए सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2009 पर आधारित अंतिम टैरिफ को अनुमोदित किया :

(i) कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज–II (3x500 मैगावाट),

(ii) रामागुंडम एसटीपीएस स्टेज–III (500 मैगावाट),

(iii) कोरबा एसटीपीएस स्टेज–III (500 मैगावाट),

(iv) कहलगांव टीपीएस स्टेज–I (840 मैगावाट),

(v) बदरपुर टीपीएस (705 मैगावाट),

(vi) फिरोज गांधी उंचार टीपीएस स्टेज–III (210 मैगावाट),

(vii) विंध्याचल एसटीपीएस स्टेज–II (1000 मैगावाट),

(viii) विंध्याचल एसटीपीएस स्टेज-III (1000 मैगावाट),

(ix) फिरोज गांधी उंचार टीपीएस स्टेज–I (420 मैगावाट),

(x) रिहंद एसटीपीएस स्टेज–I (1000 मैगावाट),

(xi) फरक्का एसटीपीएस स्टेज–I एवं II (1600 मैगावाट),

(xii) तल्चर एसटीपीएस स्टेज–I (1000 मैगावाट),

(xiii) नेशनल केपिटल टीपीएस दादरी स्टेज–I (840 मैगावाट),

(xiv) फिरोज गांधी उंचार टीपीएस स्टेज–II (420 मैगावाट),

(xv) रिहंद एसटीपीएस स्टेज–II (1000 मैगावाट),

(xvi) सिंगरौली एसटीपीएस (2000 मैगावाट),

(xvii) सिमान्ध्री एसटीपीएस स्टेज–I (1000 मैगावाट),

(xviii) रामागुंडम स्टेज–I एंड II (2100 मैगावाट),

(xix) राजीव गांधी कम्बाइन्ड साईकिल पावर प्रोजेक्ट स्टेज–I (359.58 मैगावाट),

(xx) विंध्याचल एसटीपीएस स्टेज–I (1260 मैगावाट),

(xxi) फरीदाबाद गैस पावर स्टेशन (431.586 मैगावाट),

(xxii) सिमान्ध्री एसटीपीएस स्टेज–II (2x500 मैगावाट) 1.4.2011 से 31.3.2014, तक की अवधि के लिए

(xxiii) कोरबा एसटीपीएस स्टेज-I – II (2100 मैगावाट),

(xxiv) टांडा टीपीएस (440 मैगावाट).

(xxv) दादरी गैस पावर स्टेशन (829.78 मैगावाट)

(xxvi) औरेया गैस पावर स्टेशन (663.36 मैगावाट)

(xxvii) अंटा गैस पावर स्टेशन (419.33 मैगावाट)

1.1.5.2 आयोग ने एनटीपीसी के निम्नलिखित थर्मल पावर स्टेशनों के लिए 31.03.2014 के लिए प्रत्याशित वाणिज्यिक परिचालन की तारीख से अनंतिम टैरिफ स्वीकृत की है :

(I) रिहंद सुपर थर्मल पावर स्टेशन चरण–III (2 x 500 मैगावाट)

(ii) सिपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन चरण–I (3x660 मैगावाट)

1.2 नेवली लिग्नाइट कारपोरेशन के थर्मल उत्पादकारी स्टेशनों के टैरिफ

1.2.1 नेवली लिग्नाइट कारपोरेशन (एनएलसी) की 2740 मैगावाट की कुल स्थापित क्षमता है। एनएलसी के प्रत्येक उत्पादनकारी स्टेशन की उत्पादन क्षमता वाणिज्यिक परिचालन की तारीख नीचे दी गई है:

क्र.स.	उत्पादनकारी स्टेशन	31.03.2013 को स्थापित क्षमता (मैगावाट)	स्टेशन का सीओडी
1.	टीपीएस–I	600.00	21.02.1970
2.	टीपीएस–II (चरण–I)	630.00	23.04.1988
3.	टीपीएस–II (चरण–II)	840.00	09.04.1994
4.	टीपीएस–I (विस्तार)	420.00	05.09.2003
5.	सीएफबीसी आधारित बर्सिंगसर टीपीएस	250.00	21.01.2012
6.	**कुल लिग्नाइट आधारित उत्पादनकारी स्टेशन**	**2740.00**	

1.2.2 थर्मल पावर स्टेशन एक ही राज्य अर्थात तमिलनाडु को बिजली की आपूर्ति करता है जबकि थर्मल पावर स्टेशन 2 (चरण 1, 2) और थर्मल पावर स्टेशन 1 (विस्तार) दक्षिण क्षेत्रों के घटकों को अर्थात आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पांडुचेरी को बिजली की आपूर्ति करता है। राजस्थान में बर्सिंगसर स्थित सीएफबीसी प्रोद्योगिकी आधारित थर्मल पावर उत्पादन स्टेशन राजस्थान की वितरण कंपनियों को विद्युत की आपूर्ति कर रहा है।

1.2.3 2009–14 की अवधि के लिए एनएलसी स्टेशनों का टैरिफ

1.2.3.1 आयोग ने वर्ष 2012–13 में 1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए एनएलसी टीपीएस–1(600 मैगावाट) के संबंध में वार्षिक नियत प्रभारों और ऊर्जा प्रभारों को अनुमोदित कर दिया है।

1.2.3.2 आयोग ने 29.12.2011 से 19.1.2012 तक की अवधि के लिए एनएलसी के बर्सिंगसर थर्मल पावर स्टेशन यूनिट-II (125 मैगावाट) आधारित फ्लूड बैड तकनीक के लिए और 20.1.2012 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए स्टेशन (यूनिट I और II)(2 x 125 मैगावाट) के लिए अनंतिम टैरिफ की अनुमति दी है।

1.3 दामोदर घाटी नियम के थर्मल उत्पादन केंद्रों के टैरिफ

1.3.1 दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) की 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार कुल 5210 मैगावाट की संस्थापित क्षमता है। डीवीसी की संस्थापित क्षमता तथा उसके प्रत्येक उत्पादन केंद्रों में वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख **अनुबंध III** में दी गई है:

2004–09 की अवधि में टैरिफ का पुनरीक्षण

1.3.2 अपील संख्या 40/2010 में दिनांक 1.5.2012 के विद्युत निर्णय के लिए अपीलीय न्यायधीकरण को ध्यान में रखते हुए और दामोदर घाटी निगम के उत्पादनकारी केन्द्र के संबंध में पुनरीक्षण याचिका संख्या 7/2012 में दिनांक 3.10.2012 के निर्णय को ध्यान में रखते हुए आयोग ने 31.3.2009 तक उनके वाणिज्यिक परिचालन की संबंधित तारीख से मेजिया थर्मल पावर स्टेशन विस्तार यूनिट सख्यां 5 और यूनिट संख्या 6 (2x250 मैगावाट) के संबंध में याचिका संख्या 155/2008 में दिनांक 23.12.2009 में इसके टैरिफ आदेश को संशोधित किया।

1.3.3 उत्पादनकारी केंद्रों और पारेषण प्रणालियों के लिए 2006–09 तक की अवधि के लिए अतिरिक्त पूंजीकरण

के कारण नियत प्रभारों के पुनरीक्षण आयोग के विचाराधीन था।

2009–14 तक की अवधि के लिए डीवीसी स्टेशन का टैरिफ और पारेषण प्रणाली

1.3.4 डीवीसी ने 2009–14 तक की अवधि के लिए टैरिफ याचिका दाखिल की है जो आयोग के विचाराधीन थी।

1.3.5 आयोग ने यूनिट–7 के लिए 2.11.2011 से 31.3.2014 वर्ष तक की अवधि के लिए और यूनिट–8 के लिए 15.7.2011 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए चंद्रपुर थर्मल पावर स्टेशन (2x250 मैगावाट) के लिए अनंतिम टैरिफ को स्वीकृत किया है।

1.4 उत्तर पूर्वी विद्युत पावर कारपोरेशन (नीपको)

1.4.1 31.3.13 की स्थिति के अनुसार उत्तर पूर्वी विद्युत पावर कारपोरेशन (निपको) के उत्पादनकारी केन्द्रो की उत्पादन क्षमता ईंधन के रूप में अर्थात असम जीपीएस (291 मैगावाट) और अगरतला जीपीएस (84 मैगावाट) के रूप में प्राकृतिक गैस पर आधारित 375 मैगावाट थी। यह दोनों केंद्र उत्तरपूर्वी क्षेत्रों के हिताधिकारियों को विद्युत की आपूर्ति करते हैं। असम गैस पावर स्टेशन संयुक्त चक्र रूप में कार्य करते हैं और अगरतला गैस पावर स्टेशन का गैस टर्बाइन मुक्त चक्र में कार्य करता है। दोनों केंद्रों में लघु क्षमता (50 मैगावाट यूनिट के आकार से कम) का गैस टर्बाइन है। प्रत्येक उत्पादनकारी केंद्र की सस्थापित क्षमता और वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख नीचे दी गई है:

क्र.स.	उत्पादनकारी केंद्र का नाम	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार संस्थापि क्षमता (मैगावाट)	केन्द्र की वाणिज्यिक परिचालन की तारीख
1.	अगरतला जीपीएस	84.00	01.08.1998
2.	असम जीपीएस	291.00	01.04.1999
	कुल	**375.00**	

1.5 एनटीपीसी, एनएलसी और नीपको के केन्द्रीय थर्मल पावर स्टेशनों की 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार ऊर्जा प्रभार अनुबंध IV में संलग्न है।

1.6 संयुक्त उद्यम कंपनियों के थर्मल स्टेशनों के लिए टैरिफ (2009–14)

1.6.1 आयोग ने संयुक्त उद्यम कंपनियों और स्वतंत्र विद्युत उत्पादको के निम्नलिखित थर्मल पावर केन्द्रों के लिए अनंतिम टैरिफ को अनुमोदित किया है :

(i) यूनिट-I के वाणिज्यिक परिचालन की प्रत्याशित तारीख से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए एनटीपीसी तमिलनाडु ऊर्जा कंपनी लि (एनटीईसीएल) की वेल्यूर थर्मल पावर परियोजना (3 x 500 मैगावाट)

(ii) 21.4.2012 से यूनिट-III के वाणिज्यिक परिचालन की तारीख तक यूनिट-I और यूनिट-II के लिए अरावली पावर कंपनी प्रा. लि. की इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना (3 x 500 मैगावाट).

(iii) 27.12.2011 से 21.3.2012 तक मुक्त चक्रमोड (216 मैगावाट) में गैस टर्बाइन (जीटी–1) और प्रगति-III संयुक्त चक्र पावर प्रोजेक्ट प्रगति पावर कारपोरेशन लि. के संयुक्त चक्रमोड (342.80 मैगावाट) में 1.4.2012 से 31.3.14 तक संबद्ध वेस्ट हीट रिकवरी यूनिट के साथ 1 जीटी के लिए गैस टर्बाइन।

(iv) 2012–13 की अवधि के लिए मैथान पावर लि. के मैथान राइट बैंक थर्मल पावर प्लांट के यूनिट-I के 150 मैगावाट।

(v) 11.11.2011 से 31.03.2014 तक की अवधि के लिए उदीपी थर्मल पावर स्टेशन के यूनिट-I (600 मैगावाट)।

2. थर्मल उत्पादन में आयोग द्वारा संचालित अन्य मुद्दें

2.1 नीपको के गैस आधारित स्टेशनों के लिए हीट रेट मानदंडों की छूट :

आयोग ने केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2009 के विनियम 44 के अंतर्गत 26.05.2011 से असम गैस आधारित पावर परियोजना और अगरतला गैस टर्बाइन परियोजना के हीट रैट मानदंडो की छूट का अनुमोदन किया। असम गैस आधारित पावर परियोजना के हीट रैट मानदंडो को 2400 के कल/किलोवाट घंटा से बढ़ाकर केकल/किलोवाट से 2500 केकल/किलोवाट घंटा (संयुक्त चक्र) संशोधित किया गया और अगरतला गैस टर्बाइन को 3500

केकल/किलोवाट घंटा से 3700 केकल/किलोवाट घंटा (मुक्त चक्र) संशोधित कर दिया गया हैं। हीट रैट मानदंडो का पुनरीक्षण 2009–14 तक की अवधि के लिए 2009 के टैरिफ विनियमों को अंतिम रूप देने के लिए आयोग के सार्वजनिक नोटिस के प्रतिउत्तर में दिनांक 29.4.2008 के पत्र के माध्यम से आयोग को परिचालनगत आंकडो को प्रस्तुत करते समय याचिकाकर्त्ता की ओर से असावधानी से की गई गलती के कारण किया गया था। उक्त प्रस्तुति में 'ईंधन के भारित औसत निवल क्लॉरिफिक मूल्य' को ' ईंधन के भारित औसत सकल क्लॉरिफिक मूल्य' के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

2.2 कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण के कारण की गई अतिरिक्त लागत की वसूली से संबंधित सीपीएसयू अर्थात एनटीपीसी, एनएलसी इत्यादि की याचिकाएं :

आयोग ने 1.1.2007 से 31.3.2009 तक कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण के बाद और एनटीपीसी और एनएलसी केन्द्रों के लिए 1.1.2006 से 31.3.2009 के दौरान केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल(सीआईएसएफ) और केन्द्रीय विद्यालय स्टाफ के लिए किए गए अतिरिक्त लागत की वसूली के लिए याचिकाओं का निपटान किया।

2.3 याचिका संख्या 300/2009 में दिनांक 21.8.2012 के आदेश के माध्यम से आयोग ने 1.4.2004 और 31.3.2009 के बीच एनटीपीसी के विभिन्न अधिकारियों पर किए गए पूंजीगत व्यय के कारण नियम प्रभारों की वसूली को अस्वीकृत किया है।

2.4 आयोग ने वाणिज्यिक परिचालन की घोषणा में प्रत्याशित करते हुए 2x220 मैगावाट एनएलसी थर्मल पावर स्टेशन-II विस्तार प्लांट के वाणिज्यिक परिचालन की घोषणा तक यूआई मैकेनिज्म के अंतर्गत आरंभ की गई गतिविधियों के लिए विद्युत के आहरण के रूप में इनफर्म विद्युत के अंतःक्षेपण के लिए यथास्थिति बनाए रखने हेतु अनुमति मांगते हुए एनएलसी द्वारा दाखिल याचिका का निपटान किया।

2.5 आयोग ने 7.10.2012 से आगे (अर्थात् आरंभिक सिंक्रोनाइजेशन से छः माह के आगे) और माउदा एसटीपीपी के यूनिट-I (500 मैगावाट) के परीक्षण के लिए इनफर्म विद्युत के अंतक्षेपण के लिए 28 2 2013 तक समयावधि बढाने की स्वीकृति दी।

2.6 एनटीपीसी की याचिकाओं को ठीक करना

एनटीपीसी ने 2009–14 की अवधि के लिए टैरिफ में पुनरीक्षण के लिए याचिकाओं को ठीक करते हुए दाखिल करना आरंभ किया। वर्ष के दौरान 17 ठीक करने वाली याचिकाएं प्राप्त कि गई जिसमें से 10 याचिकाएं तकनीकी रूप से वैध थी और अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी। एनटीपीसी ने कुछ याचिकाओं के संबंध में कुछ अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत की जो आयोग में जांच के अधीन है।

2.7 ईंधन के रूप में कोयले सहित थर्मल पावर केंद्रों के लिए बैंचमार्क पूंजीगत लागत (हार्ड लागत)

2.7.1 राष्ट्रीय टैरिफ नीति के पैरा 5.3 में व्यवस्था है कि परियोजना की कुल पूंजी लागत की अनुमति देते समय उपयुक्त आयोग सुनिश्चित करेगा कि यह संगत है और – इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पूंजी लागत पर अपेक्षित बैंचमार्क विनियामक आयोग द्वारा विकसित किया जाना चाहिए। टैरिफ नीति के उक्त अधिदेश को ध्यान में रखते हुए 2009 टैरिफ विनियमों के विनियम 7 के खंड (2) के प्रथम परंतुक में व्यवस्था है कि थर्मल उत्पादन केंन्द्र व पारेषण प्रणाली के मामले में, पूंजी लागत की जांच समय समय से आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले बैंचमार्क मानदंडो के आधार पर कार्यान्वित की जाए।"

2.7.2 टैरिफ नीति के पैरा 5.3 को पूरा करते हुए और टैरिफ विनियमों 2009 के विनियम 7 के खंड (2) के पहले परंतुक को पूरा करने में आयोग ने दिनांक 4.6.2012 के आदेश के माध्यम से यूनिट आकार 500/600/660/800 मैगावाट के लिए थर्मल पावर स्टेशन हेतु पूंजीगत लाभ के लिए बैंचमार्क को विनिर्दिष्ट किया है जिसे 2009 टैरिफ विनियमों के विनियम 7 के खंड (2) के अनुसार पूंजीगत लागत के जांच के लिए विचार किया जाएगा। पूंजीगत लागत के लिए बैंचमार्को की समीक्षा की जा सकती है और कमीशन द्वारा निर्णय के अनुसार इस प्रकार के अंतराल पर या 6 महीने के आधार पर अद्यतन किया जाएगा।

7.5 हाईड्रो उत्पादन

7.5.1 वर्ष 2012–13 के दौरान आयोग ने एनएचपीसी, एनएचडीसी, नीपको, एसजीवीएनएल, टीएचडीसी और डीवीसी के निम्नलिखित केंद्रीय क्षेत्र हाइड्रो उत्पादनकारी केंन्द्रो के टैरिफ को विनियमित किया जो उत्तरी, पश्चिमी पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में स्थित हैं और उनकी **9760.20 मैगावाट** की कुल संस्थापित क्षमता है। केन्द्रों के ब्यौरे तथा वाणिज्यिक परिचालनों का वर्ष **अनुबंध V** मे दिया गया है। **केविविआ की परिधि के अंतर्गत हाइड्रो केंद्रो के समन्वित टैरिफ अनुबंध VI दिए गए हैं।**

7.5.2 आयोग ने निम्नलिखित हाइड्रो केंद्रो के अंतिम उत्पादन टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिकाओ का निपटान किया:

(i) एनएचडीसी के इंदिरा सागर हाइड्रो पावर स्टेशन 1000 मैगावाट (8x125 मैगावाट) के 2009–14 की अवधि के लिए टैरिफ।

(ii) एनएचपीसी का चमेरा हाइड्रो पावर स्टेशन चरण-II 300 मैगावाट (3x100 मैगावाट) का 2009–14 वर्ष की अवधि के लिए टैरिफ।

(iii) नीपको का दोयांग हाइड्रो स्टेशन 75 मैगावाट (3x25 मैगावाट)2009–14 वर्ष की अवधि के लिए टैरिफ

(iv) एनएचपीसी का तीस्ता हाइड्रो स्टेशन चरण-V 510 (3x170 मैगावाट) 2008–09 वर्ष की अवधि के लिए टैरिफ।

7.5.3 एनएचपीसी के चमेरा हाइड्रो स्टेशन स्टेज– III (3x35=105 मैगावाट) का 2009–14 की अवधि के लिए अनंतिम उत्पादन टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका को निपटाया गया।

7.5.4 निम्नलिखित हाइड्रो स्टेशन की पुनरीक्षण याचिकाओं को निपटाया गया :.

(i) एनएचपीसी का टंकापुर हाइड्रो स्टेशन (3x31.40=94.20 मैगावाट) – 2009–14 की अवधि के लिए टैरिफ की समीक्षा की गई और संशोधन किया गया।

(ii) एनएचपीसी का सलल हाइड्रो स्टेशन (6x115=690 मैगावाट) – 2009–14 की अवधि के लिए टैरिफ की समीक्षा की गई और संशोधन किया गया।

(iii) एनएचपीसी का रंगीत हाइड्रो स्टेशन (3x20=60 मैगावाट) – 2009–14 की अवधि के लिए टैरिफ की समीक्षा की गई और संशोधन किया गया।

(iv) एनएचपीसी का वैरास्योल हाइड्रो स्टेशन (3x60=180 मैगावाट) – 2009–14 की अवधि के लिए टैरिफ की समीक्षा की गई और संशोधन किया गया।

(v) एनएचडीसी का औंकारेश्वर हाइड्रो स्टेशन (8x65=520 मैगावाट) – 2007–09 तक की अवधि के लिए टैरिफ की समीक्षा की गई और संशोधन किया गया।

(vi) एनएचपीसी का उरी हाइड्रो स्टेशन (4x120=480 मैगावाट) – 2009–14 की अवधि के लिए टैरिफ की समीक्षा की गई और संशोधन किया गया।

(vii) एनएचपीसी का लोकटक हाइड्रो स्टेशन (3x35=105मैगावाट) – 2009–14 की अवधि के लिए टैरिफ की समीक्षा की गई और संशोधन किया गया।

7.5.5 निम्नलिखित हाइड्रो केंद्रों के अंतिम उत्पादन टैरिफ से संबंधित याचिकाएं प्रगति में है/विचारार्थ हैं:

(i) 2009–14 की अवधि के लिए टीएचडीसी की टिहरी हाइड्रो पावर परियोजना (4x250 मैगावाट)

(ii) 2011–14 की अवधि के लिए टीएचडीसी का (कोटेश्वर एचई परियोजना)(4x100 मैगावाट)

(iii) 2009–14 की अवधि के लिए एचजेवीएनएल की नेथफा झाकरी परियोजना (6x250 मैगावाट)

(iv) 1.12.2011 से 31.3.2013 की अवधि के लिए एनएचपीसी की उरी हाइड्रो विद्युत परियोजना चरण–II

(v) 2009–14 की अवधि के लिए एनएचपीसी की तिस्ता हाइड्रो विद्युत परियोजना चरण–V (3x170 मैगावाट)

(vi) 1.4.13 से 31.3.2014 की अवधि के लिए एनएचपीसी की तिस्ता लोडैम परियोजना चरण–III (4x33 मैगावाट)

(vii) 1.9.2011 से 31.3.2014 की अवधि के लिए एनएचपीसी की चटक एचई परियोजना (4x11 मैगावाट)

(viii) 2009–14 की अवधि के लिए डीवीसी की पंचेत, मैथान एवं तिलैया हाइडल पावर केंद्र

7.5.6 वास्तविक पूंजी व्यय पर आधारित 2009–14 तक की अवधि के लिए टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए निम्नलिखित हाइड्रो केंद्रो की याचिकाओं को ठीक करना प्रगति पर है/विचारार्थ है।

(i) एनएचपीसी की सलल एचई स्टेशन (6x115=690 मैगावाट)

(ii) एनएचपीसी की दुलहस्ती एचई स्टेशन (3x130=390 मैगावाट)

(iii) एनएचपीसी का चमैरा एचई स्टेशन चरण–I (3x100=300 मैगावाट)

(iv) एनएचपीसी का तनकपुर एचई स्टेशन (3x31.4=94.20 मैगावाट)

(v) एनएचपीसी का दुलीगंगा एचई स्टेशन (4x70 मैगावाट)

(vi) एनएचपीसी का लोकतक एचई स्टेशन (3x35=105 मैगावाट)

(vii) एनएचपीसी का बेरूसुअल एचई स्टेशन (3x60=180 मैगावाट)

(viii) एनएचपीसी का रंगीत एचई स्टेशन (3x20=60 मैगावाट)

(ix) एनएचपीसी चमैरा एचई स्टेशन चरण–II (3x100=300 मैगावाट)

(x) एनएचपीसी का उरी एचई स्टेशन (4x120=480 मैगावाट)

7.5.7 अन्य कार्य

7.5.7.1 हाईड्रो विद्युत परियोजना की अनुसूची आरंभ करने के लिए मार्गनिर्देश

(i) आयोग ने 2010 में राज्य नियंत्रित या निजी अर्थात प्राइवेट सेक्टर परियोजना न होते हुए हाइड्रो विद्युत परियोजनाओं की अनुसूची आंरभ करने के लिए ड्राफ्ट मार्गनिर्देशों पर टिप्पणी आमंत्रित की थी। जुलाई, 2011 में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार संकल्प स 23/22005 आरएंडआर(खंड 4) दिनांक 8.7.2011 के माध्यम से हाइड्रो टैरिफ नीति को संशोधित किया और 'राज्य नियंत्रित या निजी न होने के नाते' शब्दों को हटा दिया इस प्रकार इसे राज्य/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए प्राईवेट डेवलेपर के लिए लागू प्रावधान करते हुए लागू कर दिया। इस लिए आयोग ने ड्राफ्ट मार्गनिर्देशों को संशोधित करने का निर्णय लिया ताकि इसे सीपीएसयू के लिए भी लागू किया जा सके। परामर्श ऊर्जा इंन्फ्राट्रेक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट संवीक्षा के अधीन है।

(ii) नामित स्वतंत्र एजेसिंयों/संस्थाओं की सूची

टैरिफ विनियम 2009 के केंन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग विनियम 7 (2) के अनुसरण में 4 एजेसिंयों को पहले ही हाइड्रो विद्युत परियोजनाओं पूंजीगत लागत की जांच के लिए नामित स्वतंत्र एजेंसियों/संस्थाओं के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। कुछ एजेंसियों ने नामित एजेंसियों के रूप में नाम सूची के लिए आयोग से संपर्क किया है। पैनल को बढाने के उद्देश्य से नवम्बर 2011 में नये कोटेशन स्वतंत्र एजेंसियों/सस्थाओं के लिए आमंत्रित किए गए। दो और एजेंसियों को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के आदेश दिनांक 23.2.2012 के माध्यम से नामित एंजेसिंयो के माध्यम से नाम सूची में डाला गया।

7.5.7.2 विद्युत संयत्रों एवं पर्याप्त प्रणाली के सृजन से संबंधित कार्यदल का गठन

26.7.2012 को सीईए द्वारा कार्यदल का गठन किया गया जिसमें कार्यदल, के अध्यक्ष के रूप में सीईए के अध्यक्ष,

सदस्य सचिव के रूप में प्रमुख (इंजी)सीईआरसी तथा उत्पादनकारी कंपनियों, वितरण कंपनियों, पोसोको, विद्युत मंत्रालय (भारत सरकार), सीईए, उपकरण विनिर्माता से सदस्यों और परामर्शदाता को शामिल किया गया।

7.5.7.3 आरजीएमओ कार्यान्वयन

आयोग ने उत्पादनकारी केंद्रो द्वारा परिचालन के नियंत्रित गवर्नर मोड से संबंधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2010 के विनियम, 5.2 (च) के अनुपालन के लिए अपनी ओर से याचिका संख्या 191/2011 में 31 12 2012 के आदेश के माध्यम से उनकी उत्पादनकारी यूनिटों में आरजीएमओ के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में आयोग के नोटिसों के उत्तर न देने के लिए प्रत्येक को 1 लाख रू के दंड लगाते हुए कुछेक उत्पादनकारी कंपनियों/विद्युत बोर्डो को दंडित किया है।

इसके अलावा, आयोग ने उक्त आदेश में एनएलडीसी को निदेश दिया कि कुछेक चुनिंदा थर्मल एवं हाइड्रो उत्पादनकारी केंद्रों के लगातार प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए सदस्य (थर्मल) सीईए की अध्यक्षता के अंतर्गत गठित कार्यदल को सहायता दी जा सके और समयबद्ध रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।

7.6 पारेषण :

क. पारेषण टैरिफः

देश में पारेषण प्रणाली तेज गति से बढ़ रही है और आयोग टैरिफ तथा कनेक्टीविटि, निर्बाध पहुंच, पारेषण प्रभारों की शेयरिंग अननुसूचित अंतः परिवर्तन एवं ग्रिड संबद्ध मुद्दों से संबंधित विविध याचिकाओं के बारे में अधिकतम कार्य को संचालित करता है।

आयोग ने अनंतिम आदेशों सहित अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) से संबद्ध याचिकाओं में कई आदेशों को जारी किया है। अधिकांश टैरिफ याचिकाएं टैरिफ अवधि 2009–14 से संबंधित पीजीसीआईएल द्वारा दाखिल की गई हैं और कई याचिकाएं वर्ष 2012–13 के दौरान आरंभ की गई आस्तियों के टैरिफ के निर्धारण के लिए की गई है। इस प्रकार की ऐसी याचिकाएं रही हैं जिसमें समर्पित लाइनें आईएसटीएस का हिस्सा हो गई और इस प्रकार के लाईनों की याचिकाएं वर्ष 2012–13 के दौरान निपटाई गई।

ख. ग्रिड नियंत्रण की मॉनिटरिंग एवं प्रवर्तनः

i. उत्तरी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा याचिका संख्या 125/एमपी/2012

एनआरएलडीसी ने 1.1.12 से 25.3.2012 तक उतरी क्षेत्र की संघठकों द्वारा सतत अधिक आहरण के कारण उचित निर्देशों की मांग करते हुए याचिका दाखिल की। इस मामले की 3.5.12 को सुनवाई की गई और 20.5.2012 तक वापसी योग्य उत्तरी क्षेत्र के संघठकों को नोटिस जारी किया गया। चूंकि ग्रिड से अधिक आहरण सतत रहा अतएव याचिकाकर्त्ता ने 1.5.2012 से 14.5.2012 तक अधिक आहरण के डाटा द्वारा आधारित आईए सं

25/2012 दाखिल की तथा उत्तरी क्षेत्र के संघटकों को उचित निदेशों की मांग की ताकि अधिक आहरण को समाप्त किया जा सके ग्रिड की सुरक्षा को बनाए रखा जा सके।

याचिकाकर्त्ता की सुनवाई के बाद, आयोग ने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र के संघठकों को निर्देश दिया कि अनुसूची के अंतर्गत उनके अधिक आहरण को नियंत्रित किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि केविविआ(भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2010 के विनियम 6.4.8, 5.4.2 (क) और 5.4.2 (ख) का उल्लंघन न हो। आयोग ने प्रणाली की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए एनआरएलडीसी के निदेशों का पालन करने के लिए उत्तरी क्षेत्र के संघटको को भी निर्देश दिया।

आयोग ने 31.5.2013 को याचिका की सुनवाई की और 10.7.2012 के अपने आदेश के माध्यम से विस्तृत निदेश जारी किए। आयोग ने अन्य बातों के साथ साथ यह निर्देश दिया कि उक्त आदेश में आयोग के निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रयोज्यताओं/राज्यभार प्रेषण केंद्रों के समूचे कार्य में अधिकारियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा। इसके 2 आवेदनों अर्थात आईए सं 35/2012 तथा आईए सं. 38/2012 के माध्यम से याचिकाकर्ता द्वारा 1.6.2012 से 30.60.12 तथा 10.7.12 और 16.7.12 की क्रमशः अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र के संगठकों द्वारा अधिक आहरण की स्थिति को आयोग के नोटिस में लाया गया। आयोग ने 26.7.2013 को याचिका पर सुनवाई की। आयोग ने नोट किया कि आयोग के निर्देशों के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। अपने आदेश के माध्यम से आयोग ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर के एसटीयू/एसएलडीसी के प्रभारी अधिकारियों को निदेश दिया कि वे 14.8.2012 को आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों।

एनआरएलडीसी ने 30.7.2012 और 31.7.2012 को हुए ग्रिड व्यवधान को ध्यान में रखते हुए आयोग के अनुग्रह की मांग करते हुए 3.8.2012 को आईए सं. 45/2012 दाखिल की।

जैसा कि 30.7.2012 के केविविआ के आदेश में निदेश दिया गया है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान के राज्यों के एसटीयू/एसएलडीसी के प्रभारी अधिकारी 14.8.2012 को आयोग के समक्ष प्रस्तुत हुए ग्रिड से अधिक आहरण को मना किया या आरएलडीसी के निदेशों का गैर अनुपालन को मना नहीं किया। पीडीडी, जम्मू एवं कश्मीर के प्रभारी अधिकारी नोटिस के बावजूद उपस्थित नहीं हुए। आयोग ने ग्रिड नियंत्रण जैसे गंभीर मामले में आयोग के आदेश के प्रति संबद्ध अधिकारी के व्यवहार की निदां की।

आयोग ने विचार किया कि यह अधिकारी न केवल हमारे निर्देशों का अनुपालन करने में असफल रहें बल्कि अधिनियम एवं ग्रिड कोड के अंतर्गत अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में भी असफल रहे। आयोग ने अपने निर्देशों के गैर अनुपालन के लिए और अधिनियम एवं ग्रिड कोड के प्रावधानों के अनुदेशो का पालन न करने के लिए दंड लगाने के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान और जम्मू कश्मीर राज्यों के एसटीयू/एसएलडीसी के प्रभारी अधिकारियों के विरूद्ध अधिनियम की धारा 142 के अंतर्गत कार्रवाई के लिए आयोग के स्टाफ को निर्देश दिया।

ii. आईईजीसी, 2010 के गैर अनुपालन के विरूद्ध याचिका संख्या 178/एसएम/2012

आयोग ने अधिनियम के उपबंधों और ग्रिड कोड तथा आयोग के निर्देशों के गैर अनुपालन के लिए दंड लगाने के लिए उत्तर प्रदेश, उतराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर के एसटीयू/ एसएलडीसी के प्रभारी अधिकारियों को 7.9.2012 को कारण बताओं नोटिस जारी किया।

दिनांक 7.9.2012 के कारण बताओं नोटिस के उत्तर में एसएलडीसी/एसटीयू हरियाणा के प्रतिवादियों ने शपथ पत्र दिनांक 20.9.2012 के माध्यम से संयुक्त उत्तर प्रस्तुत करते हुए दाखिल की कि मई से सितंबर 2012 माह के दौरान राज्य में कृषि प्रयोजन के लिए विद्युत की भारी मांग थी। 2011 में उसी अवधि के दौरान किसी भी स्थिति में पीक लोड 6400 मैगावाट था। उक्त मांग पर विचार करते हुए हरियाणा की विद्युत प्रयोज्यताओं ने विभिन्न स्रोतो से 7200 मैगावाट की व्यवस्था की। तथापि, 600 मैगावाट की कुल क्षमता वाले एचपीजीसीएल के यमुनानगर उत्पादनकारी केन्द्रों के दो यूनिटों और राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन के एक यूनिट के कारण और कोयले की गैर उपलब्धतता के कारण झझर पावर प्लांट के गैर परिचालन के कारण राज्य में विद्युत की

कमी रही जो 73 प्रतिशत की सीमा तक मई से अगस्त, 2012 के दौरान वर्षा की कमी के कारण रही।

विद्युत की कमी की पूर्ति के उद्देश्य से हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र ने पावर एक्सचैंजों के माध्यम से, अन्य राज्यों के साथ बैंकिंग एवं मई, जून और जुलाई 2012 के दौरान अल्पकालीन विद्युत क्रय जैसे विभिन्न स्रोत्रों से विद्युत आपूर्ति बढ़ाने की व्यवस्था की। एनआरएलडीसी तथा अपनी ओर से अधिक आहरण मैसेजों की प्राप्ति पर एचवीपीएनएल ने मई से अगस्त 2012 माह के दौरान अधिक आहरण को कम करने के लिए दो वितरण कंपनियों को मैसेज जारी किए। 10.9.2012 को एचवीपीएनएल ने हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष याचिका दाखिल की जिसमें भारतीय विद्युत ग्रिड कोड और राज्य ग्रिड कोड के प्रावधानों के अनुपालन में हरियाणा की वितरण कंपनियों के लिए निर्देशों की मांग की गई और उनकी ऊर्जा अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए यूआई मैकेनिज्म पर पूरी तरह से निर्भर करते हुए और लगातार अधिक आहरण से बचने के लिए ऐसा किया गया।

प्रतिवादियों की प्रस्तुति पर आधारित आयोग ने हरियाणा की वितरण कंपनियों द्वारा प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य आयोग के समक्ष मामले को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश दिए। आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम और ग्रिड कोड के अंतर्गत सभी संभव अनुज्ञेय उपायों को करने के लिए प्रतिवादियों को सख्त चेतावनी दी की भविष्य में राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कोई अधिक आहरण न किया जाए। तदनुसार आयोग ने प्रतिवादियों के विरुद्ध धारा 142 के अंतर्गत नोटिस डिस्चार्ज किए और याचिका को उपरिलिखित निर्देशों के अनुसार निपटान किया गया।

iii. राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लि. के विरुद्ध याचिका संख्या 179/एसएम 2012

आयोग के निर्देशों और विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों एवं केविविआ(भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2010 के उपबंधों एवं आयोग के निर्देशों के गैर अनुपानल के मामलें में आयोग ने 7.9.2012 का आदेश जारी किया।

आयोग द्वारा याचिका संख्या 125/एमपी/2012 में अपने आदेश दिनांक 10.7.2012 में आयोग द्वारा दिए गए प्रतिउत्तर में राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लि. और राजस्थान की 3 वितरण कंपनियों अर्थात जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. ने अपने उत्तर दाखिल किए। तथापि उन्होंने स्वीकार किया कि अधिक आहरण पावर उत्पादन के उच्चावचन के कारण अंतिम उपाय के रूप में हुए।

14.8.2012 को सुनवाई के दौरान राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. के प्रतिनिधि ने स्वीकार किया कि पवन ऊर्जा में भिन्नता के कारण राज्य को ग्रिड से कभी कभार अधिक आहरण का दबाव रहा। एनआरएलडीसी से मैसेज की प्राप्ति पर तत्काल कार्रवाई की गई और वितरण कंपनियों को उनके भार को कम करने के लिए हिदायत दी गई और कुछ अवसरों पर फीडरों को खोला गया।

प्रतिवादी ने 16.7.2012 से 10.7.2012 तक की अवधि के लिए डाटा दिया और अगस्त 2012 के माह के लिए डाटा दिया। आयोग के आदेश दिनांक 17.8.2012 में नोटिस किया गया कि 10.7.2012 से 16.7.2012 तक की अवधि के दौरान राजस्थान 9ए मैसेज, 5बी मैसेस और 1सी मैसेज जारी किए गए। 11.7.2012 से 31.7.2012 तक की अवधि के लिए डाटा पर विचार करते हुए यह नोटिस दिया गया कि राजस्थान को इस अवधि के दौरान 16सी मैसेज जारी किए गए। अधिकतम अधिक आहरण 17.7.2012 को 1374 मैगावाट था जब फ्रीक्वेंसी 49.17 एचजेड थी। इस अवधि के दौरान यह फ्रीक्वेंसी उत्तरी क्षेत्र में 465 टाइम ब्लॉकों में 49.5 एचजेड से नीचे चली गई और राजस्थान में 412 टाईम ब्लाकों मे अधिक आहरण किया। 20.7.2012 को राजस्थान 34वें टाइम ब्लाक में 1235 मैगावाट की अपनी अनुसूची के लिए 3191 मैगावाट का आहरण कर रहा था जिससे 1995 मैगावाट का अधिक आहरण हुआ। इस प्रकार राजस्थान का यह दावा कि इसने आयोग के निर्देशों के बाद अधिक आहरण को नियंत्रित किया है वह सही नहीं पाया गया चूंकि राजस्थान अनुसूची में दुगने से अधिक का आहरण कर रहा था।

आयोग ने पाया कि 20.7.2012 को राजस्थान राज्य में अत्यधिक आहरण था। 14.3.2013 के अपने आदेश में

आयोग ने विचार किया कि एसटीयू एवं एसएलडीसी ने राजस्थान राज्य मे अधिक आहरण को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए। प्रत्येक पर 90,000 रूपए का दंड एसटीयू और एसडीएलसी पर लगाया गया। 2 प्रतिवादियों को आदेश जारी होने की तारीख से 1 माह के अंदर दंड जमा कराने का निर्देश दिया गया।

iv. राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा याचिका संख्या 190/एमपी/2012

एनएलडीसी ने स्वीकार किया कि जांच समिति ग्रिड व्यवधान के प्रभावों में अध्यक्ष सीईए की अध्यक्षता के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा गठित की गई थी। जांच समिति ने ग्रिड व्यवधान के कारणों में एक अधिक आहरण का चयन किया। एनएलडीसी ने स्वीकार किया कि संकुलता प्रभार वाणिज्यिक संकेतों के माध्यम से संकुलता से छुटकारे के लिए एक साधन है जो दबावपूर्ण मामलों में महत्वपूर्ण है। इसलिए ग्रिड को सुरक्षित ढंग से प्रचालित करने के उद्देश्य से संकुलता प्रभारों का लगाया जाने की दबावपूर्ण मामलें में अनुमति दी जानी चाहिए। तदनुसार एनएलडीसी को अनुरोध किया गया 'वास्तविक समय परिचालन में संकुलता से छुटकारे' के लिए विस्तृत क्रियाविधि के संगत खंडो को संशोधित किया जाए।

आयोग ने याचिका का अनुसरण किया याचिकाकर्त्ता के प्रतिनिधि की सुनवाई की। आयोग ने निर्देश दिया की मौजूदा याचिका को यूआई विनियमों के संसोधनों के लिए पोसोको के प्रस्ताव के रूप में माना जाए और प्रस्ताव की समीक्षा के लिए स्टाफ को निर्देश दिया और समयबद्ध रूप में विचारार्थ आयोग को प्रस्तुत किया।

v. यू ग्रिड के संघटकों के विरूद्ध याचिका संख्या 195/एसएम/2012:

2010 के विनियम 5.4.2 आईईजीसी (ग्रिड कोड) ने राज्य प्रयोज्यताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए शामिल किया गया कि उस समय कोई अधिक आहरण नहीं है जब फ्रीक्वैंसी 49.5 एचजेड या उससे कम है। इन विनियमों में अधिदेश दिया गया है कि एसएलडीसी/एसईबी/वितरण अनुज्ञप्तिधारी/बल्क उपभोक्ता निवल आहरण अनुसूची के अंदर ग्रिड से नियंत्रण क्षेत्र में अधिक आहरण को नियंत्रित करने के लिए उस समय कार्रवाई करेंगे जब कभी प्रणाली फ्रीक्वैंसी 49.7 एचजेड तक कम हो जाती है।

एनआरएलडीसी ने आईईजीसी के अनुसार उत्तरी क्षेत्र के संघटकों द्वारा प्रभावी उचित भार प्रबंधन एवं अधिक आहरण को समाप्त करते हुए समूचे न्यू ग्रिड के ग्रिड सुरक्षा के रख रखाव के लिए आयोग के निर्देश की मांग करते हुए याचिका सं0 195/एमपी/2011 दाखिल की।

एनआरएलडीसी ने रिपोर्ट किया की सितंबर/अक्तूबर 2011 के माह के दौरान कोयला स्टोरैज और अन्य संबद्ध मुद्दों के कारण ग्रिड में थर्मल उत्पादन की उपलब्धता में कमी रही।

एनआरएलडीसी ने रिपोर्ट किया की कुछेक दिनों में अर्थात 28–29 सितंबर 2011 में फ्रीक्वेंसी समय के 50 प्रतिशत से अधिक की अपेक्षा 49.5 एचजेड से कम रही। आयोग को रिपोर्ट किया गया कि उत्तरी क्षेत्र के संघटकों द्वारा विशेष रूप से उत्तर प्रदेश हरियाणा और राजस्थान राज्यों के संघटकों द्वारा दैनिक अधिक आहरण महत्वपूर्ण रूप से अधिक रहा।

आयोग ने 14.6.2012 आदेश के माध्यम से सभी राज्य विद्युत बोर्डो, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों, एसटीयू और एसएलडीसी को निर्देश दिया कि न्यू ग्रिड के सुरक्षित एवं विश्वसनीय परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए ग्रिड कोड का अनुपालन किया जाए। गैर अनुपालन के मामलों को ग्रिड कोड के प्रावधानों के अनुसार आरपीसी/आरएलडीसी द्वारा रिपोर्ट किया जाएगा।

ग. गैर अनुसूचित अंतःपरिवर्तन भुगतान में चूक करने वाली प्रयोज्यताओं पर कार्रवाई।

उपलब्धता आधारित टैरिफ मैकेनिज्म के अतर्गत अनुसूची से किसी प्रकार का विचलन यूआई प्रभारों के माध्यम से अदा किया जाता है। यूआई प्रभारों को सप्ताहिक आधार पर जारी किया जाता है और यूआई प्रभारों का भुगतान उच्च प्राथमिकता आधार पर होता है। संघटकों से संबंधित आरपीसी द्वारा यूआई बिल के जारी होने 10 दिन के अंदर आरएलडीसी द्वारा बनाए गए क्षेत्रीय पूल में प्रतिदेय यूआई अदा करने की अपेक्षा होती है। 2012–13 के दौरान आयोग ने पाया कि संघटकों द्वारा यूआई प्रभारों के गैर भुगतान के मामले रहे और इन चूककर्त्ता प्रयोज्यताओं के विरूद्ध कार्रवाई की गई।

i. विद्युत विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार के विरुद्ध याचिका सं 181/एसएम/2012

आयोग के निर्देशों के गैर अनुपालन के मामले में और विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों तथा केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2010 के प्रावधानों के गैर अनुपालन के मामलें में आयोग का दिनांक 7.9.2012 का आदेश।

जैसाकि याचिका सं0 125/एमपी/2012 में केविविआ के आदेश दिनांक 30.7.2012 में निर्देश दिया गया है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों के प्रभारी अधिकारी 14.8.2012 को आयोग के समक्ष प्रस्तुत हुए। पीडीडी, जम्मू और कश्मीर के प्रभारी अधिकारी नोटिस के बावजूद उपस्थित नहीं हुए।

यह नोट किया गया कि न तो उत्तर दाखिल किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की अतएव आयोग ने ग्रिड अनुशासन जैसे मामले में आयोग के आदेश के प्रति प्रतिवादियों के इस रूझान की निन्दा की। प्रतिवादियों को 17.9.2012 के कारण बताओं का निदेश दिया गया कि उनके विरुद्ध विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 के अंतर्गत उनके विरुद्ध दंड क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए और अधिनियम, ग्रिड कोड के उपबंधों, एनआरएलडीसी के निर्देशों एवं आयोग के आदेशों के उल्लंघन के लिए उनके वेतन से दंड राशि वसूल क्यों नहीं की जानी चाहिए।

कारण बताओं नोटिस दिनांक 3.9.2012 के उत्तर में प्रतिवादियों ने दिनांक 21.9.2012 के शपथ पत्र के माध्यम से संयुक्त उत्तर दाखिल किया। प्रतिवादियों ने स्वीकार किया कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य में ग्रिड कोड के अंतर्गत सांविधिक नियमों एवं विनियमों के अनुपालन का लगातार प्रयास करता रहा है।

निर्धारित अनुसूची पर बने रहने के लिए सभी प्रयास जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास द्वारा किए गए। तथापि पीक घंटों के दौरान जब स्थिति नियंत्रण योग्य नहीं थी तब अधिक आहरण की छोटी रकम को अल्पावधि के लिए बचाया नहीं जा सका। जुलाई के चौथे सप्ताह के दौरान आरंभ रमजान के पवित्र माह तथा तदनुसार राज्य के लोगों के लिए प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए और ग्रिड से अधिक आहरण नहीं करने के लिए राज्य ने अग्रिम योजना तैयार की और बाजार से विद्युत का क्रय किया। प्रतिवादियों ने तत्काल लोड शैडिंग के प्रभार का मुकाबला करने के लिए 33 केवी और 132 केवी लाईनों पर 20–30 मैगावाट के लोड ब्लॉक का पहले से पता लगाया जब महत्वपूर्ण मैसेज ग्रिड नियंत्रण से प्राप्त किए गए। यह भी स्वीकार किया गया कि उत्तरी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (एनआरएलडीसी) की रिपोर्टो से प्रमाणित होता है कि जम्मू एवं कश्मीर के राज्य किसी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं।

आयोग ने पाया कि केविविआ के आदेश दिनांक 10.7.2012 में दिए गए निर्देशों के अनुसार न्यूनतम अनुपालन रहा है। यह तथ्य है कि राज्य ने उन आहरण को रोकने के लिए प्रतिवादी को आयोगों के निर्देशों के बावजूद अनुसूची में इसके आहरण को सीमित नहीं किया और आयोग ने अपने निर्देशों के अनुपालन न करने के लिए 50000 के दंड को लगाया। आयोग ने एनआरएलडीसी को निर्देश दिया कि वह निर्देशों के अनुसार अनुपालन को मॉनिटर करे और आयोग को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

ii. हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लि. के विरुद्ध याचिका सं 232/एसएम/2012

हरियाणा विद्युत प्रसारण नि लि. द्वारा अनुसूचित अधिक आहरण में आहरित ऊर्जा में यूआई प्रभारों के भुगतान में चूक के मामले में आयोग के 17.10.2012 के आदेश में नोट किया है कि अधिभार सहित 243.83 करोड़ रूपए 31.8.2012 की स्थिति के अनुसार हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लि. के विरुद्ध अभी तक बकाया था। आयोग ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लि. को निदेश दिया कि 31.10.2012 तक समूचे यूआई भुगतान को समाप्त करें और व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करें की बकाया यूआई प्रभार समाप्त हो गए हैं।

इसके बाद याचिका पर 20.11.2012 को सुनवाई की गई जिसमें एनआरएलडीसी द्वारा सूचित किया गया कि हरियाणा में सभी बकाया यूआई देयताओं को क्लीयर कर दिया है। तदनुसार आयोग ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 के अंतर्गत हरियाणा विद्युत प्रसारण नि लि. के विरुद्ध नोटिस को डिस्चार्ज कर दिया है।

iii. पंजाब राज्य विद्युत कारपोरेशन लि. के विरुद्ध यचिका सं 233/एसएम/2012

पंजाब राज्य विद्युत कारपोरेशन लि द्वारा अनुसूचित

अधिक आहरण में आहरित ऊर्जा में यूआई प्रभारों के भुगतान में चूक के मामलें में आयोग ने अपने आदेश दिनांक 17.10.2012 के माध्यम से नोट किया कि अधिभार सहित 282.63 करोड़ रूपए 31.8.2012 की स्थिति के अनुसार पंजाब राज्य विद्युत कारपोरेशन लि. के विरुद्ध अभी तक बकाया था। आयोग ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पंजाब राज्य विद्युत कारपोरेशन लि. को निदेश दिया कि 31.10.2012 तक समूचे यूआई भुगतान को समाप्त करें और व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करें कि बकाया यूआई प्रभार समाप्त हो गए हैं।

दोबारा 20.11.2012 को याचिका पर सुनवाई की गई जिसमें एनआरएलडीसी द्वारा सूचित किया गया कि 188.71 करोड़ रु की राशि यूआई भुगतान के लिए पीएसपीसीएल के विरुद्ध बकाया है। पीएसपीसीएल के प्रतिनिधि ने स्वीकार किया कि नकदी संकट के कारण पीएसपीसीएल इस स्थिति में नहीं था कि 31.10.2012 तक बकाया यूआई देयताओं के एकमुश्त भुगतान कर सके। पीएसपीसीएल ने स्वीकार किया कि नकदी प्रवाह के दबावों के बावजूद पीएसपीसीएल प्रत्येक सप्ताह 11 करोड़ रुपए की दर पर तथा 31.03.2013 तक बकाया यूआई देयताओं को क्लीयर करने के लिए चालू यूआई बिल का भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अंतिम रूप में याचिका पर 18.12.2012 को सुनवाई की गई जिसमें एनआनएलडीसी द्वारा सूचित किया गया कि यूआई आहरण के कारण पीएसपीसीएल के विरुद्ध 131 करोड़ रूपए की राशि बकाया है। पीएसपीसीएल ने यूआई प्रभारों के भुगतान सहित यूआई देयताओं के समापन के लिए 3 माह के समय का अनुरोध किया है। आयोग ने एनआरएलडीसी को निदेश दिया है कि पीएसपीसीएल की यूआई भुगतान की स्थिति के बारे में फरवरी से आरंभ होने वाले प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में आयोग को सूचित करें।

तदनुसार आयोग ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 के अंतर्गत पंजाब राज्य विद्युत कार्पोरेशन लि. के विरुद्ध नोटिस डिस्चार्ज किया।

iv. उत्तर प्रदेश विद्युत कार्पोरेशन लि0 के विरुद्ध याचिका सं0 239/एसएम/2012

आयोग ने उत्तर प्रदेश विद्युत का0 लि0 (यूपीपीसीएल), लखनऊ द्वारा अनुसूचित अधिक आहरण में आहरित ऊर्जा में यूआई प्रभारों के भुगतान में चूक के मामलें में दिनांक 17.10.2012 के आदेश में नोट किया है कि अधिभार सहित 2561.61 करोड़ रू 31.08.2012 की स्थिति के अनुसार यूपीपीसीएल के विरुद्ध बकाया थे। आयोग ने चालू यूआई देयताओं के अतिरिक्त कम से कम 113 करोड़ रूपए प्रतिमाह का भुगतान करने के लिए लोचशीलता की अनुमति दी है। आयोग ने 31.10.2012 तक समूचे यूआई भुगतान को समाप्त करने के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, यूपीपीसीएल को निदेश दिया है कि वह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करें की बकाया यूआई प्रभार समाप्त हो गए हैं।

इसके अलावा 20.11.2012 को याचिका पर सुनवाई की गई जिसमें आयोग द्वारा नोटिस किया गया कि प्रतिवादी ने जून 2012 से आंरभ होने वाली 6 मासिक किस्तों में बकाया यूआई राशि को समाप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान नहीं किया। आयोग ने प्रतिवादी को निर्देश दिया की वह सुनवाई की अगली तारीख को उपस्थित हो और यह स्पष्टीकरण दें की उन्हें दिनांक 19.11.2012 के आदेश के गैर अनुपालन में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी क्यों न माना जाए।

दोबारा याचिका पर 8.1.2013 को सुनवाई की गई जिसमें एमडी, यूपीपीसीएल ने पूर्ववर्ती आदेश के अनुसार भुगतान न करने के लिए यूपीपीसीएल की असफलता के लिए क्षमा मांगी और यह स्पष्ट किया कि यह कंपनी की अस्थिर वित्तीय स्थिति के कारण हुआ। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि फिलहाल यूपीपीसीएल की 2200 करोड़ की बकाया देयताओं सहित 14500 करोड़ रू की संचित देयता है। यह राशि एकमुश्त है और बैंक ऋण के बिना इसका भुगतान करना संभव नहीं है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने बकाया विद्युत क्रय देयता को समाप्त करने के लिए विद्युत कंपनियों की पुनस्थापना के लिए योजना को अनुमोदित किया है। वित्तीय पुनर्संरचना को बैंकों द्वारा अनुमोदित किया गया था और नंवम्बर 2012 से टैरिफ का पुनरीक्षण भी किया गया है अतएव यूयूपीसीएल की नकदी प्रवाह समस्या आसान होने की संभावना है। इसे जनवरी, 2013 से आरंभ होने वाले प्रत्येक माह 100 करोड़ रू का भुगतान करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि यह ग्रिड से कोई अधिक आहरण नहीं होगा।

एनआरएलडीसी के प्रतिनिधि ने दावे के विपरीत यह स्वीकार किया कि कोई आहरण नहीं होगा। यूपीपीसीएल 8.1.2013 की सुबह में ग्रिड से 1000 मैगावाट का आहरण कर रहा था। आयोग ने एनआरएलडीसी को निदेश दिया की यूपीपीसीएल सहित उत्तरी क्षेत्र के संघटकों अधिक आहरण के मामलें में फीडरों को खोला जाए। उक्त अनुमत्त किस्तों के माध्यम से भुगतान में यूआई प्रभारों के भुगतान में विलंब में ब्याज के भुगतान एवं संगणना के संबंध में ग्रिड कोड के प्रावधानों में कोई रियायत नहीं होगी।

अंतिम रूप में एनआरएलडीसी को यूपीपीसीएल के यूआई भुगतान की स्थिति के बारे में जनवरी 2013 में आरंभ होने वाले प्रत्येक माह के प्रत्येक सप्ताह में आयोग को सूचित करने का निदेश दिया गया। यदि कोई चूक भुगतान करने में यूपीपीसीएल द्वारा की जाती है तो एनआरएलडी को उचित निर्देश के लिए आयोग को संपर्क करने के लिए स्वतंत्रता दी गई थी।

v. अन्य याचिकाएं

इसी प्रकार अरूणाचल प्रदेश के विरुद्ध याचिका सं0 234/एसएम/2012 के मामलें में, असम विद्युत वितरण कंपनी लि के विरुद्ध याचिका सं 235/एसएम/2012, मणिपुर के विरुद्ध याचिका सं 236/एसएम/2012, मेघालय ऊर्जा कारपोरेशन लि शिलांग के विरुद्ध याचिका सं 237/एसएम/2012, और त्रिपुरा राज्य विद्युत का लि के विरुद्ध याचिका सं 238/एसएम /2012, के मामले में संबंधित राज्य के वितरण प्रयोज्यता या विद्युत विभाग ने केन्द्रीय आयोग के निर्देशों के अनुसार अपनी बकाया यूआई देयताओं को क्लीयर किया।

घ. निर्बाध पहुंच का प्रवर्तन

निर्बाध पहुंच विद्युत अधिनियम, 2003 की एक आधार शिला है। आयोग को अंतरराज्यिक पारेषण प्रणालियों को निर्बाध पहुंच सरल बनाने के लिए कार्यों को सौंपा गया है। आयोग ने केविविआ(अंतरराज्यिक पारेषण और संबद्ध मामलों में कनैक्टीविटी, दीर्घकालीन पहुंच और मध्यकालीन पहुंच प्रदान करना) विनियम, 2008 जारी किया जिसमें अंतरराज्यिक पारेषण प्रणली के लिए दीर्घकालीन पहुंच, मध्यकालीन निर्बाध पहुंच और अल्पकालीन निर्बाध पहुंच को सरल बनाया गया। 2012–13 की अवधि के दौरान आयोग ने अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली में निर्बाध पहुंच की स्वीकृति के लिए याचिकाओं को निपटान किया।

लैंकों अनपरा पावर लि द्वारा याचिका सं0 189/एनपी/2012 के मामलें में यूपीपीटीसीएल ने उत्पादक को अनापत्ति प्रमाण पत्र मना किया जिसमें यह उल्लेख किया गया कि याचिकाकर्त्ता को पूर्ण उत्पादन के मामलें में लैंको अनपरा सी (1200 मैगावाट) से 100 मैगावाट की अधिशेष क्षमता के विद्युत शून्यकरण के लिए पारेषण प्रभारों और हानियों को अदा करने के आवश्यकता है। अतएव वह उत्पादक, जिसका यूपी पावर कारपोरेशन लि.(यूपीपीसीएल) के साथ 1100 मैगावाट की विद्युत की आपूर्ति के लिए विद्युत क्रय करार रहा है, वह 100 मैगावाट के लिए 25 वर्षों के लिए आईएसटएस के मौजूदा एलटीओए व्यवस्था का प्रयोग करते हुए दीर्घकालीन आपूर्ति के लिए कनट्रेक्ट प्राप्त करने में असमर्थ है।

आयोग ने उत्पादक, यूपीपीसीएल और सीटीयू की स्वीकृतियों पर विचार किया और पाया कि उत्पादनकारी केन्द्र अनपरा सी उत्तरप्रदेश की एक सन्निहित इकाई है। अनपरा सी, अनपरा ए और बी की सामान्य बस से संबद्ध है जो 400 केवी अनपरा सिंग्रोली आईएसटी लाईन से सबद्ध है। अनपरा सी प्रत्यक्ष रूप से 765 केवी एसटीयू नेटवर्क से संबद्ध हैं और अधिकांश विद्युत प्रवाह एसटीयू नेटवर्क के माध्यम से है। एक तरफ याचिकाकर्त्ता का उत्पादनकारी केन्द्र एसटीयू से संबद्ध है और दूसरी तरफ सीटीयू से संबद्ध हैं।

आयोग ने विचार किया है कि एसटीयू के पारेषण प्रणाली इस मामलें में हस्तक्षेप कारी प्रणाली के रूप में कार्य नहीं करती है चूंकि राज्य पारेषण नेटवर्क विद्युत के वाहन के लिए अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली के रूप में पहुंच में प्रयुक्त नहीं की जाती है अर्थात विद्युत एसटीयू नेटवर्क द्वारा आईएसटीएस में सम्प्रेषित नहीं होती है और कान्ट्रेक्ट मार्ग का पता नहीं लगाया जा सकता है।

तदनुसार आयोग ने निदेश दिया कि याचिकाकर्त्ता एसटीयू नेटवर्क के पारेषण प्रभारों को अदा नहीं करेगा और पारेषण प्रभारों और अनपरा सी से 100 मैगावाट के लिए हानियों का भुगतान केविविआ शेयरिंग विनियम, 2010 द्वारा अधिशासित होगा।

ङ) विविध याचिकाएं

i. राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा याचिका सं 155/एमपी/2012 और 225/एमपी/2012

एनएलडीसी ने स्वीकार किया है कि कई कारणों से वे स्टेकहोल्डर जिन्हें कनैक्टीविटी प्रदान की गई है, एलटीए का उपयोग नहीं कर रहें हैं चूंकि वे मध्यकालीन निर्बाध पहुंच और अल्पकालिक निर्बाध पहुंच के माध्यम से विद्युत के शून्यकरण के लिए समर्थ हैं। इसके अलावा ऐसे भी उदाहरण हैं जहां उत्पादकों ने एलटीए में कमी की मांग की हैं जिससे पारेषण प्रभारों की शेयरिंग के संबंध में मुद्दें उत्पन्न हो सकते हैं। एनएलडीसी ने सुझाव दिया है कि उस मात्रा के तदनुरूप एलटीए के लिए लागू करने के लिए नए उत्पादकों हेतु यह अनिवार्य होगा जिसे ओवरलोड क्षमता सहित ग्रिड में अंतःक्षेपित किया जाएगा। 16.10.2012 को याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्त्ता के प्रतिनिधि ने स्वीकार किया कि मौजूदा याचिकाकर्त्ता का प्रयोजन ग्रिड के परिचालन के लिए प्रणाली आपरेटर द्वारा सामना की जा रही कठिनाईयों को आयोग के नोटिस में लाना है ताकि संगत विनियमों में संशोधन के लिए आवश्यक प्रक्रिया आयोग द्वारा आरंभ की जा सके।

आयोग ने याचिका को आगे बढ़ाया याचिका कर्त्ता के प्रतिनिधि को सुना। आयोग ने बताया की अधिनियम की धारा 178 के अंतर्गत इस विषय पर विनियमों को संशोधित करने और निरस्त करने की शक्ति निहित है जिसे अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकृत किया गया है। विनियमों को संशोधित करने या बनाने की कार्रवाई उस समय आरंभ की जाती है जब आयोग संतुष्ट होता है कि इन विनियमों को बनाने या इन विनियमों के संशोधन की आवश्यकता है।

ii. राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा याचिका संख्या 208/एमपी/2012

एनएलडीसी ने स्वीकार किया कि ग्रिड व्यवधानों के प्रभावों को देखते हुए भारत सरकार ने अध्यक्ष, सीईए की अध्यक्षता के अंतर्गत एक जांच समिति नियुक्त की है। जांच समिति ने ग्रिड व्यवधान के एक कारण के रूप में अधिक आहरण का पता लगाया है।

एनएलडीसी ने फ्रिक्वेंसी बैंड को संकीर्ण करने जैसे मुद्दों का पता लगाया है ताकि प्रणाली यूआई अंतःक्षेपण/आहरण पर सीमाओं को लागू करते हुए 50 एचजेड तक आपरेट कर सके और वास्तविक रूप से इसके अतःपरिवर्तन को किया जा सके और यूआई निपटान दर में स्थानिक बायस की शुरुआत की जा सके।

एनएलडीसी ने स्वीकार किया है कि फ्रिक्वैंसी बैंड का कड़ा करने तथा ग्रिड के सुरक्षित परिचालन के लिए अधिक आहरण/कम आहरण को नियत्रित करने की आवश्यकता है। एनएलडीसी ने स्वीकार किया है कि 0.01 एचजेड के इनस्टैप 49.9 एचजेड से 50 एचजेड के बीच यूआई दर वैक्टर तथा निर्धारित मात्रा सीमा के आगे अधिक आहरण/कम अतःक्षेपण के लिए प्रतिदेय अतिरिक्त यूआई प्रभार यूआई विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाने चाहिए ताकि प्रणाली को सुरक्षित ढ़ंग से परिचालित किया जा सके। तदनुसार एनएलडीसी ने यूआई विनियमों के संगत प्रावधानों को संशोधित करने का अनुरोध किया।

आयोग ने याचिका को आगे बढ़ाया और याचिकाकर्त्ता के प्रतिनिधि को सुना। आयोग ने निदेश दिया कि याचिका को यूआई विनियमों के संशोधन के लिए पोसोको के प्रस्ताव के रूप में समझा जाए और स्टाफ को निदेश दिया कि प्रस्ताव की जांच करे और समयबद्ध रूप में आयोग को विचारार्थ प्रस्तुत करें।

7.7 नवीकरणीय ऊर्जा

नवीकरणीय विनियामक निधि का मैकेनिज्म

1. विनियामक नवीकरणीय विनियामक निधि मैकेनिजम का कार्यान्वयनः.

आरआरएफ मैकेनिजम के कार्यान्वयन के लिए आयोग ने अपनी ओर से याचिका सं 209/2011 में दिनांक 30.11.2011 के आदेश के माध्यम से सभी एसएलडीसी को निदेश दिया की 15.12.2011 तक एनएलडीसी को अपेक्षित डाटा प्रस्तुत करें और एनएलडीसी को आयोग को इस संबंध में अनुपालन स्थिति प्रस्तुत करने का निदेश दिया। एनएलडीसी ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि पूर्वानुमान करने वाली सुविधाएं और डाटा अधिग्रहण वाली प्रणालियों के लिए एसईएम मीटरों को आरआरएफ मैकेनिज्म के अंतर्गत आने वाली सभी

नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित नहीं किया गया है। इसके अलावा नवीकरणीय उत्पादकों से मीटरिंग, पूर्वानुमान करने वाली और डाटा के अधिग्रहण के लिए आवश्यक सुविधाओं और अपेक्षित सूचना प्रदान के लिए कार्रवाई करने की अपेक्षा की गई है ताकि एनएलडीसी द्वारा आरआरएफ मैकेनिजम के कार्यान्वयन के लिए मॉक कार्य आंरभ किया जा सके। तथापि कई एसएलडीसी ने डाटा प्रस्तुत नहीं किया है और अधिकांश अन्य एसएलडीसी द्वारा प्रस्तुत किया गया डाटा एनएलडीसी/आरएलडीसी द्वारा उपलब्ध फार्मेट के अनुसार अपेक्षित डाटा नहीं है।

भारतीय पवन ऊर्जा एसोसिएशन ने अपनी याचिका 2/एमपी/2012 को 27.12.2012 को दाखिल किया जिसमें ग्रिड कोड के अंतर्गत पवन ऊर्जा संयत्रों के अनुसूचिकरण के लिए प्रावधानों के परिचालनकरण के लिए एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा बड़ी संख्या में कठिनाईयों को सामने लाया गया और नवीकरणीय विनियामक निधि के मैकेनिजम के कार्यान्वयन के लिए क्रियाविधि को सामने लाया गया आयोग ने एमएमआरई को निदेश दिया कि मुद्दों के सामाधान के लिए बैठक आयोजित की जाए। एमएनआरई ने 23.3.2012 को बैठक आयोजित की और सीईओ, पोसोको की अध्यक्षता के अंतर्गत कार्यदल गठित करने के निर्णय किया। आयोग ने याचिका सं 209/2011 (अपनी ओर से) दिनांक 30.3.2012 के आदेश के माध्यम से निदेश दिया कि कार्यदल को 30.6.2012 तक आयोग को आरआरएफ मैकेनिजम के सफल कार्यन्वयन सं संबद्ध मुद्दों से निपटने के लिए सुझाए गए उपायों सहित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। आयोग ने यह भी निदेश दिया कि पवन उत्पादकों, एसटीयू डिस्काम तथा एसएलडीसी के अंश पर तत्काल कार्रवाई अपेक्षित सुविधाओं अर्थात आरआरएफ मैकेनिज्म के कार्यान्वयन के लिए पूर्वानुमानित साधनों, समुचित सम्प्रेषण और डाटा अभिग्रहण प्रणाली इत्यादि के स्थापना के लिए अपेक्षा की गई थी। आयोग ने इस संबंध में तत्काल कारवाई के लिए पवन उत्पादकों, एसटीयू डिस्काम तथा एसएलडीसी को निदेश दिया। पवन जनरेटरों को एलएलडीसी/आरएलडीसी/ एसएलडीसी द्वारा निर्देश के अनुसार अपेक्षित डाटा उपलब्ध करवाने के लिए निदेश दिया गया था।

अप्रैल, 2012 से जुलाई 2012 की अवधि के दौरान कार्यदल ने कई बैठकें आयोजित की जिसमें सभी पवन एसोसिएशन को आमंत्रित किया गया। इन बैठकों में व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया और इन बैठकों के दौरान किए गए विचार विमर्श पर इनपुट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की गई।

कार्यदल रिपोर्ट को दिनांक 4.9.2012 को केविविआ को प्रस्तुत किया गया। इस रिपोर्ट में की गई सिफारिश निम्नानुसार हैः.

क) नवीकरणीय जनरेटर एग्रीगेटर या अर्हक अनुसूचीकरण ईकाई के रूप में अनुसूचीकरण के प्वाइंट/अनुसूचीकरण इकाई का पता लगाना।

ख) केवल 3 मई 2010 के बाद आंरभ किए गए पूंलिग केंद्रो को आईईजीसी 2010 अनुसूचीकरण और

पूर्वानुमानित अपेक्षाओं के अंतर्गत शामिल किया जाए।

ग) पांरम्परिक जनरेटरों के समान अनुसूची आधारित भुगतान मैकेनिजम

घ) केप्टिव जनरेटरों के मामलें में बहुविध कान्ट्रेक्ट दरों के मुद्दों से निपटनें के लिए कान्ट्रेक्ट दर के स्थान पर प्रयुक्त की जाने वाली संदर्भ दर की सिफारिश की गई।

ङ) जनरेटरों में वित्तीय प्रभाव के शेयरिंग के लिए मार्गनिर्देशों को जारी करने के लिए केविविआ को सिफारिश की गई।

च) वर्ष में मॉक अभ्यास की जाए।

एमएनआरई कार्यदल सिफारिशों के आधार पर केविविआ ने 1.7.2013 से आरआरएफ मैकेनिज्म के कार्यान्वयन के लिए 16.1.2013 को आदेश जारी किया जिसमें 1.2.2013 से अनुसूचीकरण एवं पूर्वानुमान के लिए मॉक अभ्यास को आंरभ करने के लिए निदेश दिया। सभी पवन जनरेटरों, एसटीयू डिस्काम और एसएलडीसी को निदेश दिया गया कि इस संबध में तत्काल उपाए किए जाएं। एनएलडीसी को केविविआ के निर्देशों के अनुसार 'नवीकरणीय विनियामक निधि के मैकेनिजम के लिए कार्यान्वयन हेतु क्रियाविधि' के समरूप करने का निदेश दिया गया और आयोग के अनुमोदन के लिए शीघ्रता से संशोधित क्रियाविधि को प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। केविविआ के आदेश दिनांक 16.1.2013 का संगत सार नीचे दोहराया गया है:

"18. हमारा यह विचार है कि उक्त हमारे निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, परिचालनगत कठिनाईयों का पता लगाया गया है और आरआरएफ मैकेनिज्म कार्यान्वयन के लिए तैयार है। ग्रिड कोड में पहले से ही मीटरिंग एवं डाटा अधिग्रहण के लिए प्रावधान है और एसएलडीसी/आरएलडीसी को जनरेटरों से मीटरिंग एवं डाटा प्रेषण को उक्त प्रावधानों के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। हम यह निदेश देते हैं कि आरआरएफ मैकेनिज्म 1.7.2012 से प्रभावित होगा और सभी पवन जनरेटर, एसटीयू डिस्काम और एसएलडीसी इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करेंगे। हमारे निर्णय के अनुसार एबीटी मीटरों को केवल पूंलिग केन्द्रों में स्थापित करने की अपेक्षा है जिसे शीघ्रता से किया जाना चाहिए। यदि एबीटी मीटर 31.3.2013 तक संबंधित राज्य पारेषण कंपनी या वितरण कंपनी द्वारा स्थापित नहीं किए जाते हैं तो उसे संबंधित राज्य पोरषण कंपनी/वितरण कंपनी की लागत पर सीटीयू द्वारा स्थापित किया जाए। हम सभी संबंधित को यह सुनिश्चित करने का निदेश देते हैं कि पूर्वानुमानित और अनुसूचीकरण के लिए मॉक अभ्यास मौजूदा स्थापित मीटरों के साथ 1.2.2013 से आंरभ कर दिया गया है।

19. हम आयोग के स्टाफ को निदेश देते हैं कि इस क्रम में दिए गए हमारे निर्णय को ध्यान में रखते हुए ग्रिड कोड में आवश्यक संशोधन को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया को आरंभ करें। हम एनएलडीसी को निदेश देते हैं कि हमारे उपनिदेशों के अनुसार 'नवीकरणीय विनियामक निधि के मैकेनिज्म के कार्यान्वयन के लिए क्रियाविधि' के समरूप बनाए और शीघ्रता से आयोग अनुमोदन के लिए संशोधित क्रियाविधियों को प्रस्तुत करें। सभी संबंधित एंजेंसियों को निर्देश दिया जाता है कि 1.7.2013 से आरआरएफ मैकेनिज्म के कार्यान्वयन के लिए इसे दुरूस्त करें।"

दिनांक 16.1.2013 के केविविआ के आदेश के अनुसार संशोधित आरआरएफ क्रियाविधि को 12.6.2013 को एनएलडीसी द्वारा प्रस्तुत किया गया था और दिनांक 8.7.2013 को इसके आदेश के माध्यम से केविविआ द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसके अलावा क्रियाविधि की जानकारी के लिए स्टेकहोल्डरों को समय देने के उद्देश्य से केविविआ को निदेश दिया की आरआरएफ का कार्यान्यवन 15.7.2013 से आरंभ हो जाएगा और तदनुसार विस्तृत क्रियाविधि 15.7.2013 से कार्यान्वित होगी।

2. टैरिफ निर्धारण से संबंधित आदेश

आयोग ने केविविआ (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ निर्धारण के लिए निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2012 (नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ विनियम) को अधिसूचित किया ताकि निम्नलिखित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनकारी केंद्रों की विभिन्न श्रेणियों के लिए टैरिफ के निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तें तथा क्रियाविधि उपलब्ध करवाई जा सके।

(क) पवन विद्युत परियोजना

(ख) लघु हाइड्रो परियोजना

(ग) रैंकाइन साइकिल तकनीक सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं

(घ) गैर–फासिल ईंधन आधारित सह–उत्पादन संयंत्र

(ङ) सौर फोटो वाल्टिक (पीवी)

(च) सौर थर्मल पावर परियोजनाएं

(छ) बायोमास गैसीफायर आधारित पावर परियोजनाएं और

(ज) बायोगैस आधारित पावर परियाजना

नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ विनियमों के विनियम 8 के खंड (1) में व्यवस्था है कि "आयोग नवीकरणीय ऊर्जा तकनीक के लिए नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के आंरभ में अग्रिम रूप से कम से कम 6 महीनों में अपने आप याचिका के आधार पर जेनेरिक टैरिफ को निर्धारित करेगा जिसके लिए विनियमों के अंतर्गत मानदंड विनिर्दिष्ट किए गए हैं।" आयोग ने 6.2.2012 को नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ विनियम अधिसूचित किया है। आयोग ने नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ विनियमों के विनियम 8 (1) के अंतर्गत अधिदेश में 28.2.2013 के आदेश के माध्यम से (याचिका संख्या 243/एसएम/2012)(अपनी ओर से) के माध्यम से नियंत्रण अवधि (अर्थात वित्तीय वर्ष 2013–14) के प्रथम वर्ष के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के जेनरिक टैरिफ को निर्धारित किया है। टैरिफ के ब्यौरे **(अनुबंध VII)** दिए गए हैं।

7.8 वर्ष के दौरान अन्य गतिविधियां

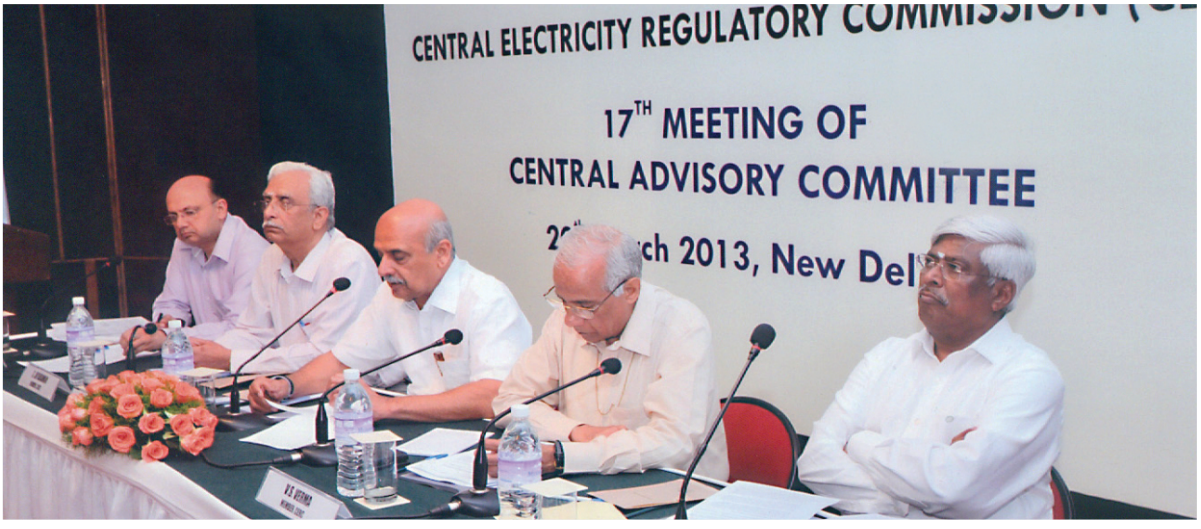

(क) केन्द्रीय सलाहकार समितिः

वर्ष 2012–13 में केन्द्रीय सलाहकार समिति की 17वीं बैठक 20 मार्च 2013 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक की मुख्य कार्यसूची "कनेक्टीविटी, दीर्घकालीन, मध्यकालीन और अल्पकालीन निर्बाध पहुंच" थी। इसमें निम्नलिखित विषयों पर विचार विमर्श किया गयारू.

- क्या कनैक्टीविटी के लिए आवेदन के साथ एलटीए के लिए आवेदन संलग्न किया जाना चाहिए?
- क्या एलटीए के लिए आवेदन के साथ अंतःक्षेपण और आहरण का फर्म प्वाइंट आवश्यक रूप से होना चाहिए?
- क्या क्षमता की निर्धारित मात्रा (%) के लिए पीपीए अग्रिम रूप से (अर्थात 5 वर्ष) होना चाहिए?
- निम्नलिखित सर्वसम्मतियों को बैठक के दौरान विकसित किया गयाः
- विनियम का अधिनियम और नीति के साथ असांमजस्य नहीं हो सकता।
- पीपीए कनेक्टीवीटी और दीर्घकालिक पहुंच के लिए पूर्व शर्त नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ दीर्घकालीक पीपीए को एसईआरसी द्वारा डिस्कॉम की विद्युत प्राप्ति पर्याप्तता विवरण के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

- ❖ पारेषण प्रणाली में अतिरिक्त उत्पन्न किया जाना चाहिए।
- ❖ राज्य पारेषण योजना में सुधार की आवश्यकता है।
- ❖ कनैक्टीविटी के लिए प्रभार लगाए जाने की आवश्यकता है। इसे मुक्त नहीं किया जाना चाहिए। कनैक्टीविटी और एलटीए के लिए वित्तीय प्रोत्साहन/गैर प्रोत्साहन होना चाहिए।
- ❖ आयोग को दोतरफा बोली सहित क्षमता बाजार को आंरभ करना चाहिए।

ख. विनियामक फोरम की गतिविधियां

विनियामक फोरम को विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा गठित किया गया है। इस फोरम में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों तथा संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों के अध्यक्ष शामिल है। केविविआ के अध्यक्ष फोरम के अध्यक्ष है। केविविआ द्वारा विनियामक आयोग को सचिवीय सेवा प्रदान की जाती हैं।

विनियामक फोरम की 7 बैठके वर्ष 2012–2013 के दौरान आयोजित की गई जिसमें विभिन्न मुद्दों पर विचार किया गया और सिफारिशें की गई।

विनियामक फोरम ने वर्ष 2012–13 में निम्नलिखित अध्ययन पूरे किए:–

(i) विनियामक लेखों का मानकीकरण

यह अध्ययन आरंभ किया गया चूंकि सांविधिक लेखों से विशिष्टता के रूप में विनियामक लेखों को मान्यता देने के आवश्यकता महसूस की गई। इस अध्ययन का दूसरा उद्देश्य विनियामक लेखों पर दृष्टि की एकरूपता लाना था और विनियामक लेखों के लिए मानकीकृत सिद्धांतों का सुझाव देते हुए सिफारिशे करना था।

(ii) नवीकरणीय क्रय बाध्यता लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राज्यों के लिए प्रोत्साहन ढांचा तैयार करना

इस अध्ययन का उद्देश्य आरपीओ लक्ष्यों के गैर अनुपालन के प्रश्नों पर अध्ययन करना था और आरपीओ अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए संसाधन संपन्न और संसाधन की कमी वाले राज्यों के लिए प्रोत्साहनपूर्ण फ्रेमवर्क का प्रस्ताव करना था।

(iii) हरित ऊर्जा कॉरिडोर की रिपोर्ट–नवीकरणीय क्षमता के लिए पारेषण योजना (12वीं योजना में नवीकरणीय क्षमता अभिवृद्धि के लिए पारेषण योजना)

फोरम द्वारा नवीकरणीय क्षमता के लिए पारेषण योजना पर एक अध्ययन किया गया। फोरम ने पारेषण ढ़ांचे के विकास के लिए नवीकरणीय समृद्ध राज्यों, कैपैक्स अपेक्षा के प्राक्कलन में नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत (पवन, सौर और हाइड्रो) की संभावित क्षमता की अभिवृद्धियों के लिए पारेषण बुनियादी ढांचे के पता लगाने के उद्देश्य सहित इस अध्ययन के प्रयोजन के लिए भारतीय पावर ग्रिड कारपोरेशन लि. का लगाया ताकि तेजी से नवीकरणीय विद्युत विकास को सरल बनाने के लिए पारेषण बुनियादी ढांचे का निधि पोषण करने के

लिए मॉडल के विकास हेतु रणनीति फ्रेमवर्क उपलब्ध करवाया जा सके।

निम्नलिखित सतत आधार पर अध्ययन किए गए :

(i) संघटकवार एटी एंड सी कमियों के निर्धारण पर अध्ययन।

(ii) भारत में खुदरा विद्युत आपूर्ति में प्रतियोगिता आंरभ करने से संबधित अध्ययन।

(iii) मॉडल राज्य विद्युत वितरण प्रबंधन उत्तरदायित्व बिल से संबंधित अध्ययन।

(iv) 11वीं योजनावधि के दौरान विद्युत मंत्रालय द्वारा विनियामक फोरम के लिए सहायता योजना के प्रभाव निर्धारण से संबंधित अध्ययन।

(v) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 60 के अंतर्गत सविवेकी विनियामक शक्ति से संबंधित बाजार प्रभुत्व से संबंधित मॉडल विनियम से संबंधित अध्ययन।

(vi) मॉडल विनियमों से संबंधित अध्ययन जिसमें राज्य विद्युत आयोगों द्वारा जारी किए गए आदेशों निर्देशों और विनियमों को निष्पादित करने वाले, कार्यान्वित एवं लागू करने के लिए क्रियाविधि दी गई है।

"विनियामक आयोग" विद्युत क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों पर विनियामक आयोगों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। वर्ष 2012–13 में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए।

1.	विद्युत विनियामक आयोग (ईआरसी) के अध्यक्ष/सदस्यों के लिए उन्मुखता कार्यक्रम	आईआईएम–अहमदाबाद	11-10-2012 से 13-10-2012
2.	विद्युत क्षेत्र में विनियामक विषयों के विभिन्न चरणों के संबंध में विद्युत विनियामक आयोगों के अधिकारियों के लिए 5वां क्षमता निमार्ण कार्यक्रम	बैंकाक में अंतरराष्ट्रीय दौरे सहित आईआईटी कानपुर	18-10-2012 से 23-10-2012
3.	"डीएसएम एवं ऊर्जा कुशलता" से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम	इंडिया हेबिटेट सेंटर नई दिल्ली	21-01-2013 से 22-01-2013
4.	"सीजीआरएफ के अधिकारियों एवं औंबडसमैन के लिए उपभोक्ता हित का संरक्षण" से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनपीटीआई, फरीदाबाद	21-03-2013 से 22-03-2013

ग. भारतीय विनियामक फोरम (एफओआईआर) की गतिविधियां

आयोग भारतीय विनियामक फोरम को, जिसमें न केवल अध्यक्ष शामिल हैं बल्कि विद्युत विनियामक आयोगों से सदस्य एवं पीएएमपी, पीएनजीआरवी, सीसीआई और एईआरए जैसी अन्य विनियामक प्राधिकरणों के सदस्य भी शामिल हैं, भी सचिवीय सेवाएं प्रदान करता हैं। भारतीय विनियामक फोरम को मूल रूप से भारत में विभिन्न बुनियादी ढ़ांचा क्षेत्रों के विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुभवों की शेयरिंग के लिए प्लेटफार्म के रूप में आंरभ किया गया था। भारतीय विनियामक आयोग ने कार्यशालाएं/अनुसंधान सम्मेलन आयोजित किए जिसमें विमानन क्षेत्र में उत्तम पद्धतियां, डीएसएम एवं ऊर्जा कार्यकुशलता जैसे मुद्दों पर विचार किया गया। "विनियामक स्टाफ के लिए क्षमता निर्माण अपेक्षाओं का निर्धारण" से संबंधित भारतीय विनियामक फोरम की सिफारिशों के आधार पर फोरम ने विनियामक अनुसंधान संस्थान के गठन पर एक अवधारणा पेपर तैयार किया और विनियामक अनुसंधान संस्थान को शैक्षणिक सहायता प्रदान करने के लिए/हाऊसिंग के लिए प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाओं से अभिरूचि की अभिव्यक्ति को आंमत्रित किया।

घ. बुनियादी विनियम के लिए दक्षिण एशिया फोरम की गतिविधियां(साफिर)

साफिर को 1999 में स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय फोरम है जिसमें क्षेत्र (जिसमें बंगलादेश, भूटान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं) के बुनियादी ढांचे विनियामकों के नेटवर्क के रूप में विश्व बैंक की सहायता प्राप्त है और उन संबंधित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं एवं व्यक्तियों की सहायता प्राप्त हैं जो इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। सदस्यों की 4 श्रेणियां हैं अर्थात शैक्षणिक सस्थाएं उपभोक्ता निकाय/एनजीओ, निगमित/कंपनियां और विनियामक निकाय हैं। इनका उद्देश्य अनुसंधान को बढ़ावा देना और विनियामक सुधार प्रक्रियाओं एवं अनुभवों से संबंधित डाटा बैंक उपलब्ध करवाना, जानकारी एवं विशेषज्ञता के लाभप्रद विनिमय का कार्य करना और वैश्विक रूप से सर्वोत्तम पद्धतियों के तेजी से कार्यान्वयन की प्रवृति को स्थापित करना है। वर्ष 2012–13 में साफिर ने आधारभूत सम्मेलन आयोजित किए अर्थात मुबंई, महाराष्ट्र(भारत) मे निवेश अवसर,

नीति एवं विनिमय तथा श्रीलंका में बुनियादी ढांचे विनियमन एवं सुधार पर कोर कार्यक्रम आयोजित किया। केविविआ साफिर को सचिवीय सेवाएं प्रदान करता है। श्री सैयद यूसूफ हुसैन, अध्यक्ष बंगलादेश, ऊर्जा विनियामक आयोग को फरवरी, 2012 में साफिर के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अध्यक्ष, बंगलादेश ऊर्जा विनियामक आयोग (बीईआरसी) के रूप में उनके कार्यकाल के पूरा होने के बाद उनके स्थान पर अध्यक्ष, बीईआरसी एवं साफिर के अध्यक्ष के रूप में श्री मुहम्मद इम्दादुल हक को नियुक्त किया गया।

साफिर की इन बैठकों को वर्ष 2012–13 के दौरान आयोजित किया गयाः

क. ढाका, बंगलादेश में 9–10 मई, 2012 के दौरान 19वीं स्थायी की बैठक।

ख. मुबंई, भारत में 13 सितम्बर, 2012 को 6वीं कार्यपालक समिति की बैठक।

ग. कांदी, श्रीलंका में 4 मार्च 2013 को 7वीं कार्यपालक समिति की बैठक।

(ङ) सेमिनार/सम्मेलन/प्रशिक्षण/विनिमय कार्यक्रम

आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, सचिव और स्टाफ द्वारा सेमिनार/सम्मेलन/प्रशिक्षण/संयंत्र दौरे/विनिमय कार्यक्रमों में उपस्थिति का ब्यौरा **अनुबंध- VIII** और **अनुबंध-IX** में दिया गया है।

7.9 भारत सरकार को सलाह

आयोग ने निम्नलिखित विषय पर भारत सरकार को विद्युत अधिनियम 79(2) के अंतर्गत सांविधिक सलाह दीः

मामला 2/यूएमपीपी के लिए मानक बोली दस्तावेजों के पुनरीक्षण के संबंध में

केन्द्रीय आयोग ने मंत्रालय द्वारा परिचालित मामला 2/अल्ट्रा मैगा पावर परियोजनाओं के लिए मॉडल विद्युत क्रय करार के ड्राफ्ट पर विद्युत मंत्रालय को दिनांक 26.10.12 को सांविधिक सलाह दी। आयोग ने ड्राफ्ट मॉडल विद्युत क्रय करार की जांच की और यह आवश्यकता महसूस कि वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत के प्रतिस्पर्द्धात्मक प्राप्ति के विभिन्न मुद्दों का पता लगाने के लिए दस्तावेजों में परिष्कार की आवश्यकता है।

आयोग ने विद्युत की प्रतिस्पर्द्धात्मक प्राप्ति के लिए मॉडल मानक बोली दस्तावेजों को अंतिम रूप देते समय निम्नलिखित अभिमतों पर विचार करने के लिए विद्युत मंत्रालय को सलाह दी है।

- दस्तावेजों को मॉजूदा एसबीडी के रूप में डीबीएफओटी के स्थान पर बिल्ड ऑन आपरेट माडल के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए।
- एसएचआर को बोली योग्य पैरामीटरों पर होना चाहिए या पूर्व विनिर्दिष्ट एसएचआर को एनर्जी प्रभार के भुगतान के लिए सामान्य पैरामीटर के रूप में माना जाना चाहिए और निर्धारित प्रभारों का कोई समायोजन नहीं होना चाहिए।
- समझी गई उपलब्धता की अवधारणा और 10 दिनों के लिए न्यूनतम ईंधन स्टाक की अवधारणा समाप्त की जानी चाहिए। विद्युत मंत्रालय को कोयला मंत्रालय के साथ शामिल होना चाहिए ताकि कोयलें की 100 प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। अपने खानों से आपूर्ति न होने पर सीआईएल के मामलें में इसे जनरेटर को आयात एवं आपूर्ति की जानी चाहिए। ब्लंड कोयले की लागत को पासथ्रू के रूप में अनुमति दी जा सकती है।
- सामान्य उपलब्धता संगत संयत्र के लिए आवश्यकता होने के बाद निर्धारित की जानी चाहिए और सामान्य उपलब्धता के आगे उत्पादन केवल ऊर्जा प्रभार की दर पर हिताधिकारी द्वारा अदा की जानी चाहिए। सामान्य उपलब्धता के आगे कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए।
- स्वतंत्र इंजीनियर का प्रावधान होना चाहिए। और यह दोनो कान्ट्रेटिव पार्टियों के साथ आर्दश रूप में परियोजना के परिमापन और मानिट्ररिंग को संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए।
- सप्लायर द्वारा यथा प्रमाणित जीसीवी को ऊर्जा प्रभार के भुगतान के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है और इसे यह सुनिश्चित करने के लिए बोलीकर्त्ता का उतरदायित्व होना चाहिए कि इसने आपूर्तिकर्त्ता से वांछित गुणवत्ता/जीसीवी का कोयला प्राप्त कर लिया है।
- कैप्टिव खान के मामलें में जीसीवी की संगणना हिताधिकारी तथा बोलीकर्त्ता दोनों द्वारा संयुक्त नमूने दोनों के माध्यम से की जा सकती है।
- सूचीबद्ध निर्धारित प्रभार डब्लूपीआई एवं सीपीआई की भारित औसत से संबद्ध किया जाना चाहिए।
- परियोजना के विस्तार में केवल विधि में परिवर्तन के कारण अनुमति दी जाए।
- यूआई के माध्यम से विद्युत के प्रेषण से संबंधित प्रावधान एबीटी एवं यूआई मैकेनिज्म की अवधारण के अनुरूप होना चाहिए।
- पूर्ववर्ती स्थितियों के अंतर्गत कंपनियों को अपेक्षित सांविधिक क्लीयरैंस (अर्थात अधिनियम की धारा 68, 164 के अंतर्गत क्लीयरैंस) प्राप्त करने के लिए असफलता हेतु दंड के अध्यधीन नहीं होनी चाहिए।

8

2012–13 के दौरान जारी की गई अधिसूचनाएं

8 2012–13 के दौरान जारी की गई अधिसूचनाएं

क्र.स.	अधिसूचना	राजपत्र दिनांक	विनियम
1.	83	11.04.2012	"पारेषण सेवा के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली मार्गनिर्देश" मानक पारेषण सेवा करार (टीएसएस) दस्तावेजों की अनुसूची 7 और प्रस्ताव के लिए मानक अनुरोध के विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, खंड 3.31.3 (क) द्वारा जारी किए गए "पारेषण सेवा के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली मार्गनिर्देश (10 अक्तूबर 2008 तक यथा संशोधित)
2.	86	12.04.2012	वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत की प्राप्तियों के लिए बोली प्रक्रिया द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए मार्गनिर्देशों से संबंधित विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 19.1.2005 (समय समय से यथा संशोधित) की धारा 5.6(VI) के अनुसरण में बोली मूल्यांकन के लिए (30.09.2012 तक बोली आरंभ करने के लिए) वार्षिक अभिवृद्धि दरों की अधिसूचना।
3.	204	21.09.2012	केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों के कार्यनिष्पादक के मानक) विनियम, 2012
4.	216	03.10.2012	"पारेषण सेवा के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली मार्गनिर्देश" मानक पारेषण सेवा करार (टीएसएस) दस्तावेजों की अनुसूची 7 और प्रस्ताव के लिए मानक अनुरोध के विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, खंड 3.31.3 (क) द्वारा जारी किए गए "पारेषण सेवा के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली मार्गनिर्देश (10 अक्तूबर 2008 तक यथा संशोधित)
5.	223	11.10.2012	अधिसूचना सं 20 दिनांक 7.2.2012 का शुद्धिपत्र
6.	224	11.10.2012	केविविआ (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि निबंधन और शर्ते तथा अन्य संबद्ध मामलें)(प्रथम संशोधन) विनियम, 2012
7.	225	11.10.2012	वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत की प्राप्तियों के लिए बोली प्रक्रिया द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए मार्गनिर्देशों से संबंधित विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 19.1.2005 (समय समय से यथा संशोधित) की धारा 5.6(6) के अनुसरण में बोली मूल्यांकन के लिए (31.03.13 तक बोली आरंभ करने के लिए) वार्षिक अभिवृद्धि दरों की अधिसूचना।
8.	274	18.12.2012	अधिसूचना सं 225 दिनांक 11.10.2012 का संशोधन
9.	01	01.01.2013	केविविआ (टैरिफ की निबंधन और शर्ते)(तीसरा संशोधन) विनियम, 2012
10.	18	23.01.2013	विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36) की धारा 80 के अंतर्गत केन्द्रीय सलाहकार समिति की स्थापना के अधिसूचना का संशोधन और अधिसूचना सं 5.1.2009 संबंधित सीएसी/केविविआ दिनांक 10.12.2009 के माध्यम से गठित सीएसी का अधिक्रमण।

S. No.	Notification No.	Gazette Dated	Regulations
11.	86	26.03.2012	केविविआ (कनैक्टीविटी, अंतरराज्यिक पारेषणों में दीर्घ कालीन पहुंच, मध्यमकालीन पहुंच और संबद्ध मामलें)(तीसरा संशोधन) विनियम, 2013
12.	87	28.03.2013	"पारेषण सेवा के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली मार्गनिर्देश" मानक पारेषण सेवा करार (टीएसएस) दस्तावेजों की अनुसूची 7 और प्रस्ताव के लिए मानक अनुरोध के विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, खंड 3.31.3 (क) द्वारा जारी किए गए "पारेषण सेवा के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली मार्गनिर्देश (10 अक्तूबर 2008 तक यथा संशोधित)

9

वर्ष 2013–14 के लिए कार्यसूची

9 वर्ष 2013–14 के लिए कार्यसूची

1. केविविआ टैरिफ विनियमों का विनियामक प्रभाव निर्धारण
2. 2014–19 की नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ विनियम
3. ग्रिड अनुशासन का प्रवर्तन
4. ग्रिड अनुशासन को लागू करने के लिए विचलन निपटान मैकेनिज्म
5. नवीकरणीय विनियामक निधि मैकेनिज्म का कार्यान्वयन

10

लेखों की वार्षिक विवरणी

10 लेखों की वार्षिक विवरणी

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा विधिवत रूप से लेखा परीक्षित वित्तीय वर्ष 2012–13 वार्षिक लेखा और लेखा परीक्षा रिपोर्ट **अनुबंध–X** में संलग्न है। वर्ष 2012–13 के दौरान 25.061 करोड रूपए विद्युत मंत्रालय द्वारा केविविआ से (भारत के लोक लेखा के अंतर्गत रखें गए) रिलीज किए गए थे। वर्ष 2011–12 के 6.25 करोड़ रूपए का खर्च न किया गया शेष वर्ष 2012–13 में अग्रेषित किया गया था जिससे वर्ष 2012–13 के लिए 31.311 करोड़ रू की कुल उपलब्ध निधियां हो गई। इसमें से 26.81 करोड़ रू की रकम वर्ष के दौरान प्रयोग की गई और 4.50 करोड़ रू का शेष वर्ष के अंत में अर्थात 31.3.2013 को अप्रयुक्त बना रहा जिसे वर्ष 2013–14 के लिए आगे ले जाया गया।

11

आयोग का मानव संसाधन

11 आयोग का मानव संसाधन

आयोग का अधिनियम के अंतर्गत अत्यंत व्यापक अधिदेश है। अपने उत्तरदायित्वों को निर्वाह करने में आयोग की कुशलता इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र, वित्तीय प्रबंधन, लेखा, विधि, पर्यावरण, प्रबंध सूचना प्रणाली और अन्य संबद्ध कुशलताओं में अपेक्षित विशेषज्ञता और अनुभव सहित इसके स्टाफ की गुणवत्ता और और कार्यात्मक विशेषज्ञता पर निर्भर करती है। मुख्य मानव संसाधनों के ब्यौरे अनुबंध **XI** और **XII** में दिए गए हैं। इसके अलावा आयोग सरकार, उद्योग और अनुसंधान संस्थान में उपलब्ध विशेषज्ञता और अनुभव रखने वाले मानव संसाधन का उपयोग करता है। इन–हाउस कुशलताओं तथा उपलब्ध अनुभव को पूरा करने के लिए आयोग परामर्शदाताओं की सेवाएं लेता है और इस प्रयोजन के लिए इसने विनियम बनाए है। आयोग में स्टाफ स्थिति के ब्यौरे और वर्ष 2012–13 के दौरान भर्तियों को सारणी 1 और सारणी 2 में दिया गया है:

सारणी I. 31 मार्च, 2013 को आयोग में स्वीकृत/भरे/रिक्त पद

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे गए पदों की संख्या	रिक्त पद
1.	सचिव	1	1	-
2.	प्रमुख	4	2	2
3.	संयुक्त प्रमुख	5	4	1
4.	उप प्रमुख	13	10	3
5.	आंतरिक वित्तीय सलाहकार	1	-	1
6.	सहायक प्रमुख	16	11	5
7.	न्यायपीठ अधिकारी	2	1	1
8.	सहायक सचिव	2	1	1
9.	वेतन एवं लेखा अधिकारी/वरिष्ठ लेखा अधिकारी	2	2	-
10.	प्रधान निजी सचिव	4	4	-
11.	निजी सचिव	5	4	1
12.	सहायक	6	6	-
13.	निजी सहायक	7	2	5
14.	आशुलिपिक	3	1	2
15.	रिसेप्शनिष्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर	1	-	1
16.	वरिष्ठ चपरासी/ड्राफ्टी	2	2	-
17.	चपरासी	2	-	2
18.	ड्राइवर	4	4	-
	कुल	**80**	**55**	**25**

सारणी 2. वर्ष 2012–13 के दौरान नियुक्तियां

क्र.सं.	पदनाम	भरे गए पदों की संख्या
1.	प्रमुख (वित्त) एवं प्रमुख (इंजी)	2
2.	सहायक सचिव	4
3.	वेतन एवं लेखा अधिकारी	1
4.	निजी सचिव	2
	कुल	**9**

अनुबंध

अनुबंध-I

केविविआ के समक्ष दाखिल याचिकाओं की स्थिति (1.4.2012 से 31.3.2013)

पिछले वर्ष 2011-2012 से आगे ले जाया गया	2012-2013 के दौरान प्राप्त याचिकाओं की संख्या	कुल	निपटाई गई	31.03.2013 को अनिर्णित
395	297	692	266	426

1.4.2012 से 31.3.2013 तक निपटाई गई याचिकाएं

क्रम सं	याचिका सं	दाखिल करने की तारीख	याचिका कर्त्ता	विषय	निपटान की तारीख
1	83/टीटी/2011	22/3/2011	पीजीसीआईएल	टैरिफ ब्लॉक 2009–14 की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में कोरबा–III परियोजना के अंतर्गत संबद्ध बेज सहित कोरबा रायपुर 400 केवी डी/सी पारेषण लाईन के लिए पारेषण टैरिफ के निर्धारण के लिए केविविआ (कारोबार करना) विनियम 1999 का विनियम 86 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2009 के विनियम 86 के अंतर्गत अनुमोदन।	3/4/2012
2	020/2010	1/2/2010	एनएलसी	2009–14 के लिए टैरिफ के निर्धारण की मांग करने वाली टीपीएस–I याचिका	9/4/2012
3	282/2009	26/11/2010	एनटीपीसी	1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए कहलगांव एसटीपी चरण–II के टैरिफ का अनुमोदन।	13/4/2012
4	239/2009	22/3/2011	एनटीपीसी	1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए अंतगैस पावर स्टेशन (419.33 मैगावाट) के टैरिफ का अनुमोदन।	20/4/2012
5	042/2012	19/3/2012	स्वप्रेरणा से	विद्युत विभाग दमन एवं द्वीव, सिलवासा द्वारा आहरित अनुसूची के अधिकता में आहरित ऊर्जा के लिए अननुसूचित अंतःपरिवर्तन प्रभारों के भुगतानों में चूक।	25/4/2012
6	69/टीटी/2011	25/3/2011	पीजीसीआईएल	उत्तरी क्षेत्र में टैरिफ ब्लाक 2009–14 की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र योजना–XIX (एनआरएसएस–XIX) को सुदृढ करने के अतर्गत कैथल उप केन्द्र में आस्ति–I 80 एमवीएआर बस रिएक्टर के लिए 1.4.2011 – 31.3.2014 तक की अवधि के लिए अंत डोको पारेषण के निर्धारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2009 तथा केविविआ के (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम 86 के अंतर्गत अनुमोदन।	25/4/2012

क्रम सं	याचिका सं	दाखिल करने की तारीख	याचिका कर्त्ता	विषय	निपटान की तारीख
7	84/टीटी /2011	6/4/2011	पीजीसीआईएल	उत्तरी क्षेत्र में टैरिफ ब्लाक 2009–14 की अवधि के लिए रामपुर एचईपी (अंत डोको : 1.5.2011) से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अंतर्गत संबद्ध बेज सहित कैथल एस/एस में पटियाला हिसार लाईन के लुधियाना टी/एल एवं लीलो – 400 केवी पटियाला के पारेषण टैरिफ के निर्धारण के लिए केविविआ(कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2009 के विनियम, 86 के अंतर्गत अनुमोदन।	25/4/2012
8	87/टीटी /2011	8/4/2011	पीजीसीआईएल	400 केवी डी/सी गोरखपुर – लखनऊ पारेषण लाईन की संयुक्त आस्तियों तथा लखनऊ में तथा (एनआरएसएस 10) की संयुक्त आस्तियों उतरी क्षेत्र में टैरिफ ब्लाक 2009–2014 की अवधि के लिए 31.3.2014 के लिए प्रत्याशित डोको से एनआरएसएस–10 के अंतर्गत संबद्ध बेज सहित लखनऊ में पारेषण लाईन (प्रत्याशित डोको 1.4.2011) पर 30 प्रतिशत एफसीएस एवं इससे संबद्ध बेज (डोको 1.11.2010) की 400 केवी डीसी गोरखपुर लखनऊ पारेषण लाईन की संयुक्त आस्तियों के लिए पारेषण टैरिफ के निर्धारण के लिए केविविआ (कारबार का संचालन) विनियम 2009 केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2009 के विनिमय 86 के अंतर्गत अनुमोदन।	25/4/2012
9	95/टीटी/2011	8/4/2011	पीजीसीआईएल	टैरिफ ब्लाक 2009–14 की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में सेवा–II एचईपी (संयुक्त घटक) से संबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए प्राक्कलित डोको : 1.7.2011 से 31.3.2011 के पारेषण टैरिफ के निर्धारण के लिए केविविआ (कारबार का संचालन) विनियम 2009 केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2009 के विनिमय 86 के अंतर्गत अनुमोदन।	25/4/2012
10	22/टीटी/2012	25/11/2011	पीजीसीआईएल	दक्षिण क्षेत्र में 1.4.2009 से डोको 31.3.2014 तक अनुमानित ऊदुमप्लेट डोको में त्रिनुवेली एवं आईसीटी–III में आईसीटी I और II के त्रिनुवेली एस/ एस (अनुमानित डोको 1.2.10) और (ख) संयुक्त घटकों में त्रिनुवेली 400 केवी(क्वेट) डी/सी लाईन–I और II रियक्टर त्रिनुवेली कुदनकुलम त्रिनुवेली बस	25/4/2012

क्रम सं	याचिका सं	दाखिल करने की तारीख	याचिका कर्त्ता	विषय	निपटान की तारीख
				रियक्टर–II में 400 केवी डी/सी लाईन मर्दुरै, त्रिवेन्द्रम के सर्किट के लीलों के संयुक्त घटकों के लिए पारेषण टैरिफ के निर्धारण के लिए विनियम 86 के अंतर्गत अनुमोदन।	
11	189/2010	1/7/2010	एनटीपीसीपूर्वी	क्षेत्र अर्थात कहलगांव एसटीपीएस में फरक्का एसटीपीएस (1600 मैगावाट) स्टेज–I (840 मैगावाट) एवं कहलगांव एसटीपीएस, स्टेज–II (1500 मैगावाट में) एनटीपीसी पावर स्टेशनों के संबध में उपलब्धता सामान्य वार्षिक संयत्र के पुनरीक्षण के लिए याचिका।	25/4/2012
12	31/2012	23/2/2012	स्वप्रेरणा से	याचिका विद्युत विभाग मिजोरम सरकार द्वारा याचिका संख्या 213/एमपी/2011 में दिनांक 26.11.2011 के आदेश पैरा 10 का गैर अनुपालन	3/5/2012
13	247/2010	19/1/2011	एनटीपीसी	सीओडी से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए कोरबा एसटीपीएस–III (500 मैगावाट) से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी लि. को आपूर्ति किए जाने वाले 175 मैगावाट के टैरिफ का अनुमोदन। यूनिट–I के प्रत्याशित वाणिज्यिक आपरेशन अर्थात 1.10.2010 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए स्टेशन स्टेज–III (1X500 मैगावाट)।	3/5/2012
14	32/2012	23/2/2012	स्वप्रेरणा से	याचिका त्रिपुरा राज्य विद्युत का लि, अगरतला द्वारा याचिका सं 213/एमपी/2011 में दिनांक 26.11.2011 के आदेश के पैरा 10 का गैर अनुपालन।	4/5/2012
15	256/2009	1/10/2010	एनटीपीसी	1.4.2012 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज–III (500 मैगावाट) के टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका	7/5/2012
16	120/2012 (स्वप्रेरणा से)	9/4/2012	स्वप्रेरणा से	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लि पंचकुला द्वारा अधिनिर्णय केस सं0. 3/2010 में दिनांक 27.9.2011 के आदेश के पैरा 19 का गैर अनुपालन	8/5/2012
17	219/टीडीएल/2011	21/12/2011	पटेल एनर्जी रिसोर्सिज	अंतरराज्यिक अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन	8/5/2012
18	29/2012	23/2/2012	स्वप्रेरणा से	विद्युत विभाग, मणिपुर सरकार द्वारा याचिका सं 213/एमपी/2011 में दिनांक 26.11.2011 के आदेश के पैरा 10 का गैर अनुपालन	8/5/2012
19	054/एमपी/2012	21/3/2012	पीजीसीआईएल	एफईआरवी के कारण देयता की प्रतिपूर्ति के संबध में और केविविआ (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) विनियम	15/5/2012

क्रम सं	याचिका सं	दाखिल करने की तारीख	याचिका कर्त्ता	विषय	निपटान की तारीख
				2009 के विनियम 40 के परिचालन के संबंध में एफईआरवी के कारण देयता की प्रतिपूर्ति के संबध में और हैंजिंग के लागत के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम 24, 111 और 113 के अंतर्गत विविध याचिका।	
20	78/टीटी /2011	17/3/2011	पीजीसीआईएल	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना –IIV उत्तरी क्षेत्र में टैरिफ ब्लाक 2009–14 के लिए (एनआरएसएस –VII) से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अंतर्गत चौथे 400/220 केवी, 3X105 एमवीए आईसीटी (डोको रोधी : 1.4.2011) द्वारा वगूरा एसएस के विस्तार के लिए 31.3.2014 के लिए प्रत्याशित डोको से पारेषण टैरिफ के निर्धारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्ते) विनियम, 2009 के विनियम 86 के अंतर्गत अनुमोदन।	15/5/2012
21	20/एमपी/2012	9/2/2012	जीएमआर कामालंगा एनर्जी लिमिटेड	केविविआ ((टैरिफ की निबंधन एवं शर्ते) विनियम, 2009 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 और 79 (1)(ख) के अंतर्गत याचिका और 2011 के प्रथम एवं द्वित्तीय संशोधन सहित इसका संशोधन। टैरिफ के निर्धारण के लिए आवेदन करने के लिए क्रियाविधि (आवेदन तथा अन्य संबद्ध मामलों का प्रकाशन) विनियम 2004 और जीएएमआर–कामालंगा ऊर्जा लि. (जीकेईएल) के 3X350 मैगावाट कामालंगा थर्मल प्लांट के संबंध में अनंतिम टैरिफ के अनुमोदन के लिए इसका संशोधन।	16/5/2012
22	3/टीटी /2011	1/7/2011	पीजीसीआईएल	टैरिफ ब्लाक 2009–14 की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना–XXIII के अंतर्गत महारानीबाग स्टेशन – (डोको – 1.12.2010) में संबद्ध बेज सहित महारानीबाग स्टेशन (डोको) और 500 एमवीए 400/220 केवी आईसीटी–III में 500 एमवीए 400/220 केवी आईसीटी–IV के संयुक्त आस्तियों के लिए डोको से 31.03.2014 तक के पारेषण के टैरिफ निर्धारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निंबंधन एवं शर्ते) विनियम, 2009 एवं केविविआ (कारोबार का संचालन)	16/5/2012

क्रम सं	याचिका सं	दाखिल करने की तारीख	याचिका कर्त्ता	विषय	निपटान की तारीख
				विनियम, 1999 के विनियम, 86 का अनुमोदन।	
23	349/2010	30/12/2010	पीजीसीआईएल	(i) संबद्ध बेज (डोको : 1.3.2010) सहित 765 केवी एसआईसी बीना ग्वालियर लाईन 11, (ii) 400 केवी डी/सी दमो–भोपाल सीकेटी I (डोको : 1.6.2010), (iii) 400 केवी डीसी दमो–भोपाल सीकेटी 11 (डोको : 1.7.2010) (iv) एसआईएस (डोको : 1.9.2010)में 400 केवी, 50 एमवीएआर बस रिएक्टर (v) टैरिफ ब्लाक 1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र के डब्लूआरएसएस– II सैट डी योजना के अंतर्गत (अंत डोको : 1.12.2010) (अनुमानित डोको 1.12.2010 सहित 400केवी डीसी ब्रिसिंगपुर के संयुक्त आस्तियों या पारेषण टैरिफ के निर्धारण के लिए विनियम 86 के लिए अनुमोदन।	16/5/2012
24	041/2012	19/3/2012	स्वप्रेरणा से	विद्युत विकास विभाग, जम्मू और कश्मीर द्वारा आहरित अधिकता में ऊर्जा के लिए अननुसूचित अंतःपरिवर्तन के भुगतान में चूक	21/5/2012
25	22/RP/2011	11/2/2011	पीएक्सआईएल	2011 की अपनी ओर से याचिका संख्या 70 में पावर एक्सचेंजों द्वारा कीमता डिसकर्वी के लिए प्रयुक्त व्यापार सॉफ्टवेयर अलगोरिथम की लेखा परीक्षा के लिए याचिका में पारित दिनांक 15.9.2011 के आदेश की समीक्षा।	22/5/2012
26	270/2009	17/11/2009	एनटीपीसी	1.4.2009 से 31.3.2013 की अवधि के लिए औरया गैस पावर स्टेशन (663.36 मैगावाट) के टैरिफ का अनुमोदन	23/5/2012
27	245/2009	15/9/2010	एनटीपीसी	1.4.2009 से 31.3.2013 की अवधि के लिए कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज–I (840 मैगावाट) के टैरिफ का अनुमोदन	23/5/2012
28	17/2011	7/2/2011	पीजीसीआईएल	उत्तरी क्षेत्र (एनआरएसएस–IX की संयुक्त आस्तियां) में टैरिफ ब्लॉक 2009–14 की अवधि के लिए अनुमानित डोको से 31.3.2014 तक एनआरएसएस–IX के अंतर्गत संबद्ध बेज सहित 400 केवी डीसी कानपुर बल्लभगढ टी/एल (प्रत्याशित डोको 1.3.2011) पर बल्लभगढ़ में 40% एफएलसी और 400 केवी डीसी कानपुर बल्लभगढ टी/एल (डोको 1.11.2010) की संयुक्त	23/5/2012

क्रम सं	याचिका सं	दाखिल करने की तारीख	याचिका कर्त्ता	विषय	निपटान की तारीख
				आस्तियों के लिए पारेषण टैरिफ के निर्धारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2009 के विनियम 86 के अंतर्गत अनुमोदन।	
29	332/2009	30/12/2009	एनटीपीसी	1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन के टैरिफ का अनुमोदन।	23/5/2012
30	279/2009	20/11/2009	एनटीपीसी	1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए फिरोज गांधी उंचार थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-III (210 मैगावाट) के टैरिफ का अनुमोदन।	25/5/2012
31	260/2009	29/3/2011	एनटीपीसी	1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेशन-III (1000 एमडब्लू) के टैरिफ के निर्धारण के लिए याचिका	28/5/2012
32	136/टीटी/ 2011	2/6/2011	पीजीसीआईएल	टैरिफ ब्लाक 2009–14 की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में डब्लूआरएसएस– VI योजना के अंतर्गत बे विस्तार (अंत डोको : 1.7.2011) सहित रायपुर एसएस में आईसीटी–III के लिए पारेषण टैरिफ के निर्धारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2009 के विनियम, 86 के अंतर्गत अनुमोदन।	28/5/2012
33	221/2009	7/10/2009	एनटीपीसी	1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए फिरोज गांधी उंचार थर्मल पावर स्टेशन स्टेज–I (420 मैगावाट) के टैरिफ का अनुमोदन।	29/5/2012
34	019/2010	3/2/2010	एनटीपीसी	रिहंद सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज–I (1000 मैगावाट) पर जनरेटर की प्राप्ति के सैद्धान्तिक अनुमोदन के लिए याचिका।	31/5/2012
35	133/एमपी/ 2011	31/5/2011	नीपको	केविविआ (टैरिफ के निबंध एवं शर्तें) विनियम, 2009 के विनियम 44 के अंतर्गत असम गैस आधारित विद्युत परियोजना और अगरतला गैस टर्बाइन परियोजना के हीट दर मानदंडों की छूट।	7/6/2012
36	39/एमपी / 2012	6/3/2012	छत्तीसगढ़ सुरगुजा पावर लिमिटेड	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अंतर्गत (30.3 .2006, 18.8.2006, 27.9.2007, 27.3.2009 और 21.7 .2010 द्वारा यथासंशोधित) (इसके बाद मार्ग निर्देश कहा गया है) अधिसूचना संख्या 23/11/2004–(खंड–II) दिनांक 19.1.2005 की अधिसूचना के माध्यम से विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किए गए	12/6/2012

क्रम सं	याचिका सं	दाखिल करने की तारीख	याचिका कर्त्ता	विषय	निपटान की तारीख
				वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत की प्राप्ति के लिए बोली प्रक्रिया द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए मार्ग निर्देशों के लिए पैरा 5.16 के अंतर्गत आवेदन।	
37	154/2010	23/5/2011	एनएचडीसी	इंदिरा सागर पावर स्टेशन (8X125 मैगावाट) के लिए जनरेशन टैरिफ का अनुमोदन	13/6/2012
38	3/एमपी/2012	16/1/2012	कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लि	कर्नाटक विद्युत कॉरपोरेशन लि द्वारा संचालित विभिन्न थर्मल और हाइडल उत्पादकारी केन्द्रों में आरजीओएमओ के कार्यान्वयन के लिए समय के विलंब, विस्तार, छूट के लिए प्रार्थना हेतु उत्पादनकारी केन्द्रों द्वारा प्रचालन के नियत्रित मोड से संबंधित केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2010 के विनियम 5.2 (एफ) का अनुपालन।	13/6/2012
39	222/2009	7/10/2009	एनटीपीसी	1.4.2009 से 31.3.2014 की अवधि के लिए फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन (1600 मैगावाट) के टैरिफ का अनुमोदन।	14/6/2012
40	224/2009	25/11/2009	एनटीपीसी	1.4.2009 से 31.3.2014 की अवधि के लिए दादरी गैस पावर स्टेशन (829.78 मैगावाट) के टैरिफ का अनुमोदन	14/6/2012
41	195//एमपी / 2011	11/10/2011	एनआरएलडीसी	उत्तरी क्षेत्र संघटकों द्वारा अधिक आहरणों को समाप्त करने और प्रभावी उचित भार प्रबंधन द्वारा समूचे उतरी पूर्वी पश्चिमी (न्यू) ग्रिड की ग्रिड सुरक्षा को बनाए रखना	14/6/2012
42	228/2009	22/3/2011	एनटीपीसी	1.4.2009 से 31.3.2014 की अवधि के लिए तल्चर सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज–I (1000 मैगावाट) के टैरिफ का अनुमोदन।	15/6/2012
43	14/आरपी/ 2011	14/9/2011	एनटीपीसी	1.4.2009 से 31.3.2014 की अवधि के लिए टैंकपुर एचई परियोजना में उत्पादन टैरिफ के अनुमोदन से संबंधित याचिका संख्या 75/2010 में माननीय केविविआ द्वारा पारित 10.5.2011 के आदेश के विरुद्ध याचिका की समीक्षा।	15/6/2012
44	172/एमपी/ 2011	18/8/2011	एपीट्रांस्को और 4 एपी डिस्कॉम	एनएलसी द्वारा दाखिल याचिका संख्या 231/2009 में केविविआ के आदेश दिनांक 27.6.2011 के अनुसार 1.4.2009 से 31.5.2011 की अवधि के लिए एपीडिस्काम/एपट्रांस्क द्वारा एनएलसी टीपीएस–II को प्रतिदेय बकायों/ देयताओं के विरुद्ध ब्याज अंश के अधित्याग के लिए (टैरिफ विनियम, 2009 के निबंधन	15/6/2012

क्रम सं	याचिका सं	दाखिल करने की तारीख	याचिका कर्त्ता	विषय	निपटान की तारीख
				एवं शर्तें) की छूट के लिए विनियम (44) शक्ति के अंतर्गत विविध याचिका।	
45	15/आरपी/ 2011	16/9/2011	एनएचपीसी	1.4.2009 से 31.3.2014 की अवधि के लिए सलाल एचई परियोजना की टैरिफ याचिका संख्या 104/2010 में केविविआ के टैरिफ आदेश 27.6.2011 के विरुद्ध आवेदन की समीक्षा।	20/6/2012
46	21/टीडीएल/ 2012	13/2/2012	जैमेक इंजीनियरिंग सर्विस प्रा.लि.	अंतरराज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन	21/6/2012
47	115/टीडीएल /2012	27/3/2012	एसएन पावर मार्केट्स प्रा.लि.	अंतरराज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन	21/6/2012
48	24/2012	23/2/2012	स्वप्रेरणा से	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि द्वारा याचिका सं 213/एमपी/2011 में दिनांक 26.11.2011 के आदेश के पैरा 10 का गैर अनुपालन।	27/6/2012
49	25/2012	23/2/2012	स्वप्रेरणा से	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि द्वारा याचिका सं 213/एमपी/2011 में दिनांक 26.11.2011 के आदेश के पैरा 10 का गैर अनुपालन।	27/6/2012
50	26/2012	23/2/2012	स्वप्रेरणा से	अजमेर विद्युत वितरण निगम लि, अजमेर द्वारा याचिका सं 213/एमपी/2011 में दिनांक 26.11. 2011 के आदेश के पैरा 10 का गैर अनुपालन।	27/6/2012
51	27/2012	23/2/2012	स्वप्रेरणा से	उत्तर प्रदेश विद्युत वितरण निगम लि, लखनऊ द्वारा याचिका सं 213/एमपी/2011 में दिनांक 26.11. 2011 के आदेश के पैरा 10 का गैर अनुपालन।	27/6/2012
52	28/2012	23/2/2012	स्वप्रेरणा से	अरूणांचल प्रदेश विद्युत वितरण निगम लि, ईटानगर द्वारा याचिका सं 213/एमपी/2011 में दिनांक 26.11. 2011 के आदेश के पैरा 10 का गैर अनुपालन।	27/6/2012
53	221/एमपी/ 2011	30/12/2011	टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड	विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के उल्लंघन में दिनांक 12.10.2011 के परिपत्र सं आईईएक्स–एमईएम–76– 2011 के माध्यम से या माननीय आयोग विद्युत बाजार विनियम, 2010 या उसके अंतर्गत बनाए गए लागू उपविधियों तथा इस संबंध में उचित निर्देश के लिए माननीय आयोग से जारी होने की मांग करते हुए भारतीय ऊर्जा विनिमय द्वारा प्रभावित संव्यवहार फीस प्रभारों में एकपक्षीय उप्राधिकृत वृद्धि और को समाप्त करने की मांग करने वाली याचिका।	4/7/2012

क्रम सं	याचिका सं	दाखिल करने की तारीख	याचिका कर्त्ता	विषय	निपटान की तारीख
54	255/2009	3/10/2011	एनटीपीसी	1.4.2009 से 31.3.2014 की अवधि के लिए राष्ट्रीय केपिटल थर्मल पावर स्टेशन दादरी स्टेज-I (840 मैगावाट) के टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका।	6/7/2012
55	31/2011	23/2/2011	पीजीसीआईएल	टैरिफ ब्लाक 2009 से 2014 की अवधि के लिए एनईआर में मिसिंग लिंक पारेषण प्रणाली के अंतर्गत (क) सयुक्त घटक (i) संबद्ध बेज (डोको : 1.2.2010) के साथ कोपीली में 160 एमवीए, 220/132 केवी, 3–फेस ऑटो ट्रांसफोरर्म। (ii) संबद्ध बेज (डोटो : 1.11.2010) 132 केवी एस/सी कोपिली – खानडोंग पारेषण लाईन (iii) दीमापुर उपकेन्द्र (डोको : 1.1. 2011) में संबद्ध बेज सहित 100 एमवीए, 220/132 केवी, तीन फेज आटो ट्रासफोरर्म (क) सहित संयुक्त घटक तथा (iv) पावर ग्रिड (प्रत्याशित डोको : 1.2.2011 में) (नागालैंड) एसएससी लाईन दीमापुर नागालैंड 132 केवी का लीलो के लिए डोको से 31.3.2014 तक टैरिफ पारेषण की निर्धारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन और शर्ते) विनियम, 2009 के विनियम 86 के अंतर्गत अनुमोदन।	9/7/2012
56	146/TT/2011	24/6/2011	पीजीसीआईएल	टैरिफ ब्लाक 2009–14 की अवधि के लिए उतरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना-XXIII के अंतर्गत लखनऊ स्टेशन (अंतडोको)(1.12.2011) में संबद्ध बेज सहित 500 एमवीए 400/220 केवीIसीटी–II के लिए डोको से 31.3.2014 तक पारेषण टैरिफ के निर्धारण के लिए याचिका।	9/7/2012
57	23/2012	23/2/2012	स्वप्रेरणा से	विद्युत विभाग सिक्किम सरकार गंगटौक द्वारा याचिका संख्या 213/एमपी/2013 में 26.11.2011 के आदेश के पैरा 10 का गैर अनुपालन	12/7/2012
58	30/2012	23/2/2012	स्वप्रेरणा से	मैघालय राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा याचिका संख्या 213/एमपी/2013 में 26.11.2011 के आदेश के पैरा 10 का गैर अनुपालन।	12/7/2012
59	323/2009	22/12/2009	एनटीपीसी	1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए फिरोज गांधी उंचार थर्मल पावर स्टेशन स्टेज–II (420 मेगावाट) के टैरिफ का अनुमोदन।	13/7/2012

क्रम सं	याचिका सं	दाखिल करने की तारीख	याचिका कर्त्ता	विषय	निपटान की तारीख
60	351/2010	1/12/2010	पोसोको	भारतीय विद्युत बाजार में फ्रिक्वेंसी सपोर्ट सहायक सेवा की शुरुआत।	20/7/2012
61	134/एमपी/ 2012	25/5/2012	उड़ीसा समन्वित पावर लि	उड़ीसा समन्वित पावर लि. की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के संबंध में बोली प्रोसेंसिंग अवधि के विस्तार के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अंतर्गत अधिसूचना सं 23/1/2004 आरएंडआर (खंड–II) तारीख 19.1.2005 (जिसमें तारीख 30.3.2006, 18.8.2006, 27.9.2007, 27.03.2009 और 21.7.2010 संशोधन भी हैं) ('मार्गनिर्देशों के रूप में इसके बाद उल्लिखित') के माध्यम से विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किए गए 'वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत की प्राप्ति के लिए बोली प्रक्रिया द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए मार्गनिर्देश' के पैरा 5.18 के साथ पठित पैरा 5.16 के अंतर्गत आवेदन।	25/7/2012
62	136/एमपी/ 2012	5/6/2012	भोपाल धुले ट्रांसमिशन कंपनी लि. और एसबीआईसीएपी ट्रस्टी कंपनी लि.	सुरक्षा ट्रस्टी के पक्ष में सुरक्षा सृजन के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 17(3) के अंतर्गत अनुमोदन के लिए आवेदन।	25/7/2012
63	084/2009	16/4/2009	जीईएल	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 142,149 और 11 (2) के साथ पठित धारा 146 के अंतर्गत याचिका।	31/7/2012
64	254/2009	5/11/2009	एनटीपीसी	1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए रिहंद सुपर थर्मल पावर स्टेशन के टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका।	2/8/2012
65	225/2009	25/3/2011	एनटीपीसी	1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन (2000 मैगावाट) के टैरिफ के अनुमोदन।	7/8/2012
66	316/2010	3/12/2010	पीजीसीआईएल	1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में सिंगरौली पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण टैरिफ के लिए विनियम, 86 के अंतर्गत अनुमोदन।	13/8/2012
67	334/2010	14/12/2010	पीजीसीआईएल	1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में कोपली खानडोंग में एटीजीआई (अतिरिक्त पारेषण गौहपुर–इटानगर) के एटीएस के लिए पारेषण पारेषण टैरिफ के लिए विनियम 86 के अंतर्गत अनुमोदन।	13/8/2012

क्रम सं	याचिका सं	दाखिल करने की तारीख	याचिका कर्त्ता	विषय	निपटान की तारीख
68	1/RP/2012	10/1/2012	पुनरीक्षण याचिका	25.10.2011 के आदेश की समीक्षा के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम 103 के अंतर्गत आवेदन।	14/8/2012
69	125/MP/ 2012	17/4/2012	पोसोको–एनआरएलडीसी	भारतीय विद्युत ग्रिड कोड और अननुसूचित अंतपरिवर्तन प्रभार विनियमों के अनुसार उत्तरी क्षेत्र संघटकों द्वारा उचित भार प्रबंधन को प्रभावित करना।	17/8/2012
70	300/2009	30/11/2009	एनटीपीसी	1.4.2004 से 31.3.2009 के बीच एनटीपीसी के विभिन्न कार्यालयों में किए गए पूंजी व्यय के कारण निर्धारित प्रभारों की वसूली के लिए विविध याचिका।	21/8/2012
71	205/2010	19/7/2010	एएसईबी	केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम, 117 के साथ पठित विद्युत अधिनिमय, 2003 की धारा 79 के अंतर्गत याचिका।	22/8/2012
72	173/आरसी/ 2012	17/8/2012	जेपोलीकेम (इंडिया)लि. नई दिल्ली	श्रेणी I से श्रेणी III तक अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति की डाउनग्रेडिंग।	23/8/2012
73	8/आरपी/2012	12/4/2012	टौरेंट पावर ग्रिड लि.	केविविआ (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) विनियम 2009 पर आधारित 1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2014 तक की अवधि के लिए मौजूदा गंधार देहगाम 400 केवी डी/सी के सर्किट के लीलों के लिए गंधार के निकट प्वाइंट में सूजैन से 400 केवी डी/सी पारेषण लाइन के पारेषण टैरिफ के निर्धारण के लिए माननीय आयोग द्वारा जारी मामला संख्या 318/2010 अनंतिम टैरिफ आदेश दिनांक 8 दिसम्बर 2011 के मामलें में पुनरीक्षण याचिका।	23/8/2012
74	257/2009	3/11/2010	एनटीपीसी	1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए सिमांध्री सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-I (1000 मैगावाट) के टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका।	27/8/2012
75	343/2010	24/12/2010	पीजीसीआईएल	उतरी क्षेत्र में टैरिफ ब्लाक 2009–14 तक की अवधि के लिए उतरी क्षेत्र प्रणाली सुदढी करण योजना–VI (एनआरएसएस–VI)के अंतर्गत संबद्ध बेज(डोको 1.7. 2010) सहित गुड़गांव (न्यू)में जीआईएस सबस्टेशन पर 315 एमवीए 400 केवी/220 आईसीटी-I : गुडगांव (डोको : 1.7.2010) एवं आस्ति 2 पर बल्लभगढ – भिवंडी 400 केवी एस/सी लाइन की आस्ति-I : लीलों के लिए डोको से 31.3.2014 पारेषण के निर्धारण के	30/8/2012

क्रम सं	याचिका सं	दाखिल करने की तारीख	याचिका कर्त्ता	विषय	निपटान की तारीख
				लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2009 के विनियम, 86 के अतर्गत अनुमोदन।	
76	210/अपनी ओर से/2011	15/11/2011	स्वप्रेरणा से	क्षेत्रीय कंपनियों द्वारा केविविआ (अननुसूचित अंतपरिवर्तन और संबद्ध मामलें) विनियम 2009 के अनुसार साखपत्र के खोलने में चूक।	30/8/2012
77	124/2009	24/6/2009	जीयूवीएनएल	पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र में झनोंर(गांधार) गैस आधारित पावर स्टेशन (657.39 मैगावाट) और अन्य पावर स्टेशनों के संबंध में पूंजी आधार पर 31.3.2004 तक वसूल किए गए अधिक टैरिफ की वापसी के लिए एनटीपीसी को निर्देश देने के लिए विविध याचिका।	31/8/2012
78	278/2009	20/11/2009	एनटीपीसी	1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए रामागुंदम सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज–I और–II (2100 मैगावाट) के टैरिफ के अनुमोदन।	31/8/2012
79	019/ आरपी/ 2011	30/8/2011	एनएचपीसी	1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए बैरासुवल पावर स्टेशन के जनरेशन टैरिफ के अनुमोदन के संबंध में याचिका सं0 90/2010 में आयोग द्वारा पारित ओदश दिनांक 15.6.2011 के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका।	31/8/2012
80	3/आरपी/2012	19/1/2012	एनएचपीसी लि.	1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए रंगित एचई पावर स्टेशन के जनरेशन टैरिफ के अनुमोदन के संबंध में याचिका सं. 121/2010 में आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.2011 के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका।	31/8/2012
81	161/टीडीएल/ 2011	22/7/2011	ग्रेटा पावर ट्रेडिंग लि.	अंतराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति श्रेणी–IV की मंजूरी के लिए आवेदन।	3/9/2012
82	184/2009	28/8/2009	एनटीपीसी	तल्चर थर्मल पावर स्टेशन (460 मैगावाट) के 2004–09 के दौरान किए गए अतिरिक्त पूंजी व्यय के कारण निर्धारित प्रभारों का पुनरीक्षण।	3/9/2012
83	5/आरपी/2012	6/3/2012	एनएचडीसी लि.	केविविआ विनियम 2004 : 20.8.2007 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए औंकेरेश्वर एचई पावर स्टेशन (8X65 मैगावाट) के अंतिम टैरिफ के निर्धारण के लिए याचिका सं0 265/2010 में आदेश दिनांक 16.1.2012 के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करना।	5/9/2012
84	326/2010	14/12/2010	पीजीसीआईएल	1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए उत्तरी	7/9/2012

क्रम सं	याचिका सं	दाखिल करने की तारीख	याचिका कर्त्ता	विषय	निपटान की तारीख
				क्षेत्र में रिंहद पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण टैरिफ हेतु विनियम 86 के अतर्गत अनुमोदन	
85	019/2009	20/1/2009	बीएसईएस	दामोदर वैली कारपोरेशन और दिल्ली ट्रांस्कों लि के बीच प्रविष्ट 24.8.2006 के विद्युत क्रय करार के साथ एवं उसके बाद दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के आदेश दिनांक 31.3.2007 के माध्यम से दिल्ली के तीन डिस्कामों को पुननिर्दिष्ट करने के अनुसार राष्ट्रीय दिल्ली पूंजी क्षेत्र को आवंटित विद्युत की गैर आपूर्ति के लिए दामोदर वैली कारपोरेशन के विरुद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1)(एफ) के अंतर्गत याचिका।	7/9/2012
86	188/2009	28/8/2009	एनपीसीपीएलसी	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) के अंतर्गत याचिका9/7/201287281/2009 11/20/2009एनटीपीसी 1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए राजीव गांधी कंबाइट साइकिल पावर प्रोजेक्ट कयनकुल्लम स्टेज-I (359.58 मैगावाट) के टैरिफ का अनुमादेन।	7/9/2012
87	281/2009	20/11/2009	एनटीपीसी	1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए राजीव गांधी कंबाइट साइकिल पावर प्रोजेक्ट कयनकुल्लम स्टेज-I (359.58 मैगावाट) के टैरिफ का अनुमादेन।	7/9/2012
88	93/टीटी/2011	8/4/2011	पीजीसीआईएल	टैरिफ ब्लाक 2009–14 की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी ग्रिड भाग–III के केन्द्रीय भाग के लिए 765 केवी प्रणाली के अंतर्गत एस/ एस भिवनी में (प्रत्याशित डोको : 1.5.2011) में बवाना – बहादुरगढ – हिसार लाईन के पहले लीलों के लिए पारेषण टैरिफ के निर्धारण के लिए केविविआ (कारोबार का परिचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2009 के विनियम 86 के अंतर्गत अनुमोदन।	7/9/2012
89	119/MP/2012	3/4/2012	एवरेस्ट पावर प्रा. लि.	केविविआ अधिसूचना संख्या एल–1/(3)/2009– केविविआ दिनांक 21 मार्च 2012 के माध्यम से यथासंशोधित केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घ कालीन पहुंच मध्यकालीन पहुंच में कनैक्टीविटी प्रदान करना तथा अन्य संबद्ध मामलें) विनियम 2009 के विनियम 8 के खंड (7) के पहले उपबंध के अंतर्गत केविविआ के अंतर्गत याचिका।	11/9/2012

क्रम सं	याचिका सं	दाखिल करने की तारीख	याचिका कर्त्ता	विषय	निपटान की तारीख
90	168/एमपी/ 2012	7/8/2012	जबलपुर ट्रांसमिशन कंपनी लि.	(क) धर्म जयगढ जबलपुर पूल 765 केवी डी/सी पारेषण लाईन (एसीएसआर/एएएसी जैबरा – 384 किमी) और (ख) जबलपुर पूल बिना 765 केवी एससी पारेषण लाईन (एसीएसआर/ एएएसीबैरासमीस) – 250 किमी) निम्नलिखित पारेषण लाईनों के लिए मोरगैर से निष्पादन के माध्यम से परियोजना को लैंडर सुरक्षा नियासी के लाभ के लिए परियोजना आस्तियों पर मोर्गेज के जरिए प्रतिभूति ट्रस्टी करार के लिए प्रतिभूति ट्रस्टी के पक्ष में प्रतिभूति सृजन के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 17 (3) की धारा के अंतर्गत अनुमोदन के लिए आवेदन।	12/9/2012
91	227/2009	27/9/2010	एनटीपीसी	1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-I (1260 मैगावाट) के टैरिफ का अनुमोदन।	12/9/2012
92	280/2009	16/9/2010	एनटीपीसी	1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए फरीदाबाद गैस पावर स्टेशन (431.586 मैगावाट) के टैरिफ का अनुमोदन।	14/9/2012
93	260/2010	20/9/2010	औरेंट ग्रीन पावर लि.	राजस्थान, मध्यप्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में बायोमास आधारित पावर परियोजनाओं के लिए बायोमास ईंधन से संबद्ध केविविआ नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ विनियम, 2009 के मानंदडों की समीक्षा और संशोधन।	17/9/2012
94	199/एमपी/ 2011	20/10/2011	पीजीसीआईएल	केविविआ (टैरिफ के निर्धारण, आवेदन एवं अन्य संबद्ध मामलों के लिए आवेदन की क्रियाविधि) विनियम, 2004 के विनियम में संशोधन के लिए निवेदन सहित केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम 111 के साथ पठित विनियम 24 के अंतर्गत विविध याचिका।	17/9/2012
95	20/आरपी/ 2011	5/10/2011	एनएचपीसी लि.	1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए यूआरआई पावर स्टेशन के उत्पादनकारी टैरिफ के अनुमोदन के संबंध में याचिका सं 74/2010 में मान्य आयोग द्वारा पारित 16.6.2011 के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका।	18/9/2012
96	191/एमपी /	31/8/2012	आईएनडीएस	केविविआ (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए	18/9/2012

क्रम सं	याचिका सं	दाखिल करने की तारीख	याचिका कर्त्ता	विषय	निपटान की तारीख
	2012		आईएल हाइड्रो पावर एंड मैंगसेन्से लि.	नवीकरणीय ऊर्जा के लिए प्रमाण प्रत्र) विनियम, 2010 के विनियम 14 और 15 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(आई)(सी), 79(आई)(एफ) के अंतर्गत याचिका।	
97	011/2010	12/1/2010	टीएनईबी	बोर्ड के अलमाठी सबस्टेशन में पावर ग्रिड द्वारा स्थापित 400 केवी बेज के लिए और डोको से अलमाठी सबस्टेशन में तमिलनाडु विद्युत बोर्ड द्वारा रखें गए पावर ग्रिड द्वारा ओ एंड एम प्रभारों के भुगतान के जारी करने पर 'कठिनाईयों को दूर करने के लिए शक्ति' विनियम 12 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्ते) विनियम, 2004 के "रियायत के लिए शक्ति" के लिए विनियम, 13 के अंतर्गत आयोग के हस्तक्षेप की मांग करने वाली विविध याचिका।	19/9/2012
98	71/एमपी/2011	8/3/2011	पीएक्सआईएल	केविविआ पावर मार्केट विनियम 2010 के विनियम 26 की व्याख्या पर स्पष्टीकरण और याचिका संख्या 135/2010 में पारित दिनांक 17.2.2011 के इस माननीय आयोग के आदेश के स्पष्टीकरण की मांग के लिए भारतीय पावर एक्सचेंज लि. की ओर से याचिका।	19/9/2012
99	159/एसएम/ 2011	12/7/2011	स्वप्रेरणा से	तमिलनाडु विद्युत बोर्ड चेन्नई द्वारा अनुसूचित अधिक आहरण में आहरित उर्जा के लिए अननुसूचित प्रभारों के भुगतान में चूक।	19/9/2012
100	219/2009	5/10/2009	एनआरएलडीसी	अधिक आहरण को समाप्त करने और उत्तरी क्षेत्र संघटकों द्वारा उचित भार प्रबंधन को प्रभावित करते हुए समूचे उत्तर पश्चिमी (न्यू) ग्रिड की सुरक्षा को बनाए रखना।	20/9/2012
101	002/2010	11/1/2010	अपनी ओर से	2 जनवरी 2010 को उत्तरी क्षेत्र में ग्रिड व्यवधान।	20/9/2012
102	015/2010	21/1/2010	एनएलसी	आयकर देयताओं को क्लीयर करने के लिए केएसईबी को निदेश एवं आयोग के हस्तक्षेप की मांग करते हुए आयकर प्रतिपूर्ति के लिए केएसईबी से बकाया देयताए।	20/9/2012
103	158/एमपी/ 2012	12/7/2012	डीपीएससी लि.	केविविआ (अंतराज्यिक पारेषण में दीर्घ कालीन पंहुच और मध्यकालीन निर्बाध पहुंच और कनैक्टीविटी प्रदान करना तथा संबद्ध मामलें) विनियम, 2009 के विनियम 32 की धारा 79 (1) (एफ) (एफ) और धारा 79 (1)(सी)के अंतर्गत याचिका।	21/9/2012
104	137/एमपी /	5/6/2012	छत्तीसगढ़	केविविआ की अपनी ओर से याचिका सं 191/2011	25/9/2012

क्रम सं	याचिका सं	दाखिल करने की तारीख	याचिका कर्त्ता	विषय	निपटान की तारीख
	2012		राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लि.	तथा आईईजीसी विनियमों के अनुसार एसजो थर्मल पावर स्टेशन कोरबा (पश्चिम) और एसजीयो बंगो हाइडल स्टेशन मजदौली में आरजीएमओ को प्रस्तुत करना और बनाए रखना।	
105	326/2009	22/12/2009	एमएसईडी सीएल	विभिन्न प्रयोज्यताओं द्वारा विद्युत के अधिक आहरण को कम करने के निर्देशों के लिए विद्युत अधिनिमय 2003 की धारा 79(1)(सी) और धारा 79(1)(एच) के अंतर्गत याचिका।	25/9/2012
106	139/2012	8/6/2012	स्वप्रेरणा से	विद्युत विकास विभाग, जम्मू और कश्मीर द्वारा अधिनिर्णय मामला सं. 3/2010 में दिनांक 22.9.2011 के आदेश पैरा 18 का गैर अनुपालन।	25/9/2012
107	आरपी/04/ 2011	20/4/2011	टीएनईबी	2. केविविआ (कारोबार का संचालान) विनियम 1999 के विनियम 103 के अंतर्गत पावर ग्रिड के एसआर में टैरिफ अवधि 2009–14 के लिए (i) महबूब नगर का लीलों (ii) अल्माटी सबस्टेशन में लीलों की संयुक्त आस्तियों के सबंध में 2010 की याचिका संख्या 123 में इस माननीय आयोग द्वारा पारित 8.3.2011 का आदेश की समीक्षा।	26/9/2012
108	55/जीटी/2011	3/10/2011	एनटीपीसी	1.4.2011 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए सीमान्ध्री सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज–II (2x500) के टैरिफ के अनुमोदन के लिए टैरिफ याचिका।	26/9/2012
109	168/एमपी/ 2011	8/8/2011	एनआरएलडीसी	एनआरएलडीसी में विश्वसनीय वास्तविक टाईम डाटा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सीईए (ग्रिड से कनेक्टीविटी के लिए तकनीकी मानक) के खंड 5(3) के साथ पठित आईईजीसी 2010 के खंड 4.6.2 के अनुसार उत्तरी क्षेत्र के प्रयोक्ताओं द्वारा प्रेषण सुविधाओं की स्थापना और रखरखाव के लिए आईईजीसी 2010 की धारा 1.5 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 28(ङ) के अंतर्गत याचिका।	26/9/2012
110	178/एमपी/ 2011	5/9/2011	दक्षिण क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (एसआरएल डीसी)	एसआरएलडीसी में विश्वसनीय वास्तविक टाईम डाटा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सीईए (गिड से कनेक्टीविटी के लिए तकनीकी मानक) के खंड 5(3) के साथ पठित आईईजीसी, 2010 के खंड 4.6.2 के अनुसार दक्षिण क्षेत्र के प्रयोक्ताओं द्वारा प्रेषण सुविधाओं की स्थापना और रखरखाव के लिए आईईजीसी, 2010	26/9/2012

क्रम सं	याचिका सं	दाखिल करने की तारीख	याचिका कर्त्ता	विषय	निपटान की तारीख
				की धारा 1.5 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 28(ङ) के अंतर्गत याचिका।	
111	194/एमपी/2011	5/10/2011	डब्लूआरएलडीसी	डब्लूआरएलडीसी में विश्वसनीय वास्तविक टाईम डाटा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सीईए (गिड से कनैक्टीविटिी के लिए तकनीकी मानक) के खंड 5(3) के साथ पठित आईईजीसी 2010 के खंड 4.6.2 के अनुसार पश्चिमी क्षेत्र के प्रयोक्ताओं द्वारा प्रेषण सुविधाओं की स्थापना और रखरखाव के लिए आईईजीसी, 2010 की धारा 1.5 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 28(ङ) के अंतर्गत याचिका।	26/9/2012
112	200/एमपी/2011	20/10/2011	एनएलडीसी –पोसोको	केविविआ (क्षेत्रीय प्रभार प्रेषण केन्द्र का फीस और प्रभार तथा अन्य संबद्ध मामलें) विनियम, 2009 के रियायत के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) संशोधन विनियम, 2009 एवं विनियम, 29 के विनियम 111 के साथ पठित विनियम 24 के अंतर्गत दाखिल विविध याचिका ।	28/9/2012
113	048/एमपी/2012	15/3/2012	पीजीसीआईएल	एमबी पावर (एमपी) लि के लिए डब्लूआर में पारेषण प्रणाली सुदढीकरण के निष्पादन के लिए विनियामक अनुमोदन की स्वीकृति के लिए सीईआरसी (अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली के लिए दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन निर्बाध पहुंच, कनेक्टीविटी प्रदान करना तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के साथ पठित केविविआ (केन्द्रीय पारेषण प्रयोज्यता) के लिए अंतरराज्यिक पारेषण योजना के कार्यनिष्पादन के लिए विनियामक अनुमोदन प्रदान करने के लिए विनियम, 2010 के अंतर्गत अनुमोदन।	28/9/2012
114	9/आरपी/2012	16/4/2012	एनएचपीसी लि.	1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए चमेरा-II उत्पादनकारी टैरिफ के अनुमोदन के संबद्ध में याचिका सं 66/2010 में मान्य आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.1.12 के विरूद्ध याचिका की समीक्षा।	1/10/2012
115	231/2010	12/8/2010	टीपीएल	पावर एक्सचेंज में विद्युत की बिक्री के लिए सहमति/स्थायी पूर्व क्लीयरैंस की मांग के लिए दिनांक 28.6.2010 के याचिकाकर्त्ता के आवेदन के महाराष्ट्र राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा एक पक्षीय और गैर कानूनी रद्यकरण के विरुद्ध याचिका।	1/10/2012

क्रम सं	याचिका सं	दाखिल करने की तारीख	याचिका कर्त्ता	विषय	निपटान की तारीख
116	342/2010	28/12/2010	पीजीसीआईएल	उत्तरी क्षेत्र में टैरिफ ब्लाक 2009–14 की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण योजना-XII से डोको से 31.3.2014 तक संयुक्त घटकों के पारेषण टैरिफ के निर्धारण के लिए सीईआरसी (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2009 के विनियम 86 के अंतर्गत अनुमोदन।	3/10/2012
117	157/टीडीएल/ 2012	12/7/2012	पार्श्व प्रभु पावर प्रा.लि.	श्रेणी–IV में अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन	4/10/2012
118	212/एमपी/ 2012	12/9/2012	उत्तरपूर्व इलक्ट्रीक पावर कारपोरेशन लि.	केविविआ (विद्युत आपूर्ति का विनियम) विनियम 2010 के अंतर्गत अध्याय–III (उत्पादनकारी कंपनी द्वारा विनियम) एवं विनियम 4 (विद्युत आपूर्ति के विनियम की क्रियाविधि के साथ पठित) सीईआरसी (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के अंतर्गत याचिकाकर्त्ता को प्रतिवादी द्वारा देयताओं के गैर भुगतान के मामलें में विविध याचिका।	4/10/2012
119	171//एमपी / 2012	14/8/2012	एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लि.	केविविआ (अंतराज्यिक पारेषण प्रणाली के दीर्घ कालीन पहुंच और मध्यकालीन पहुंच, कनैक्टीविटी प्रदान करना और संबद्ध मामलें) एवं सीईआरसी (अननुसूचित अंतपरिवर्तन प्रभार और संबद्ध मामलें) के विनियम 8 के अंतर्गत याचिका।	8/10/2012
120	124/एमपी/ 2011	9/5/2011	श्यामानूर सुगर लि.	विद्युत अधिनियम 2003 की केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में अल्पकालीक निर्बाध पहुंच) विनियम 2008 के विनियम 26 के साथ पठित धारा 79 (आई)(एफ) के अंतर्गत याचिका।	9/10/2012
121	006/आरपी/ 2012	21/3/2012	पीजीसीआईएल	डोको से 31.3.2014 तक पश्चिमी क्षेत्र में सिपत–I पारेषण प्रणाली के अंतर्गत संबद्ध बे उपकरण (डोको : 1.4.2009) के साथ राजगढ एसएस में 400–220 केवी, 315 एमबीए आईसीटी-II के लिए पारेषण टैरिफ के अनुमोदन के मामले में 2010 की याचिका सं 69 में केविविआ के आदेश दिनांक 2.12. 2010 के केविविआ (कारोबार का संचलान) विनियम 1999 के विनियम 111 के साथ पठित विनियम 103 (1) के अंतर्गत समीक्षा।	9/10/2012
122	205/एमपी/2011	17/10/2011	मीनाक्षी एनर्जी प्रा. लि.	यूआई संगणना सहित अनुसूचिकरण एवं प्रेषण, मीटरिंग, ऊर्जा लेखांकन के प्रयोजन के लिए स्वतंत्र एवं अलग	9/10/2012

क्रम सं	याचिका सं	दाखिल करने की तारीख	याचिका कर्त्ता	विषय	निपटान की तारीख
				उत्पादनकारी स्टेशनों के रूप में याचिकाकर्त्ता द्वारा और सिमपूरी ऊर्जा प्रा0 लि0 द्वारा विकसित थर्मल पावर प्रयोजनाओं के लिए तथा स्वतंत्र उत्पादकारी स्टेशनों के रूप में याचिका कर्त्ता द्वारा 1000 मैगावाट परियोजना का पता लगाने के लिए एसएलडीसी एवं पावर सिस्टम परिचालन का लि. पर पारित किए जाने वाले उपयुक्त निदेश।	
123	215/एमपी/2011	30/11/2011	पोसोको ईआरएलडीसी	ईआरएलडीसी में विश्वसनीय वास्तविक समय डाटा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सीईए (ग्रिड के लिए संबद्धता हेतु तकनीकी मानदंड) विनियम 2007 के खंड 5 (3) के साथ पठित आईईजीसी 2010 के खंड 4.6.2 के अनुसार पूर्वी क्षेत्र के प्रयोक्ताओं द्वारा प्रेषण सुविधाओं की रखरखाव के लिए आईईजीसी 2010 के खंड 1.5 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 28(ङ) के अंतर्गत याचिका।	9/10/2012
124	76/2009	10/5/2012	पीजीसीआईएल	दक्षिणी क्षेत्र में खमाम में आईसीटी और गजुआका में रिएक्टर सहित रामगुंडम पारेषण के लिए टैरिफ अवधि 2004–09 अवधि के लिए 2008–09 के दौरान किए गए वि–पूंजीकरण और अतिरिक्त पूंजीकरण के कारण पारेषण टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2004 के विनियम 86 के अंतर्गत अनुमोदन।	10/10/2012
125	114/एसएम/ 2011	20/4/2011	स्वप्रेरणा से	केविविआ (व्यापार मार्जिन का निर्धारण) विनियम 2010 के प्रावधानों का गैर अनुपालन	11/10/2012
126	135/एमपी/2011	4/6/2011	पारबती कोलदम ट्रांसमिशन कंपनी लि.	क. पारबती कोल्दम 400 केवी(क्वेट मूस कन्डक्टर) 2 x एस/सी पारेषण लाइनों और ख. कोल्दम – लुधियाना 400 केवी डी/सी (ट्रिपल स्नोबर्ड कंडकटर पारेषण लाईन) के लिए लागू केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2009 एवं केविविआ (कारोबार का संचालन) के विनियम 24, 111,113 की विनियम 3(12) (ग)के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 79(1)(ग)(घ) के अंतर्गत उपचार।	11/10/2012
127	217/एमपी/2011	14/12/2011	पोसोको	एनईआरएलडीसी में विश्वसनीय वास्तवित समय डाटा	11/10/2012

क्रम सं	याचिका सं	दाखिल करने की तारीख	याचिका कर्त्ता	विषय	निपटान की तारीख
			एनआरएलडीसी	की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सीईए (ग्रिड के लिए संबद्धता हेतु तकनीकी मानदंड) विनियम 2007 के खंड 5 (3) के साथ पठित आईईजीसी 2010 के खंड 4.6.2 के अनुसार उत्तरपूर्वी क्षेत्र के प्रयोक्ताओं द्वारा प्रेषण सुविधाओं की रखरखाव के लिए आईईजीसी 2010 के खंड 1.5 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 28(ङ) के अंतर्गत याचिका।	
128	222/एमपी/2012	24/9/2012	एनटीपीसी लि.	केविविआ (अंतराज्यिक पारेषण प्रणाली के दीर्घ कालीन पहुंच और मध्यकालीन पहुंच, कनैक्टीविटी प्रदान करना और संबद्ध मामले) एवं सीईआरसी (अननुसूचित अंतपरिवर्तन प्रभार और संबद्ध मामलें) के विनियम 8 के अंतर्गत याचिका।	11/10/2012
129	264/2009	11/10/2010	एनटीपीसी	1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन (2100 मैगावाट) के टैरिफ का अनुमोदन।	12/10/2012
130	35/एमपी/2011	28/2/2011	एनटीपीसी	तल्चर स्टेप स्टेज–I (1000 मैगावाट) के वेतन संशोधन के कारण की गई अतिरिक्त लागत की वसूली के लिए याचिका।	12/10/2012
131	36/एमपी/2011	28/2/2011	एनटीपीसी	फरक्का स्टेप स्टेज–I (1600 मैगावाट) के वेतन संशोधन के कारण की गई अतिरिक्त लागत की वसूली के लिए याचिका।	12/10/2012
132	38/एमपी/2011	3/1/2011	एनटीपीसी	1.1.2006 से 31.3.2009 तक की अवधि के दौरान विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज–I (1260 मैगावाट) के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए की गई अतिरिक्त लागत की वसूली के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2004 के विनियम 12 और 13 के अंतर्गत याचिका	12/10/2012
133	39/एमपी/2011	3/1/2011	एनटीपीसी	1.1.2006 से 31.3.2009 तक की अवधि के दौरान विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज–II (1000 मैगावाट) के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए की गई अतिरिक्त लागत की वसूली के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2004 के विनियम 12 और 13 के अंतर्गत याचिका	12/10/2012

क्रम सं	याचिका सं	दाखिल करने की तारीख	याचिका कर्त्ता	विषय	निपटान की तारीख
134	40/एमपी/2011	3/1/2011	एनटीपीसी	1.1.2006 से 31.3.2009 तक की अवधि के दौरान कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन (2100 मैगावाट) के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और केन्द्रीय विद्यालय स्टाफ के कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए की गई अतिरिक्त लागत की वसूली के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2004 के विनियम 12 और 13 के अंतर्गत याचिका	12/10/2012
135	41/एमपी/2011	3/1/2011	एनटीपीसी	1.1.2006 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए राजीव गांधी संयुक्त साईकिल पावर पोजेक्ट योजना–I कायाकुल्लम (359.58 मैगावाट) के लिए अतिरिक्त लागत की वसूली के लिए याचिका।	12/10/2012
136	42/एमपी/2011	3/1/2011	एनटीपीसी	1.1.2006 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए तल्चर सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज–II (4x500 मैगावाट) के लिए अतिरिक्त लागत की वसूली के लिए याचिका।	12/10/2012
137	43/एमपी/2011	3/1/2011	एनटीपीसी	1.1.2006 से 31.3.2009 तक की अवधि के दौरान रामागुंदम सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज I और II (2100 मैगावाट) के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और केन्द्रीय विद्यालय स्टाफ के कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए की गई अतिरिक्त लागत की वसूली के लिए केविविआ (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2004 के विनियम 12 और 13 के अंतर्गत याचिका।	12/10/2012
138	44/एमपी/2011	3/1/2011	एनटीपीसी	1.1.2006 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए रामागुंदम सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज–III (500 मैगावाट) के लिए अतिरिक्त लागत की वसूली के लिए याचिका।	12/10/2012
139	45/एमपी/2011	3/1/2011	एनटीपीसी	सिमान्ध्री सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज–I (2x500 मैगावाट) के लिए अतिरिक्त लागत की वसूली के लिए याचिका।	12/10/2012
140	48/एमपी/2011	3/3/2011	एनटीपीसी	1.1.2006 से 31.3.2009 तक की अवधि के दौरान तल्चर थर्मल पावर स्टेशन (460 मैगावाट) के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्टाफ के कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए की गई अतिरिक्त लागत की वसूली के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2004 के विनियम 12 और 13 के अंतर्गत याचिका।	12/10/2012

क्रम सं	याचिका सं	दाखिल करने की तारीख	याचिका कर्त्ता	विषय	निपटान की तारीख
141	49/एमपी/2011	3/3/2011	एनटीपीसी	1.1.2006 से 31.3.09 तक की अवधि के लिए अतिरिक्त लागत की वसूली के लिए कहलगांव एसटीपीएस स्टेज 1 के लिए याचिका।	12/10/2012
142	50/एमपी/2011	3/3/2011	एनटीपीसी	1.1.2006 से 31.3.2009 तक की अवधि के दौरान कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज–II (2x500 मैगावाट) के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्टाफ के कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए की गई अतिरिक्त लागत की वसूली के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2004 के विनियम 12 और 13 के अंतर्गत याचिका	12/10/2012
143	51/एमपी/2011	9/3/2011	एनटीपीसी	1.1.2006 से 31.3.2009 तक की अवधि के दौरान झनौर गंधार जीपीएस सुपर थर्मल पावर स्टेशन (657.39 मैगावाट) के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्टाफ के कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए की गई अतिरिक्त लागत की वसूली के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2004 के विनियम 12 और 13 के अंतर्गत याचिका।	12/10/2012
144	52/एमपी/2011	3/3/2011	एनटीपीसी	1.1.2006 से 31.3.2009 तक की अवधि के दौरान विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज III (1000 मैगावाट) के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्टाफ के कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए की गई अतिरिक्त लागत की वसूली के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2004 के विनियम 12 और 13 के अंतर्गत याचिका	12/10/2012
145	53/एमपी/2011	3/3/2011	एनटीपीसी	1.1.2006 से 31.3.2009 तक की अवधि के दौरान कवास जीपीएस (656.20 मैगावाट) के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्टाफ के कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए की गई अतिरिक्त लागत की वसूली के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2004 के विनियम 12 और 13 के अंतर्गत याचिका	12/10/2012
146	54/एमपी/2011	9/3/2011	एनटीपीसी	31.3.2009 के लिए पहले यूनिट के सीओडी की तारीख से सिपत एसटीपीएस स्टेज–II (1000 मैगावाट) के लिए वेतन संशोधन के लिए अतिरिक्त लागत की वसूली के लिए याचिका	12/10/2012
147	59/एमपी/2011	10/3/2011	एनटीपीसी	1.1.2006 से 31.3.2009 तक की अवधि के दौरान रिहंद	12/10/2012

क्रम सं	याचिका सं	दाखिल करने की तारीख	याचिका कर्त्ता	विषय	निपटान की तारीख
				सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज–I (1000 मैगावाट) के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और केन्द्रीय विद्यालय के स्टाफ के कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए की गई अतिरिक्त लागत की वसूली के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2004 के विनियम 12 और 13 के अंतर्गत याचिका	
148	60/एमपी/2011	10/3/2011	एनटीपीसी	1.1.2006 से 31.3.2009 तक की अवधि के दौरान सिंगरोली सुपर थर्मल पावर स्टेशन (2000 मैगावाट) के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्टाफ के कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए की गई अतिरिक्त लागत की वसूली के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2004 के विनियम 12 और 13 के अंतर्गत याचिका	12/10/2012
149	61/एमपी/2011	10/3/2011	एनटीपीसी	1.1.2006 से 31.3.2009 तक की अवधि के दौरान फरीदाबाद गैस पावर स्टेशन (431.59 मैगावाट) के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और केन्द्रीय विद्यालय के स्टाफ के कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए की गई अतिरिक्त लागत की वसूली के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2004 के विनियम 12 और 13 के अंतर्गत याचिका।	12/10/2012
150	62/एमपी/2011	10/3/2011	एनटीपीसी	1.1.2006 से 31.3.2009 तक की अवधि के दौरान औरेया गैस पावर स्टेशन (663.36 मैगावाट) के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और केन्द्रीय विद्यालय के स्टाफ के कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए की गई अतिरिक्त लागत की वसूली के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2004 के विनियम 12 और 13 के अंतर्गत याचिका।	12/10/2012
151	63/एमपी/2011	10/3/2011	एनटीपीसी	1.1.2006 से 31.3.2009 तक की अवधि के दौरान नैशनल कैपिटल थर्मल पावर स्टेशन दादरी स्टेज–I (840 मैगावाट) के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और केन्द्रीय विद्यालय के स्टाफ के कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए की गई अतिरिक्त लागत की वसूली के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2004 के विनियम 12 और 13 के अंतर्गत याचिका।	12/10/2012
152	64/एमपी/2011	10/3/2011	एनटीपीसी	1.1.2006 से 31.3.2009 तक की अवधि के दौरान रिहंद	12/10/2012

क्रम सं	याचिका सं	दाखिल करने की तारीख	याचिका कर्त्ता	विषय	निपटान की तारीख
				सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज–II (1000 मैगावाट) के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और केन्द्रीय विद्यालय स्टाफ के कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए की गई अतिरिक्त लागत की वसूली के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2004 के विनियम 12 और 13 के अंतर्गत याचिका।	
153	65/एमपी/2011	10/3/2011	एनटीपीसी	1.1.2006 से 31.3.2009 तक की अवधि के दौरान अंता गैस पावर स्टेशन (419.33 मैगावाट) के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और केन्द्रीय विद्यालय स्टाफ के कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए की गई अतिरिक्त लागत की वसूली के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2004 के विनियम 12 और 13 के अंतर्गत याचिका।	12/10/2012
154	66/एमपी/2011	10/3/2011	एनटीपीसी	1.1.2006 से 31.3.2009 तक की अवधि के दौरान फिरोज गांधी उंचार थर्मल पावर स्टेशन स्टेज–I (420 मैगावाट) के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और केन्द्रीय विद्यालय स्टाफ के कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए की गई अतिरिक्त लागत की वसूली के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2004 के विनियम 12 और 13 के अंतर्गत याचिका।	12/10/2012
155	67/एमपी/2011	10/3/2011	एनटीपीसी	1.1.2006 से 31.3.2009 तक की अवधि के दौरान दादरी गैस पावर स्टेशन (829.79 मैगावाट) के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और केन्द्रीय विद्यालय स्टाफ के कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए की गई अतिरिक्त लागत की वसूली के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2004 के विनियम 12 और 13 के अंतर्गत याचिका।	12/10/2012
156	74/एमपी/2011	16/3/2011	एनटीपीसी	1.1.2006 से 31.3.2009 तक की अवधि के दौरान फिरोज गांधी उंचार थर्मल पावर स्टेशन स्टेज–III (210 मैगावाट) के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्टाफ के कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए की गई अतिरिक्त लागत की वसूली के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2004 के विनियम 12 और 13 के अंतर्गत याचिका।	12/10/2012
157	75/एमपी/2011	16/3/2011	एनटीपीसी	1.1.2006 से 31.3.2009 तक की अवधि के दौरान टांडा	12/10/2012

क्रम सं	याचिका सं	दाखिल करने की तारीख	याचिका कर्त्ता	विषय	निपटान की तारीख
				थर्मल पावर स्टेशन (440 मैगावाट) के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्टाफ के कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए की गई अतिरिक्त लागत की वसूली के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2004 के विनियम 12 और 13 के अंतर्गत याचिका।	
158	76/एमपी/2011	16/3/2011	एनटीपीसी	1.1.2006 से 31.3.2009 तक की अवधि के दौरान फिरोज गांधी उंचार थर्मल पावर स्टेशन स्टेज II (420 मैगावाट) के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्टाफ के कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए की गई अतिरिक्त लागत की वसूली के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2004 के विनियम 12 और 13 के अंतर्गत याचिका।	12/10/2012
159	77/एमपी/2011	17/3/2011	एनटीपीसी	1.1.2006 से 31.3.2009 तक की अवधि के दौरान बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन (705 मैगावाट) के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और केन्द्रीय विद्यालय स्टाफ के कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए की गई अतिरिक्त लागत की वसूली के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2004 के विनियम 12 और 13 के अंतर्गत याचिका।	12/10/2012
160	112/टीटी/2011	19/4/2011	पीजीसीआईएल	पूर्वी क्षेत्र में टैरिफ ब्लाक 2009–14 के लिए ईआरएसएस–I के अंतर्गत बरीपदा–चंडाका(मैधासल) (ग्रिडको) 400 केवी डी/सी लाईन के लिए प्रत्याशित डोको 1.5.2011 से 31.3.2014 तक पारेषण टैरिफ के निर्धारण के लिए याचिका।	12/10/2012
161	86/टीटी/2011	6/4/2011	पीजीसीआईएल	एंटी डोको (1.4.2014) पूर्वी क्षेत्र में फरक्का–III के साथ संबंध पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण टैरिफ के निर्धारण के लिए केविविआ (कारोबार के संचालन) के विनियम 86 के अंतर्गत और सीईआरसी (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2009 के विनियम 86 के लिए याचिका।	15/10/2012
162	117/एमपी/2011	4/4/2011	वीजा पावर लि.	अनुज्ञप्ति संख्या 23/व्यापार/ सीईआरसी के निर्देशन के लिए माननीय केविविआ के समक्ष याचिका पूर्णतया स्वामित्व वाली अनुषंगी, वीसा पावर ट्रेडिंग कंपनी लिः 28 मार्च 2011 है।	16/10/2012

क्रम सं	याचिका सं	दाखिल करने की तारीख	याचिका कर्त्ता	विषय	निपटान की तारीख
163	229/2009	16/10/2009	एनटीपीसी	1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए टांडा थर्मल पावर स्टेशन (440 मैगावाट) के टैरिफ का अनुमोदन।	17/10/2012
164	34/एमपी/2012	29/2/2012	मवाना सुगर लि.	केविविआ(नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र की मान्यता और जारी करने के लिए निबंधन एवं शर्तें) शपथ पत्र सहित विनियम 2010 के विद्युत अधिनियम 2003 विनियम 14 और 15 की धारा 79 (1)(सी), 79 (1) (एफ) एवं 142 के अंतर्गत याचिका।	18/10/2012
165	130/टीटी/ 2012	7/5/2012	पीजीसीआईएल	1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में सिपत–II पारेषण प्रणाली के अंतर्गत भटपारा (डोको : 1.1.2009) में 315 एमवीए आईसीटी–II पारेषण टैरिफ टैरिफ के लिए विनियम 86 के अंतर्गत अनुमोदन।	18/10/2012
166	36/एमपी/2012	29/2/2012	धामपुर सुगर लि.	केविविआ (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनक के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र की मान्यता और जारी करने के लिए निबंधन एवं शर्तें) शपथ पत्र सहित विनियम 2010 के विनियम 3, (4), 14 और 15 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(1)(के) के अंतर्गत याचिका।	18/10/2012
167	37/एमपी/2012	29/2/2012	बलरामपुरचीनी मिल्स लि.	केविविआ(नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनक के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र की मान्यता और जारी करने के लिए निबंधन एवं शर्तें) शपथ पत्र सहित विनियम 2010 के विनियम 3, (4), 14 और 15 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(1)(के) के अंतर्गत याचिका।	18/10/2012
168	45/एमपी/2012	9/3/2012	डलमिया भारत सुगर एंड इंड्रस्टीज लि.	केविविआ(नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनक के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र की मान्यता और जारी करने के लिए निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2010 के विनियम 3, (4), 14 और 15 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1)(के) के अंतर्गत याचिका।	18/10/2012
169	46/एमपी/2012	9/3/2012	डीसीएम श्रीराम कंसोलिडेटिड लि.	केविविआ(नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनक के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र की मान्यता और जारी करने के लिए निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2010 के	18/10/2012

क्रम सं	याचिका सं	दाखिल करने की तारीख	याचिका कर्त्ता	विषय	निपटान की तारीख
				विनियम 3, (4), 14 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1)(के) के अंतर्गत याचिका।	
170	143/एमएम/ 2011	6/3/2011	स्वप्रेरणा से	भारतीय ऊर्जा विनिमय द्वारा याचिका सं 26/2010 में दिनांक 3.6.2010 के आयोग के आदेश का कार्यान्वयन	22/10/2012
171	24/आरपी/2011	29/11/2011	एनएचपीसी लि.	1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए लोकतक पावर स्टेशन के उत्पादन टैरिफ के अनुमोदन के संबंध में याचिका संख्या 108/2010 में माननीय आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.6.2011 के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका।	22/10/2012
172	225/एमपी / 2012	26/9/2012	पोसोको –एनएलडीसी	केविविआ(कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 111 के साथ पठित केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में कनैक्टीविटी प्रदान करना, दीर्घकालीन पहुंच और मध्यकालीन निर्बाध पहुच एवं संबद्ध मामले) विनियम, 2009 में संशोधन के लिए याचिका।	25/10/2012
173	12/आरपी/2011	30/6/2011	टीएनईबी	याचिका सं 193/2010 में दिनांक 5.5.2011 की समीक्षा।	26/10/2012
174	174/एमपी / 2012	21/8/2012	पावर एक्चेंज ऑफ इंडिया लि	कारोबार नियमावली (नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र) के संगत उपबंधों के संशोधन सहित नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र के लिए नियमों के मिलान में संशोधन।	26/10/2012
175	231/एमपी / 2012	10/9/2012	इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लि.	नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र बाजार में नियमों के मिलान के संशोधन के लिए याचिका।	26/10/2012
176	117/एमपी / 2012	28/3/2012	नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लि.	सीओडी घोषणा तक यूआई मैकेनिज्म के अंतर्गत गतिविधियों को आरंभ करने के लिए पावर के इनफर्म एवं आहरण के अंतःक्षेपण में यथास्थिति बनाए रखना।	2/11/2012
177	040/2012	19/3/2012	स्वप्रेरणा से	विद्युत विकास विभाग, जम्मू एवं कश्मीर द्वारा अनुसूचित आहरण की अधिकता में ऊर्जा आहरण के लिए अननुसूचित अंतःपरिवर्तन प्रभारों के भुगतान में चूक	5/11/2012
178	128/एमपी / 2011	25/2/2011	एनएचपीसी	मणिपुर राज्य में स्थित एनएचपीसीएस लोकतक पावर स्टेशन में सीआईएसएफ के नियोजन पर व्यय के नियोजन पर व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए विविध याचिका	14/11/2012
179	20/आरपी/ 2012	17/7/2012	एनटीपीसी लि.	1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए फिरोज गांधी उंचार थर्मल पावर स्टेशन स्टेज–I (420 मैगावाट) के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए माननीय आयोग द्वारा पारित याचिका संख्या 221/2009 में टैरिफ आदेश दिनांक 29.5.2012 की समीक्षा।	14/11/2012

क्रम सं	याचिका सं	दाखिल करने की तारीख	याचिका कर्त्ता	विषय	निपटान की तारीख
180	92/टीटी/2011	31/3/2011	पीजीसीआईएल	उत्तरी क्षेत्र में टैरिफ ब्लाक 2009–14 की अवधि के लिए संबद्ध चमेरा–III एचईपी पारेषण प्रणाली के अंतर्गत जीआईएस पूलिंग स्टेशन चम्बा – चमेरा – III एचईपी एवं जालंधर एसएस एक्सटेंशन से जीआईएस पूलिंग स्टेशन चम्बा जालंधर 220 केवीडी/सीटीएल से 400 केवी डी/सी टीएल के पारेषण टैरिफ के निर्धारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2009 के विनियम 86 के अंतर्गत अनुमोदन।	16/11/2012
181	19/टीटी/2011	9/2/2011	पीजीसीआईएल	उत्तरी क्षेत्र में टैरिफ ब्लाक 2009–14 की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण योजना–XII के लिए डोको से 31.3.2014 तक पारेषण टैरिफ के निर्धारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2009 के विनियम 86 के अंतर्गत अनुमोदन।	19/11/2012
182	126/एमपी/2012	20/4/2012	विश्वनाथ सूगर एवं स्टील इंड्स्ट्रीज लि.	विद्युत के अंतरराज्यिक पारेषण के लिए निर्बाध पहुंच की मंजूरी।	19/11/2012
183	132/एमपी/2012	7/5/2012	मैसर्स बीएमएम इस्पात लि.	विद्युत के अंतरराज्यिक पारेषण के लिए निर्बाध पहुंच की मंजूरी।	19/11/2012
184	1/एमपी/2012	9/1/2012	मैसर्स सदासिवा सुगर लि.	अंतरराज्यिक निर्बाध पहुंच संव्यवहार के लिए कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग (निर्बाध पहुंच) विनियम, 2004 के अंतर्गत बैक आपूर्ति प्रभारों एवं केविविआ(अननुसूचित अंतःपरिवर्तन प्रभारों और संबद्ध मामलों) विनियम 2009 के उल्लंघन में यूआई प्रभारों को लगाना।	19/11/2012
185	232/अपनी ओर से/2012	22/10/2012	स्वप्रेरणा से	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लि पंचकुला द्वारा अनुसूचित अधिक आहरण में आहरित ऊर्जा के लिए अननुसूचित अतः परिवर्तन भुगतान में चूक।	27/11/2012
186	236/ अपनी ओर से/2012	22/10/2012	स्वप्रेरणा से	विद्युत विभाग, मणिपुर सरकार इंफल द्वारा अनुसूचित याचिका अधिक आहरण में आहरित ऊर्जा के लिए अननुसूचित अतः परिवर्तन भुगतान में चूक।	27/11/2012
187	210/एमपी /2012	11/9/2012	पोसोको – एनएलडीसी	केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 111 के साथ पठित केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड)(प्रथम संशोधन) विनियम 2012 एवं केविविआ	29/11/2012

क्रम सं	याचिका सं	दाखिल करने की तारीख	याचिका कर्त्ता	विषय	निपटान की तारीख
				(भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2010 के संगत उपबधों में संशोधन के लिए याचिका	
188	5/एमपी/2012	20/1/2012	एनएचपीसी लि.	तीस्ता पावर स्टेशन के संबंध मे 01.01.2006 से 31.03.2009 के लिए एनएचपीसी कर्मचारियों एवं सीआईएसएफ एवं केवी स्टाफ के कर्मचारियों के वेतन संशोधन की प्रतिपूर्ति के लिए विविध याचिका।	5/12/2012
189	6/एमपी/2012	20/1/2012	एनएचपीसी लि.	उरी पावर स्टेशन के संबंध में 01.01.2006 से 31.03.2009 के लिए एनएचपीसी कर्मचारियों एवं सीआईएसएफ एवं केवी स्टाफ के कर्मचारियों के वेतन संशोधन की प्रतिपूर्ति के लिए विविध याचिका।	5/12/2012
190	7/एमपी/2012	20/1/2012	एनएचपीसी लि.	टनकपुर पावर स्टेशन के संबंध मे 01.01.2006 से 31.03.2009 के लिए एनएचपीसी कर्मचारियों एवं सीआईएसएफ एवं केवी स्टाफ के कर्मचारियों के वेतन संशोधन की प्रतिपूर्ति के लिए विविध याचिका।	5/12/2012
191	8/एमपी/2012	20/1/2012	एनएचपीसी लि.	रंगिता पावर स्टेशन के संबंध मे 01.01.2006 से 31.03.2009 के लिए एनएचपीसी कर्मचारियों एवं सीआईएसएफ एवं केवी स्टाफ के कर्मचारियों के वेतन संशोधन की प्रतिपूर्ति के लिए विविध याचिका।	5/12/2012
192	9/एमपी/2012	20/1/2012	एनएचपीसी लि.	धौलीगंगा पावर स्टेशन के संबंध मे 01.01.2006 से 31.03.2009 के लिए एनएचपीसी कर्मचारियों एवं सीआईएसएफ एवं केवी स्टाफ के कर्मचारियों के वेतन संशोधन की प्रतिपूर्ति के लिए विविध याचिका।	5/12/2012
193	10/एमपी/2012	20/1/2012	एनएचपीसी लि.	लोकतक पावर स्टेशन के संबंध में 01.01.2006 से 31.03.2009 के लिए एनएचपीसी कर्मचारियों एवं सीआईएसएफ एवं केवी स्टाफ के कर्मचारियों के वेतन संशोधन की प्रतिपूर्ति के लिए विविध याचिका।	5/12/2012
194	11/एमपी/2012	20/1/2012	एनएचपीसी लि.	सलाल पावर स्टेशन के संबंध में 01.01.2006 से 31.03.2009 के लिए एनएचपीसी कर्मचारियों एवं सीआईएसएफ एवं केवी स्टाफ के कर्मचारियों के वेतन संशोधन की प्रतिपूर्ति के लिए विविध याचिका।	5/12/2012
195	12/एमपी/2012	20/1/2012	विविध याचिका	दुलहस्ती पावर स्टेशन के संबंध मे 01.01.2006 से 31.03.2009 के लिए एनएचपीसी कर्मचारियों एवं सीआईएसएफ एवं केवी स्टाफ के कर्मचारियों के वेतन संशोधन की प्रतिपूर्ति के लिए विविध याचिका	5/12/2012
196	16/एमपी/2012	27/1/2012	एनएचपीसी लि.	बैरासुअल पावर स्टेशन के संबंध मे 01.01.2006 से 31.	5/12/2012

क्रम सं	याचिका सं	दाखिल करने की तारीख	याचिका कर्त्ता	विषय	निपटान की तारीख
				03.2009 के लिए एनएचपीसी कर्मचारियों एवं सीआईएसएफ एवं केवी स्टाफ के कर्मचारियों के वेतन संशोधन की प्रतिपूर्ति के लिए विविध याचिका	
197	17/एमपी/2012	27/1/2012	एनएचपीसी लि.	चमैरा–I पावर स्टेशन के संबंध में 01.01.2006 से 31. 03.2009 के लिए एनएचपीसी कर्मचारियों एवं सीआईएसएफ एवं केवी स्टाफ के कर्मचारियों के वेतन संशोधन की प्रतिपूर्ति के लिए विविध याचिका	5/12/2012
198	18/एमपी/2012	27/1/2012	विविध याचिका	चमैरा–II पावर स्टेशन के संबंध में 01.01.2006 से 31. 03.2009 के लिए एनएचपीसी कर्मचारियों एवं सीआईएसएफ एवं केवी स्टाफ के कर्मचारियों के वेतन संशोधन की प्रतिपूर्ति के लिए विविध याचिका।	5/12/2012
199	144/टीडीएल/ 2012	25/6/2012	वरसान इस्पात लि.	अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन।	5/12/2012
200	208/एमपी / 2012	11/9/2012	पोसोको– एनएलडीसी	केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 111 के साथ पठित विनियम 13 के अनुसार केविविआ (अननुसूचित अंतःपरिवर्तन प्रभार एवं संबद्ध मामले) विनियम 2009 के संगत उपबधों में संशोधन के लिए याचिका।	5/12/2012
201	18/आरपी/2011	30/8/2011	एनएचपीसी	केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 (1)(क) के यू/सी 79 के 1.4.2009 से 31.3.2014 की अवधि के लिए चमैरा पावर स्टेशन-I के उत्पादन टैरिफ के उत्पादन अनुमोदन के संबध में याचिका सं 84/2010 में आयोग द्वारा पारित दिनांक 12.07.2011 के आदेश का पुनरीक्षण	10/12/2012
202	23/आरपी/2011	16/11/2011	पीजीसीआईएल	केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 103 के साथ पठित विद्युत अधिनियम की धारा 94 (आई) (एफ) के अंतर्गत वाणिज्यिक परिचालन की तारीख अर्थात 1.8.2011 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए दक्षिण क्षेत्र में सिमाद्री-II परियोजना के संबद्ध पारेषण प्रणाली के अंतर्गत सिमाद्री-II थर्मल पावर स्टेशन में वामागिरी गाजूवाका 400 केवीडीसी लाईन के लीलो के लिए पारेषण टैरिफ की अनुमोदन के संबध में याचिका सं 58/2011 में माननीय आयोग द्वारा पारित दिनांक 27.09.2011 के आदेश की समीक्षा।	11/12/2012
203	201/एमपी /	19/10/2011	एनएलसी	क्षमता प्रभार पर प्रभाव और एनएलसी–टीपीएस–I	11/12/2012

क्रम सं	याचिका सं	दाखिल करने की तारीख	याचिका कर्त्ता	विषय	निपटान की तारीख
	2011			विस्तार (2x210 मैगावाट) के संबंध में 1.1.2007 से वेतन संशोधन के कारण परिचालन और रखरखाव व्ययों में वृद्धि।	
204	202/एमपी / 2011	19/10/2011	एनएलसी	क्षमता प्रभार पर प्रभाव और एनएलसी–टीपीएस–II–स्टेज–II (4x210 मैगावाट) के संबद्ध में 1.1.2007 से वेतन संशोधन के कारण परिचालन और रखरखाव व्ययों में वृद्धि।	11/12/2012
205	203/एमपी / 2011	19/10/2011	एनएलसी	एनएलसी टीपीएस–I (600 मैगावाट) के संबंध में 1.1. 2007 से वेतन संशोधन के कारण परिचालन एवं रखरखाव व्ययों में वृद्धि और क्षमता प्रभार पर प्रभाव।	11/12/2012
206	141/एमपी / 2012	13/6/2012	अमर पावर प्रा.लि.	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (I)(एफ) के अंतर्गत याचिका और विद्युत के अंतरराज्यिक पारेषण के लिए राज्यभार प्रेषण केन्द्र (कर्नाटक) की स्वीकृति के मामले में।	13/12/2012
207	190/एमपी / 2012	30/8/2012	पोसोको–एनएलडीसी	केविविआ (वास्तविक समय परिचालन में संकुलता से मुक्त होने के लिए उपाय) विनियम 2009 के अंतर्गत माननीय आयोग द्वारा पारित 17 मार्च 2010 के आदेश के पैरा 22 में शामिल निर्देशों के मामलें में और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम 111 के साथ पठित वास्तविक समय परिचालन में संकुलता से मुक्त होने के लिए विस्तृत क्रियाविधि के संगत उपबंधो में संशोधन।	18/12/2012
208	226/एमपी / 2012	28/9/2012	पीजीसीआईएल	तीस्ता वैली पावर प्रेषण लि द्वारा कार्यान्वयन के अंतर्गत तिस्ता–III किशनगंज 400 केवी डी/सी लाईन के संबंध में तिस्ता वैली पावर पारेषण लि. के नाम में गठित विशेष प्रयोजन वाहन के मामलें में निर्देशों के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम 111 के साथ पठित 79 (1)(i) के अंतर्गत सीटीयू द्वारा दाखिल विविध याचिका	18/12/2012
209	163/2008	29/12/2008	एनएलसी	आयकर देयताओं और प्राप्त की गई अधिक छूट को क्लीयर करने के लिए टीएनईबी के लिए निर्देश एवं आयोग के हस्तक्षेप के लिए देयताओ का संचयन।	19/12/2012
210	182/अपनी ओर से/2012	28/8/2012	स्वप्रेरणा से	केविविआ (फीस का भुगतान) विनियम 2012 (मार्किस ऊर्जा लि. बम्बई) का गैर अनुपालन।	21/12/2012
211	183/अपनी ओर	28/8/2012	स्वप्रेरणा से	केविविआ (फीस का भुगतान) विनियम 2012 (जैन	21/12/2012

क्रम सं	याचिका सं	दाखिल करने की तारीख	याचिका कर्त्ता	विषय	निपटान की तारीख
	से/2012			एनर्जी लि.) का गैर अनुपालन।	
212	184/अपनी ओर से/2012	28/8/2012	स्वप्रेरणा से	केविविआ (फीस का भुगतान) विनियम 2012 (क्रोमेटिक इंडिया लि.) का गैर अनुपालन	21/12/2012
213	185/अपनी ओर से/2012	28/8/2012	स्वप्रेरणा से	केविविआ (फीस का भुगतान) विनियम 2012 (विशेष ब्लास्ट लि.) का गैर अनुपालन।	21/12/2012
214	186/अपनी ओर से/2012	28/8/2012	स्वप्रेरणा से	केविविआ (फीस का भुगतान) विनियम 2012 (इस्पात ऊर्जा लि.) का गैर अनुपालन।	21/12/2012
215	124/एमपी/ 2012	13/4/2012	मैसर्स फेलकॉन टायर्स लि.	केविविआ विनियमों के उल्लंघनों में अंतरराज्यिक निर्बाध पहुंच के अंतर्गत बैकअप ऊर्जा आपूर्ति प्रभारों और यूआई प्रभारों की अवैध उगाही।	24/12/2012
216	235/अपनी ओर से/2012	22/10/2012	स्वप्रेरणा से	असम विद्युत उत्पादन कंपनी लि. गुवहाटी द्वारा अनुसूची की अधिकता में आहरित ऊर्जा के लिए अनुनूसूचित अतःपरिवर्तन प्रभारों के भुगतान मे चूक।	24/12/2012
217	138/एमपी / 2012	12/6/2012	डालमिया भारत सुगर इंडस्ट्रीज लि.	केविविआ (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय प्रमाण पत्र की मान्यता जारी करने के लिए निबंधन एवं शर्ते) विनियम 2010 के विनियम 3(4),14 और 15 के साथ पठित विद्युत अधिनियम की धारा 79(आई)(के) के अंतर्गत याचिका।	26/12/2012
218	233/अपनी ओर से/2012	22/10/2012	स्वप्रेरणा से	पंजाब राज्य विद्युत पारेषण का.लि. पटियाला द्वारा अनुसूचि की अधिकता में आहरित ऊर्जा के लिए अनुनूसूचित अतःपरिवर्तन प्रभारों के भुगतान में चूक।	26/12/2012
219	175/एमपी / 2012	24/8/2012	पोसोको–एनआरएलडीसी	प्रणाली सुरक्षा समस्याएं और ग्रिड सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार के आकस्मिकताओं से बचने के लिए किए गए उपायों से हाइड्रो उत्पादनकारी यूनिटों के आकस्मिक आहरण के संबंध में केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम 111 के साथ पठित भारतीय विद्युत ग्रिड कोड के विनियम 5.2 के मामले में	28/12/2012
220	191/अपनी ओर से/2011	4/10/2011	स्वप्रेरणा से	उत्पादनकारी स्टेशनों द्वारा नियत्रित परिचालन मोड से संबंधित केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2010 के विनियम 5.2 (एफ) का अनुपालन	31/12/2012
221	209/एमपी / 2012	11/9/2012	पोसोको–एनआरएलडीसी	पारेषण योजना मानदंड के लिए मैनुअल की धारा–2 ओर आईईजीसी के भाग–3 के साथ पठित विद्युत अधिनियम की धारा–10 के अनुसार उक्त मामलें में दिशानिर्देशों की मांग करते हुए उत्तरी पूर्वी पश्चिमी,	31/12/2012

क्रम सं	याचिका सं	दाखिल करने की तारीख	याचिका कर्त्ता	विषय	निपटान की तारीख
				पूर्वोत्तर ग्रिड के परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय विद्युत ग्रिड कोड 2010 के विनियम 6.4.12 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 28 के अनुसार करमवांग्टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट द्वारा दीर्घकालिक पहुंच के लिए सतत ओवर लोड की अंतःक्षेपण को सीमित करना।	
222	101/एमपी/ 2010	25/3/2012	पीजीसीआईएल	याचिका में ब्योरों के अनुसार 1.1.2007 से पुनरीक्षण के कार्यान्वयन के तदन्तर 1.1.2007 से 31.3.2009 तक कार्यकारियों के वेतनमान के पुनरीक्षण के लिए की गई अतिरिक्त लागत के कारण केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2004 के विनियम 13 "छूट की शक्ति" एवं विनियम 12 "कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति" के अंतर्गत विविध याचिका	1/1/2013
223	055/एमपी / 2012	22/3/2012	पीटीसी इंडियां लि.	भुगतान की तारीख से 1.25% प्रतिमाह की दर पर ब्याज सहित उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लि. और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लि की ओर से हरियाण विद्युत क्रय केंद्र के बीच निष्पादित 19.06.2009 के विद्युत बिक्री करार के अंतर्गत पीटीसी इंडिया लि को प्रतिदेय अनिर्णित व्यापार मार्जिन देयताओं के रूप में ₹ 2,89,41,174/– के भुगतान की मांग करते हुए और विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत धारा 79 (1)(ख) और एफ के अंतर्गत याचिका	2/1/2013
224	94/टीटी/2011	8/4/2011	पीजीसीआईएल	उत्तरी क्षेत्र में टैरिफ ब्लाक 2009 से 14 की अवधि के लिए चमैरा–II एचईपी के निकट 400/220 केवी जीआईएस पूलिंग स्टेशन की स्थापना के अंतर्गत पूलिंग प्वाइंट पर 80 एमवीएआर बस रिएक्टर और रजैरा 400/220 केवी 315 एमवीए आईसीटी 1 और आईसीटी 2 में 400 केवीएसी चमैरा–II पूलिंग स्टेशन पारेषण लाईन 400 केवी जीएस पूलिंग स्टेशन के पोरषण टैरिफ के निर्धारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) के विनियम 86 के अंतर्गत अनुमोदन	2/1/2013
225	38/एमपी / 2012	2/3/2012	नोएडा पावर कंपनी लि.	पावर एक्सचेंजों के माध्यम से पावर एक्सचेंज और क्रय/विक्रय पावर में सहभागिता के लिए याचिकाकर्त्ता को क्लीयरैंस देने में मना करने के लिए उतर प्रदेश	7/1/2013

क्रम सं	याचिका सं	दाखिल करने की तारीख	याचिका कर्त्ता	विषय	निपटान की तारीख
				राज्य भार प्रेषण केंद्र की कार्रवाई के विरुद्ध याचिका।	
226	33/एमपी / 2012	27/2/2012	पीटीसी इंडिया लिमिटेड	याचिकाकर्त्ता के माध्यम से और विलंब से भुगतान + अधिभार एवं ₹3,88,16,750/– की राशि पीएसपीसीएल द्वारा रिलीज किए गए अल्प भुगतान के माध्यम से बगलीहर हाइड्रो विद्युत पावर प्रोजेक्ट से पावर के आहरण के आकस्मिक रूप से जारी न रहने के लिए पंजाब राज्य विद्युत कारपोरेशन लि से भुगतान की तारीख तक 19.8.2011 से 15% प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज सहित ₹ 124,51,53,525/– की क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (I)(ख),(सी) और (एफ) के अंतर्गत याचिका।	8/1/2013
227	25/आरपी/ 2012 में याचिका नं. 36/एमपी/ 2012	31/10/2012	धामपुर सुगर मिल्स लि.	शपथ पत्र सहित 18.10.2012 के आदेश की समीक्षा करते हुए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 94 (1)(एफ) के अंतर्गत आवेदन।	8/1/2013
228	252/आरसी/ 2012	27/11/2012	मणिकरण पावर लि.	श्रेणी–III में श्रेणी–IV व्यापार अनुज्ञप्ति के परिवर्तन के लिए आवेदन।	8/1/2013
229	247/आरसी/ 2012	31/10/2012	जिंदल पावर ट्रेडिंग कंपनी लि.	एंबीसियस पावर ट्रेडिंग कंपनी लि के रूप में अब अभिज्ञात जिंदल पावर ट्रेडिंग कंपनी लि में परिवर्तित नाम छत्तीसगढ़ एनर्जी ट्रेडिंग कंपनी लि में अंतरराज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई याचिका सं 14/2008 मे आवेदन। (जिंदल पावर ट्रेडिंग कंपनी लि कपंनी के नाम का एबीसिंयस पावर ट्रेडिंग कंपनी लि में परिवर्तन के लिए प्रार्थना और इस आशय का नया आदेश जारी करना)।	9/1/2013
230	172/अपनी ओर से/2012	21/8/2012	स्वप्रेरणा से	साखपत्र खोलने में चूक।	11/1/2013
231	178/ अपनी ओर से/2012	28/8/2012	स्वप्रेरणा से	अधिनियम के उपबंधों और ग्रिड कोड के उपबंधों एवं निर्देशों का गैर अनुपालन (एसटीयू/एसएलडीसी हरियाणा प्रभारी अधिकारियों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 142 के अंतर्गत कार्रवाई)	11/1/2013
232	256/RC/2012	13/12/2012	मित्तल प्रोसेसर्स प्रा. लि.	श्रेणी–II में व्यापार अनुज्ञप्ति श्रेणी–III के परिवर्तन के लिए आवेदन का अनुपालन।	11/1/2013
233	239/अपनी ओर से/2012	22/10/2012	स्वप्रेरणा से	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि लखनऊ द्वारा अनुसूची की अधिकता में आहरित ऊर्जा के लिए	14/1/2013

क्रम सं	याचिका सं	दाखिल करने की तारीख	याचिका कर्त्ता	विषय	निपटान की तारीख
				अननुसूचित अतःपरिवर्तन प्रभारों के भुगतान में चूक।	
234	234/अपनी ओर से/2012	22/10/2012	स्वप्रेरणा से	विद्युत विभाग, अरूणांचल प्रदेश सरकार, ईटानगर द्वारा अनुसूची की अधिकता में आहरित ऊर्जा के लिए अननुसूचित अतःपरिवर्तन प्रभारों के भुगतान में चूक।	15/1/2013
235	209/अपनी ओर से	30/11/2011	स्वप्रेरणा से	केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनिमय, 2010 के अंतर्गत नवीकरणीय विनियम निधि मैकेनिज्म का कार्यान्वयन।	16/1/2013
236	27/एमपी/2011	18/2/2011	एसजेवीएनएल लि.	1.4.2004 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए नाथपा झाकरी हाईड्रो पावर स्टेशन के अतिरिक्त पूंजीकरण के प्रभाव पर विचार करते हुए वार्षिक निर्धारित प्रभारों का पुनरीक्षण।	16/1/2013
237	216/पीएक्स/ 2011	30/11/2011	मार्किस एनर्जी एक्सचेंज लि.	पावर एक्सचेंज के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन।	16/1/2013
238	2/एमपी/2012	12/1/2012	भारतीय पवन ऊर्जा एसोसिएशन	केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम 2010 की अनुबंध 1 के खंड (9) के अनुसार नवीकरणीय विनियम निधि के मैकेनिज्म के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत क्रियाविधि के अनुमोदन के लिए 18.2.2011 के आदेश के संबंध में कठिनाई को दूर करने के लिए केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम 2010 और भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 94(1)(एफ) के भाग 7 के खंड 1 (2) और (4) के अंतर्गत याचिका।	16/1/2013
239	26/आरपी/ 2012 in Pet No 155/एमपी/ 2012	19/11/2012	याचिका के रूप में उत्तर एवं दक्षिण हरियाणा बिजली निगम लि. के प्रतिवादियों द्वारा दाखिल लेकिन याचिकाकर्त्ता अदानी पावर लि. है।	याचिका सं 155/2012 में माननीय आयोग द्वारा पारित 16 10 12 के आदेश की समीक्षा के केविविआ (कारोबार को संचालन) विनियम 1999 के विनियम 103 के साथ पठित भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 94 के अंतर्गत याचिका	16/1/2013
240	43/एमपी / 2012	9/3/2012	हिमाचल सोंरग पावर प्रा. लि.	उत्पादनकारी कंपनी होने के नाते याचिकाकर्त्ता और पारेषण अनुज्ञप्तिधारी होने के नाते प्रतिवादी के बीच उत्पन्न विवाद के संबंध में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) (एफ) के अंतर्गत याचिका। 21.10.2009 के बल्क पावर पारेषण करार के उपबंधों के अंतर्गत कवर किए गए घटको द्वारा हुए विलंब के कारण निर्बाध पहुंच	31/1/2013

क्रम सं	याचिका सं	दाखिल करने की तारीख	याचिका कर्त्ता	विषय	निपटान की तारीख
				के आरंभ की तारीख के विस्तार के लिए याचिकाकर्त्ता के दावे के संबंध में याचिकाकर्त्ता और प्रतिवादी के बीच निष्पादित 21.10.2009 के बल्क विद्युत पारेषण करार के अंतर्गत उत्पन्न विवाद।	
241	133/एमपी / 2012	17/5/2012	उत्तराखंड पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लि.	अन्य राज्यों को आगे आपूर्ति के लिए काशीपुर में पावर ग्रिड उप केन्द्र में लता तपोवन हाइड्रो परियोजनाओं एवं तपोवन विष्णुगद से विद्युत के पोरषण एवं शून्यीकरण के लिए उत्तराखंड समन्वित पारेषण परियोजना के लिए निर्बाध पहुंच के संबध में याचिकाकर्त्ता और एनटीपीसी(प्रतिवादी सं 1) के बीच उत्पन्न विवाद के संबंध में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1)(एफ) के अंतर्गत याचिका।	31/1/2013
242	305/2010	29/11/2010	पीजीसीआईएल	उत्तरी क्षेत्र में टैरिफ ब्लाक 2009–14 की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र (डोका 01.01.2010) में एनसीआर एवं आसपास तथा अन्य पोलिमर द्वारा खीची गई अन्य प्रदूषित (कम्पोजित लम्बी रॉड) में मौजूदा उत्तरी क्षेत्र पारेषण लाईनों के प्रदूषण प्रभावी एवं इन्सुलेटर के प्रतिस्थापन के लिए 1.4.2009 से 31.3.2014 की पारेषण टैरिफ के निर्धारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2009 के विनियम 86 के अंतर्गत अनुमोदन	7/2/2013
243	063/2010	3/3/2010	नीपको	1.4.2009 से 31.3.2014 की अवधि के लिए उत्तरी पूर्वी विद्युत पावर कारपोरेशन लि. (नीपको) के दोयांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (3x25 मैगावाट) से विद्युत की बिक्री के संबंध में टैरिफ का निर्धारण।	8/2/2013
244	189/टीटी/ 2011	18/8/2011	पीजीसीआईएल	उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण योजना–XXIII के अंतर्गत बहादुरगढ़ सबस्टेशन (अंत डोको 1.1.2012) में 2 नंबर 220 केवीलाईन बेज सहित 400/220 केवी 500 एमवीए आईसीटी के लिए डोको से 31.3.2014 तक पारेषण टैरिफ का निर्धारण।	8/2/2013
245	11/आरपी/ 2012	6/5/2012	एनटीपीसी लि.	1.4.2009 से 31.3.2014 की अवधि के लिए कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 2 (3x500 मैगावाट) के टैरिफ के अनुमोदन के मामलें में 2009 की याचिका सं 282 में माननीय आयोग द्वारा पारित 13.04.2012 के	8/2/2013

क्रम सं	याचिका सं	दाखिल करने की तारीख	याचिका कर्त्ता	विषय	निपटान की तारीख
				आदेश के विरुद्ध समीक्षा याचिका।	
246	18/आरपी / 2012	11/7/2012	एनटीपीसी लि.	बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन (705 मैगावाट) के लिए याचिका सं 332 / 2009 में जारी किए गए केविविआ के टैरिफ आदेश 23.5.2012 की समीक्षा के लिए याचिका।	8/2/2013
247	223/टीडीएल/ 2012	5/10/2012	ग्रीन फिल्ड पावर सर्विस प्रा. लि.	अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन।	8/2/2013
248	230/एमपी/ 2012	5/10/2012	एनटीपीसी लि.	केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालीन पहुंच तथा मध्यकालीन निर्बाध पहुंच और कनैक्टीविटी प्रदान करना तथा संबद्ध मामलें) एवं केविविआ (अननुसूचित अतःपरिवर्तन प्रभार और संबद्ध मामले) के विनियम 8 के अंतर्गत याचिका।	8/2/2013
249	266/एसएम/ 2012	19/12/2012	स्वप्रेरणा से	केविविआ (नवीकरणीय ऊर्जा के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निबंधन एवं शर्ते) विनियम 2010 के विनियम 10 (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के आगे नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र की वैधता को बढ़ाना।	11/2/2013
250	238/अपनी ओर से/2012	22/10/2012	स्वप्रेरणा से	त्रिपुरा राज्य विद्युत कारपोरेशन लि बनामालीपू द्वारा अनुसूची की अधिकता में आहरित ऊर्जा के लिए अननुसूचित अतःपरिवर्तन के प्रभारों के भुगतान में चूक।	13/2/2013
251	183/2009	28/8/2009	एनटीपीसी	अपील सं 84 / 2011 दिनांक 2.1.2013 में एपीटीईएल द्वारा रिमांड पर आधारित रिहंद एसटीपीएस स्टेज–II के लिए निर्धारित प्रभारों पर 2008–09 के दौरान किए गए अतिरिक्त पूंजी व्यय के प्रभाव पर विचार करते हुए टैरिफ का पुनरीक्षण।	20/2/2013
252	072/2010	9/3/2010	पीजीसीआईएल	(i) करीकुदी उपकेन्द्र में 1 गुणा 80 एमवीआर लाईन रिएक्टर के साथ मदुरै डीसी 400 केवी डीसी लाईन के एक सर्किट के लीलो और (ii) टैरिफ अवधि 2009–14 के लिए दक्षिण क्षेत्र में एसआर ग्रिड की प्रणाली सुदृढ़ीकरण–VII के अंतर्गत करीकुदी उप केन्द्र में संबद्ध बेज और उपकरणों के साथ 2X315 एमवीए आटो ट्रांसफोरर्म एवं डाउनस्ट्रेन प्रणाली।	20/2/2013
253	241/एमपी / 2012	19/10/2012	भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज लि.	केविविआ (विद्युत बाजार विनियम 2010) के विनियम 19 (1) के साथ पठित विनियम 20 के अंतर्गत शेयरहोल्डिंग पेट्रन के अनुपालन के लिए टाईम फ्रेम की छूट के लिए	25/2/2013

क्रम सं	याचिका सं	दाखिल करने की तारीख	याचिका कर्त्ता	विषय	निपटान की तारीख
				याचिका।	
254	004/एमपी / 2013	9/1/2013	पावर एक्सचेंज इंडिया लि.	जनवरी 13 से तीन वर्षों की इस प्रकार की अतिरिक्त समय को केविविआ (विद्युत बाजार विनियम 2010) के विनियम 19(I) के साथ पठित विनियम 20 का अनुपालन करने के लिए समय प्रदान करना।	26/2/2013
255	011/आरसी/ 2013	7/2/2013	इंस्टिक्ट इन्फ्रा एंड पावर लि.	इंस्टिंक्ट इंन्फ्रा पावर लि में इंस्टिंग विज्ञापन एवं मार्केटिंग लि से कंपनी का परिवर्तन एवं अनुज्ञप्ति की श्रेणी का परिवर्तन।	28/2/2013
256	310/2010	30/112010	पीजीसीआईएल	टैरिफ ब्लॉक 2009–14 की अवधि के लिए दक्षिणी क्षेत्र में एसआर ग्रिड की प्रणाली सुदृढीकरण–VII के अंतर्गत संबद्ध बेज और उपकरण (आस्ति–II) से संबद्ध हसन (डोको 1.7.2010) में संबद्ध बेज और उपकरण (आस्ति–I) (ख) 400/220 केवी, 2X315 एमवीए ट्रांसफोरर्म से संबद्ध करीकुदी एस/एस (डोको 1.8. 2009 में) 1X80 एमवीएआर बस रिएक्टर सहित मदुरै–त्रिची 400 केवी लाईन के एक सर्किट के हसन (डोको 1.6.2010) और (II)लीलो में 1X80 एमवीएआर बस रिएक्टर सहित हसन में मौजूदा तलागुपक (केपीटीसीएल)–मीलमंगला (केपीटीसीएल) 400 केवी डी/सी लाईन के एक सर्किट के अनुमोदन के लिए याचिका।	1/3/2013
257	323/2010	8/12/2010	पीजीसीआईएल	1.4.2004 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए पूर्वी क्षेत्र में फरक्का (I एवं II) एसटीपीएस से संबद्ध 400 केवी पारेषण प्रणाली पारेषण टैरिफ के लिए विनियम 86 के अंतर्गत अनुमोदन।	4/3/2013
258	190/टीटी/ 2011	19/8/2011	पीजीसीआईएल	दक्षिण क्षेत्र ग्रिड में प्रणाली सुदृढीकरण IX के अंतर्गत हसन उपकेन्द्रों (डोको 1.7.2011) के अंतर्गत एवं 400/220 केवी मैसूर के विस्तार के लिए तथा हसन मैसूर 400 केवी डीसी लाईन के लिए 31.03.2014 तक डोको से पारेषण टैरिफ का निर्धारण।	11/3/2013
259	116/टीडीएल/ 2012	28/3/2012	एचएमएम इन्फ्रा लि.	श्रेणी IV के लिए अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन।	11/3/2013
260	188/टीटी/ 2011	17/8/2011	पीजीसीआईएल	(क) तल्चर एवं कोलार एचवीडीसी – भाग (मोशनल डोको 1.03.2003) के संयुक्त (ख) दक्षिण क्षेत्र में 1.4. 2009 से 31.3.2014 तक तल्चन एवं कोलार(एसी भाग)	12/3/2013

क्रम सं	याचिका सं	दाखिल करने की तारीख	याचिका कर्त्ता	विषय	निपटान की तारीख
				(नोशलन डोको 1.06.2003) के लिए पारेषण टैरिफ का निर्धारण।	
261	179/अपनी ओर से/2012	28/8/2012	स्वप्रेरणा से	अधिनियम और ग्रिड कोड के प्रावधानों एवं निर्देशों का गैर अनुपालन (एसटीयू/एसएलडीसी (राजस्थान) के प्रभारी अधिकारियों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 142 के अंतर्गत कार्रवाई)।	14/3/2013
262	181/अपनी ओर से/2012	28/8/2012	स्वप्रेरणा से	अधिनियम और ग्रिड कोड के प्रावधानों एवं निर्देशों का गैर अनुपालन (एसटीयू/एसएलडीसी (जम्मू एवं कश्मीर) के प्रभारी अधिकारियों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 142 के अंतर्गत कार्रवाई)।	14/3/2013
263	28/आरपी/ 2012 याचिका संख्या में 229/ 2009	21/12/2012	एनटीपीसी लि.	1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए टांडा थर्मल पावर स्टेशन (440 मैगावाट) के टैरिफ के निर्धारण के लिए माननीय आयोग द्वारा पारित 17.10. 2012 के आदेश की समीक्षा के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 103 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 94 के अंतर्गत याचिका	15/3/2013
264	237/अपनी ओर से/2012	22/10/2012	स्वप्रेरणा से	मेघालय एनर्जी का. लि0 शिलांग द्वारा अनुसूची की अधिकता में आहरित ऊर्जा के लिए अननुसूचित अतःपरिवर्तन प्रभारों के भुगतान में चूक	18/3/2013
265	007/एमपी / 2013	11/1/2013	पश्चिमी क्षेत्र पारेषण (महाराष्ट्र) प्रा. लि.	महाराष्ट्र और कर्नाटक में उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण योजना–II से पैकेज बी के संबंध में प्रस्तावित कार्यकारी पूंजी ऋणदाता एवं आईडीएफसी लि. के लाभ के लिए एवं एसबीआईसीएपी ट्रस्टी कंपनी लि. सिक्योरिटी ट्रस्टी के पक्ष में पश्चिमी क्षेत्र पारेषण (महाराष्ट्र) प्रा. लि. द्वारा प्रतिभूति ब्याज सृजित करने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 17(3) और 17 (4) के अंतर्गत अनुमोदन के लिए आवेदन।	22/3/2013
266	229/जीटी/ 2012	4/10/2012	एनएचपीसी लि.	तिस्ता एचई प्रोजेक्ट स्टेज–V के संबंध में वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान किए गए अतिरिक्त पूंजी व्यय के कारण एएफसी पर प्रभाव के निर्धारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के अध्याय–V के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 और 79(1)(क) के अंतर्गत याचिका।	25/3/2013

अनुबंध-II

31.03.2013 को एनटीपीसी के उत्पादन केन्द्रों/यूनिटों की संस्थापित क्षमता तथा वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख

क्र.स.	उत्पादन केन्द्र का नाम	31.3.2013 को संस्थापित क्षमता (मैगावाट)	केन्द्र/यूनिट की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
एनटीपीसी के कोयला आधारित थर्मल उत्पादन स्टेशन			
क.	पिट हैड उत्पादन केंद्र		
1	रिहंद एसटीपीएस स्टेज–I	1000.00	01.01.1991
2	रिहंद एसटीपीएस स्टेज–II	1000.00	01.04.2006
3	रिहंद एसटीपीएस स्टेज–III	500.00	19.11.2012
4	सिंगरौली एसटीपीएस	2000.00	01.05.1988
5	विंध्याचल एसटीपीएस स्टेज–I	1260.00	01.02.1992
6	विंध्याचल एसटीपीएस स्टेज–II	1000.00	01.10.2000
7	विंध्याचल एसटीपीएस स्टेज–III	1000.00	15.07.2007
8	विंध्याचल एसटीपीएस स्टेज–IV	500.00	01.03.2013
9	कोरबा एसटीपीएस स्टेज–I और II	2100.00	010.6.1990
10	सिपत स्टेज–II	1000.00	01.01.2009
11	रामागुंडम एसटीपीएस स्टेज–I और II	2100.00	01.04.1991
12	रामागुंडम एसटीपीएस स्टेज–III	500.00	25.03.2005
13	तल्चर टीपीएस	460.00	01.07.1997
14	तल्चर टीपीएस स्टेज–I	1000.00	01.07.1997
15	तल्चर टीपीएस स्टेज–II	2000.00	1.08.2005
16	कोरबा एसटीपीएस (स्टेज–III)	500.00	21.03.2011
17	सिपत स्टेज–I	1980.00	01.10.2011,
			25.5.2012 और 1.8.2013
	उप–योग	**19900.00**	

क्र.स.	उत्पादन केन्द्र का नाम	31.3.2013 को संस्थापित क्षमता (मैगावाट)	केन्द्र/यूनिट की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
ख.	**नॉन पिट हैड उत्पादनकारी केंद्र**		
1	एफजीयूटीपीपी टीपीएस स्टेज–I	420.00	13.2.1992 (अधिग्रहण की तारीख)
2	एफजीयूटीपीपी स्टेज–II	420.00	1.1.2001
3	एफजीयूटीपीपी स्टेज–III	210.00	1.01.2007
4	एनसीटीपी दादरी (स्टेज–I)	840.00	1.12.1995
5	एनसीटीपी दादरी (स्टेज–II)	980.00	30.07.2010
6	फरक्का एसटीपीएस I और II	1600.00	1.7.1996
7	फरक्का एसटीपीएस III	500.00	4.4.2012
8	टांडा टीपीएस	440.00	14.1.2000 (अधिग्रहण की तारीख)
9	बदरपुर टीपीएस	705.00	1.4.1982
10	कहलगावं एसटीपीएस	840.00	1.8.1996
11	कहलगावं स्टेज –II	1500.00	20.03.2010
12	सिम्हाद्री–I	1000.00	1.3.2003
13	सिम्हाद्री–II	1000.00	16.09.2011, 30.9.2012
14	मौदा	500.00	13.3.2013
	उप–योग	**10955.00**	
	कुल कोयला (क+ख)	**30855.00**	

क्र.स.	उत्पादन केन्द्र का नाम	31.3.2013 को संस्थापित क्षमता (मैगावाट)	केन्द्र/यूनिट की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
एनटीपीसी के गैस/तरल ईंधन आधारित स्टेशन			
1	दादरी सीसीजीटी	829.78	01.04.1997
2	फरीदाबाद	431.00	01.01.2001
3	अंता सीसीजीटी	419.33	01.03.1990
4	औरेया जीपीएस	663.36	01.12.1990
5	गंधार जीपीएस	657.39	01.11.1995
6	**कवास जीपीएस**	**656.20**	**01.09.1993**
7	**कायमकुलम सीसीजीटी**	**359.58**	**01.03.2000**
		4016.64	
	योग एनटीपीसी (कोयला+गैस)	**34871.64**	

अनुबंध-III

दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के उत्पादन केंद्रो की संस्थापित क्षमता तथा प्रत्येक की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख

उत्पादनकारी स्टेशन	क्षमता (मैगावाट) थर्मल	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
बोकारो 'बी' टीपीएस	(3 X 210) = 630	यू-I मार्च 86 यू-II नवम्बर 90 यू-III अगस्त 93
चन्दनपुर टीपीएस	(3 X 130)+ (2 X 250) = 890	यू -I अक्तूबर 64 यू-II मई 65 यू-III जुलाई 68 यू-VII नवम्बर 11 यू-VIII जुलाई 11
दुर्गापुर टीपीएस	(1X140)+ (1X210 MW)= 350	यू -III दिसम्बर 66 यू-IV सितम्बर 82
मेजीया टीपीएस	(4 X 210) +(2 X 250) + (2 X 500) = 2340	यू -I मार्च 96 यू-II मार्च 98 यू-III सितम्बर 99 यू-IV फरवरी 05 यू-V फरवरी 08 यू-VI सितम्बर 08 यू-VII अगस्त 11 यू-VIII अगस्त 12
डीएसटीपीएस	(2 X 500) = 1000	यू -I मई 12 यू-II मार्च 13
कुल थर्मल	5210	

अनुबंध-IV

31.03.2013 की स्थिति के अनुसार एनटीपीसी, एनएलसी और नीपको के केन्द्रीय थर्मल पावर स्टेशन के टैरिफ

क्र.स.	उत्पादन केंद्रों के नाम	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार संस्थापित क्षमता (मैगावाट)	निर्धारित प्रभार (पैसे / केडब्लूएच)	मार्च, 2013 के अनुसार ऊर्जा प्रभार (पैसे / केडब्लूएच)	कुल (पैसे / केडब्लूएच)
I: एनटीपीसी के कोयला आधारित थर्मल उत्पादन केन्द्र					
A.	**पिट हैड उत्पादन केंद्र**				
1	रिहंद एसटीपीएस स्टेज-I	1000	81.35	93.10	174.45
2	रिहंद एसटीपीएस स्टेज -II	1000	94.51	96.80	191.31
3	रिहंद एसटीपीएस स्टेज -III	500	174	92.30	266.3
4	सिंगरौली एसटीपीएस	2000	50	77.30	127.30
5	विंध्याचल एसटीपीएस स्टेज-I	1260	63.55	104.90	168.45
6	विंध्याचल एसटीपीएस स्टेज -II	1000	75.18	99.10	174.28
7	विंध्याचल एसटीपीएस स्टेज -III	1000	113.56	99.10	212.66
8	विंध्याचल एसटीपीएस स्टेज -IV	500	152.05	99.90	251.95
9	कोरबा एसटीपीएस स्टेज -I और II	2100	54.00	81.20	135.20
10	रामागुंडम एसटीपीएस स्टेज -I और II	2100	58.43	206.80	265.23
11	रामागुंडम एसटीपीएस स्टेज -III	500	97.06	250.70	347.76
12	तल्चर टीपीएस	460	NA	68.28	NA
13	तल्चर एसटीपीएस स्टेज-I	1000	83.03	90.70	173.73
14	तल्चर एसटीपीएस स्टेज -I	2000	80.40	90.80	171.20
15	सिपत एसटीपीएस स्टेज -I	1980	119.80	110.90	230.70
16	सिपत एसटीपीएस स्टेज II	1000	125.20	109.80	235.00
17	कोरबा एसटीपीएस स्टेज -III	500	158.31	80.10	238.41
	उप–कुल (क)	**19900**			
B.	**नॉन पिट हैड उत्पादनकारी केंद्र**				
18	एफजीयूटीपीपी टीपीएस (स्टेज -I)	420	86.90	227.50	314.40
19	एफजीयूटीपीपी (स्टेज -II)	420	102.96	201.50	304.46
20	एफजीयूटीपीपी (स्टेज -III)	210	140.81	201.60	342.41
21	एनसीटीपी दादरी (स्टेज -I)	840	88.74	236.40	325.14
22	एनसीटीपी दादरी (स्टेज -II)	980	160.02	226.20	386.22
23	फरक्का एसटीपीएस I और II	1600	80.18	196.20	276.38
24	फरक्का एसटीपीएस (स्टेज -III)	500	132.58	194.50	327.08
25	टांडा टीपीएस	440	109.77	180.40	290.17
26	बदरपुर टीपीएस	705	84.32	315.70	400.02
27	कहलगांव एसटीपीएस (स्टेज -I)	840	96.90	201.20	298.10
28	कहलगांव एसटीपीएस (स्टेज -II)	1500	118.92	190.00	308.92
29	सिम्हाद्री -I	1000	102.52	221.70	324.22
20	सिम्हाद्री -II	1000	163.63	221.70	385.33
31	मौदा	500	93.80	298.52	392.32
	उप–योग(ख)	**10955**			
	कुल कोयला (क+ख)	**30855**			

क्र.स.	उत्पादन केंद्रों के नाम	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार संस्थापित क्षमता (मैगावाट)	स्थाई प्रभार (पैसे / केडब्लूएच)	मार्च, 2013 के अनुसार ऊर्जा प्रभार (पैसे / केडब्लूएच)	कुल (पैसे / केडब्लूएच)
एनएलसी के लिग्नाइट आधारित उत्पादनकारी केंद्र					
1	टीपीएस-I	600	85.50	239.10	324.60
2	टीपीएस -II (स्टेज-I)	630	61.60	197.50	259.10
3	टीपीएस -II (स्टेज -II)	840	61.40	197.50	258.90
4	टीपीएस -I (विस्तार)	420	122.90	175.40	298.30
5	बरसिंगसर	250	300.50	108.90	409.40
	कुल लिग्नाइट	**2740**			
एनटीपीसी के गैस / एलएनजी / लिक्विड आधारित स्टेशन					
क. ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस उपयोग करने वाले (एपीएम)					
1	दादरी सीसीजीटी	829.78	60.48	282.90	343.38
2	फरीदाबाद	431	78.79	239.10	317.89
3	अंता सीसीजीटी	419.33	69.21	262.20	331.41
4	औरइया जीपीएस	663.36	53.38	267.60	320.98
5	गंधार जीपीएस	657.39	110.19	226.80	336.99
6	कवास जीपीएस	656.20	89.65	225.30	314.95
ख. ईंधन के रूप में एनएपीएम गैस का प्रयोग					
1	गंधार जीपीएस	657.39	110.19	299.10	409.29
2	कवास जीपीएस	656.20	89.65	304.40	394.05
ग. ईंधन के रूप में एलएनजी					
1	दादरी सीसीजीटी	829.78	60.48	841.40	901.88
2	अंता सीसीजीटी	419.33	69.21	608.40	677.61
3	औरइया जीपीएस	663.36	53.38	855.50	908.88
4	फरीदाबाद	431.00	78.79	670.00	748.79
5	गंधार जीपीएस	657.39	110.19	1049.90	1160.09
6	कवास जीपीएस				
घ. तरल ईंधन के रूप में (नेप्था / एसएसडी) का प्रयोग					
1	दादरी सीसीजीटी	829.78	60.48	792.90	853.38
2	फरीदाबाद	431	78.79	766.90	845.69
3	अंता सीसीजीटी	419.33	69.21	815.30	884.51
4	औरइया जीपीएस	663.36	53.38	1038.30	1091.68
5	कायकुलम सीसीजीटी	359.58	110.19	1182.70	1267.82
6	कवास गैस	656.20	89.65	949.20	1038.85
नीपको के गैस / तरल ईंधन आधारित स्टेशन					
1	अगरतला जीपीएस	84	119.20	227.50	346.70
2	असम जीपीएस	291	144.20	175.30	319.50
	कुल निपको	**375**			

स्रोत : ऊर्जा प्रभारों के लिए एनटीपीसी, एनएलसी एवं नीपको के उत्पादनकारी केन्द्रों के ऊर्जा बिक्री डाटा। आयोग द्वारा यथा अनुमोदित निर्धारित प्रभार

अनुबंध-V

केंद्रीय क्षेत्र की हाइड्रो उत्पादन कंपनियों (एनएचपीसी, एनएचडीसी, नीपको, एसजेवएनएल, टीएचडीसी तथा डीवीसी) की संस्थापित क्षमता

क्र.स.	उत्पादनकारी स्टेशन	स्थान	प्रकार	संस्थापित क्षमता (मैगावाट)	वाणिज्यिक प्रचालन का वर्ष
1	बैरास्यूल	हिमाचल प्रदेश	तालाब	3 X 60 = 180	1981
2	लोकटक	मणिपुर	भंडारण	3 x 35 = 105	1983
3	सलाल	जम्मू एवं कश्मीर	आरओआर	6 x 115 = 690	1987
4	चमेरा -I	हिमाचल प्रदेश	तालाब	3 x 180 = 540	1994
5	चमेरा -II	हिमाचल प्रदेश	तालाब	3 x 100 = 300	2003
6	चमेरा -III	हिमाचल प्रदेश	तालाब	3 x 77 = 231	2012
7	ऊरी -I	जम्मू एवं कश्मीर	आरओआर	4 x120 = 480	1997
8	ऊरी -II	जम्मू एवं कश्मीर	आरओआर	4 x 60 = 240	2012-13
9	दुलहस्ती	जम्मू एवं कश्मीर	आरओआर	3 x130 = 390	2006-07
10	नीमो बजगो	जम्मू एवं कश्मीर	तालाब	3 x 15 = 45	2013
11	चटक एचईपी	जम्मू एवं कश्मीर	आरओआर	4 x 11 = 44	2012-13
12	सेवा-II	जम्मू एवं कश्मीर	तालाब	3 x 40 = 120	2010
13	टनकपुर	उत्तराखंड	आरओआर	3 x 31.40 = 94.20	1992
14	धौलीगंगा	उत्तराखंड	तालाब	4 x 70 = 280	2005-06
15	तिस्ता -V	सिक्किम	तालाब	3 x 170 = 510	2008
16	तिस्ता लो डेम-III	सिक्किम	छोटे तालाबों सहित आरओआर	4 x 33 = 132	2012
17	रंगीत एच ई प्रोजेक्ट	सिक्किम	तालाब	3 x 20 = 60	1999
	कुल(एनएचपीसी)			**4441.20 मैगावाट**	
18	इंदिरा सागर	मध्य प्रदेश	भंडारण	8x125=1000	2004-05
19	औंकारेश्वर	मध्य प्रदेश	भंडारण	8x65 = 520	2007
	कुल(एनएचडीसी)			**1520 मैगावाट**	
20	टिहरी	उत्तराखंड	भंडारण	4 x250 = 1000	2007
21	कोटेश्वर	उत्तराखंड	भंडारण	4 x 100 = 400	2012
	कुल(टीएचडीसी)			**1400 मैगावाट**	
22	नापथा झाकरी	हिमाचल प्रदेश	छोटे तालाबों सहित आरओआर	6X250=1500	2004
	कुल(एसजेवीएनएच)			**1500 मैगावाट**	
23	मेथॉन	झारखंड / पश्चिम बंगाल	भंडारण	3x20=60	1958
24	पंचेट	झारखंड / पश्चिम बंगाल	भंडारण	2x40=80	1991
25	तलैया	झारखंड	भंडारण	2x2=4	1953
	कुल (डीवीसी)			**144 मैगावाट**	
26	रंगानदी	नागालैंड	तालाब	3x135 = 405	2002
27	कोपली स्टेज-I	असम	भंडारण	4x50 = 200	1997
28	कोपली स्टेज-II	असम	भंडारण	1x25 = 25	2004
29	खागडांग	असम	भंडारण	2x25=50	1984
30	डोयांग	नागालैंड	भंडारण	3x25 = 75	2000
	कुल (नीपको)			**755 मैगावाट**	
	कुल योग			**9760.20 मैगावाट (30 स्टेशंस)**	

अनुबंध-VI

केविविआ की परिधि के अंतर्गत हाइड्रो स्टेशनों का संयुक्त टैरिफ

क्र. स.	संगठन / विघुत केन्द्र	संस्थापित क्षमता मैगावाट	2012–2013 के लिए समन्वित दर (पैसे / केडब्लूएच)	टिप्पणी
	एनएचपीसी			
1	बैरास्यूल	198	1.44	वर्ष 2009–14 के लिए टैरिफ आदेशों पर आधारित
2	लोकटक	105	2.61	
3	सलाल	690	0.91	
4	टनकपुर	94.2	2.16	
5	चमेरा -I	540	1.83	
6	ऊरी	480	1.49	
7	रंगीत	60	2.63	
8	चमेरा -II	300	2.63	
9	धौलीगंगा	280	2.74	
10	दुलहस्ती	390	5.83	
11	तिस्ता -V	510	2.09	
12	सेवा -II	120	4.17	
	नीपको			
1	कोपली स्टेज I	200	1.47	वर्ष 2009–14 के लिए टैरिफ आदेशों पर आधारित
2	खागडांग	50		
3	कोपली स्टेज-II	25		
4	डोयांग	75	5.16	
5	रंगानदी	420	2.22	
	एनएचडीसी			
1	इंदिरा सागर	1000	2.62	
2	औंकारेश्वर	520	4.04	
	टीएचडीसी			
1	टिहरी स्टेज-I *	1000	4.89	
2	कोटेश्वर **	400	5.27	
	एसजेवीएनएल			
1	नाथपा झाकरी $	1500	2.18	

*केविविआ द्वारा अनुमत्त अंनतिम एएफसी पर आधारित।

**वर्ष 2012–13 के लिए याचिकाकर्त्ता द्वारा दावा किए गए एएफसी पर आधारित।

$ केविविआ द्वारा यथा अनुमोदित वर्ष 2008–09 के लिए एएफसी पर आधारित।

अनुबंध-VII

वर्ष 2013–14 के लिए नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ (रु/केडब्लूएच)

वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए आरटी टैक्नोलॉजी के लिए सामान्य टैरिफ			
विवरण	स्तरीकृत कुल टैरिफ	सवंर्धित मूल्यह्रास का लाभ (यदि लिया गया हो)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (संवर्धित मूल्यह्रास लाभ, (यदि लिया गया हो) का समायोजन करने पर
	(₹/केडब्लूएच)	(₹/केडब्लूएच)	(₹/केडब्लूएच)
पवन ऊर्जा			
पवन क्षेत्र -1 (सीयूएफ 20%)	6.29	0.49	5.80
पवन क्षेत्र -2 (सीयूएफ 22%)	5.72	0.45	5.27
पवन क्षेत्र -3 (सीयूएफ 25%)	5.03	0.39	4.64
पवन क्षेत्र -4 (सीयूएफ 30%)	4.19	0.33	3.86
पवन क्षेत्र -5 (सीयूएफ 32%)	3.93	0.31	3.62
लघु हाइड्रो विद्युत परियोजना			
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्य (5 मैगावाट से नीचे)	4.38	0.36	4.02
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्य (5 मैगावाट से 25 मैगावाट)	3.75	0.32	3.43
अन्य राज्य (5 मैगावाट)	5.16	0.42	4.74
अन्य राज्य (5 मैगावाट से 25 मैगावाट)	4.40	0.38	4.02

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परिवर्तनीय लागत (वि.वर्ष 2013-14)	लागू टैरिफ दर (वि.वर्ष 2013-14)	सवंर्धित मूल्यह्रास का लाभ (यदि लिया गया हो)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (संवर्धित मूल्यह्रास लाभ, यदि लिया गया हो, का समायोजन करने पर)
	(₹/केडब्लूएच)	(₹/केडब्लूएच)	(₹/केडब्लूएच)	(₹/केडब्लूएच)	(₹/केडब्लूएच)
बायोमास विद्युत परियोजना					
आन्ध्र प्रदेश	2.21	3.34	5.55	0.14	5.41
हरियाणा	2.25	3.80	6.05	0.14	5.91
महाराष्ट्र	2.26	3.89	6.15	0.14	6.01
पंजाब	2.27	3.98	6.24	0.14	6.11
राजस्थान	2.20	3.32	5.52	0.14	5.38
तमिलनाडु	2.20	3.29	5.49	0.14	5.35
उत्तर प्रदेश	2.21	3.40	5.61	0.14	5.47
अन्य	2.23	3.57	5.80	0.14	5.66

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परिवर्तनीय लागत (वि.वर्ष 2013-14)	लागू टैरिफ दर (वि.वर्ष 2013-14)	सवंर्धित मूल्यह्रास का लाभ (यदि लिया गया हो)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (संवर्धित मूल्यह्रास लाभ, यदि लिया गया हो, का समायोजन करने पर)
	(₹/केडब्लूएच)	(₹/केडब्लूएच)	(₹/केडब्लूएच)	(₹/केडब्लूएच)	(₹/केडब्लूएच)
गैर–फॉसिल ईंधन आधारित सह–उत्पादन					
आन्ध्र प्रदेश	2.95	2.45	5.40	0.24	5.17
हरियाणा	2.64	3.48	6.13	0.20	5.93
महाराष्ट्र	2.37	3.43	5.80	0.18	5.63
पंजाब	2.60	3.07	5.67	0.20	5.47
तमिलनाडु	2.29	2.64	4.93	0.18	4.75
उत्तर प्रदेश	2.98	2.73	5.71	0.24	5.48
अन्य	2.59	2.97	5.56	0.20	5.36

सौर पी वी एवं सौर थर्मल			
विवरण	स्तरीकृत कुल टैरिफ (वि.वर्ष 2013-14)	सवंर्धित मूल्यह्रास का लाभ (यदि लिया गया हो)	शुद्ध समान टैरिफ (संवर्धित मूल्यह्रास लाभ, यदि लिया गया हो का समायोजन करने पर)
	(₹/केडब्लूएच)	(₹/केडब्लूएच)	(₹/केडब्लूएच)
सोलर पी वी	8.75	0.88	7.87
सोलर थर्मल	11.90	1.21	10.69

राज्य	स्तरीकृत निर्धारित लागत	परिवर्तनीय लागत (वि.वर्ष 2013-14)	लागू टैरिफ दर (वि.वर्ष 2013-14)	सवंर्धित मूल्यह्रास का लाभ (यदि लिया गया हो)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (संवर्धित मूल्यह्रास लाभ, यदि लिया गया हो) का समायोजन करने पर
	(₹/केडब्लूएच)	(₹/केडब्लूएच)	(₹/केडब्लूएच)	(₹/केडब्लूएच)	(₹/केडब्लूएच)
बायोमास गैसीफायर पावर प्रोजेक्ट					
आन्ध्र प्रदेश	2.46	3.45	5.91	0.12	5.79
हरियाणा	2.53	3.92	6.45	0.12	6.32
महाराष्ट्र	2.54	4.01	6.55	0.12	6.43
पंजाब	2.55	4.10	6.65	0.12	6.53
राजस्थान	2.46	3.42	5.88	0.12	5.76
तमिलनाडु	2.46	3.39	5.85	0.12	5.73
उत्तर प्रदेश	2.47	3.50	5.98	0.12	5.86
अन्य	2.49	3.68	6.18	0.12	6.06

राज्य	स्तरीकृत निर्धारित लागत	परिवर्तनीय लागत (वि.वर्ष 2013-14)	लागू टैरिफ दर (वि.वर्ष 2013-14)	सवंर्धित मूल्यह्रास का लाभ (यदि लिया गया हो)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (संवर्धित मूल्यह्रास लाभ, यदि लिया गया हो) का समायोजन करने पर
	(₹/केडब्लूएच)	(₹/केडब्लूएच)	(₹/केडब्लूएच)	(₹/केडब्लूएच)	(₹/केडब्लूएच)
बायोगैस आधारित सह उत्पादन					
बायोगैस	3.30	3.62	6.91	0.24	6.67

अनुबंध-VIII

वित्तीय वर्ष 2012–13 में आयोग के अधिकारियों/स्टाफ द्वारा भागीदारी किए गए सेमिनार/सम्मेलन/एक्सचैंज कार्यक्रम(भारत से बाहर)

क्र.स.	प्रतिनियुक्त किए गए अधिकारी का नाम और पदनाम	अवधि	सेमिनार सम्मेलन/ कार्यक्रम का नाम	दौरा किए गए देश का नाम
1.	श्री एम. दीन दयालन सदस्य	16.04.2012 से 18.04.2012	पारंम्परिक और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत्रों दोनो प्रकार की प्रतिस्पर्द्धात्मक प्राप्ति से संबंधित विषयों पर विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श करना और बाजार परिचालन को शामिल करने वाले विषयों पर विचार विमर्श/संवाद करना।	वाशिंगटन और फिलाडेलपिया
2.	श्री राजीव बंसल सचिव	16.04.2012 से 20.04.2012	भारत और केन्या एवं अफ्रिका कार्बन फोरम 2012 के बीच अफ्रिका में ऊर्जा, साउथ साउथ जानकारी विनिमय से संबंधित परामर्श बैठक में भाग लेना लेकिन श्री बंसल ने केवल एक दिन अर्थात 16.4.2012 को हिस्सा लिया।	अदीस अबाबा ईथोपिया
3.	डॉ. प्रमोद देव, अध्यक्ष, श्री एस. जयरमण, सदस्य श्री वी.एस.वर्मा, सदस्य एवं श्री एम.दीन दयालन	09.05.2012 से 10.05.2012	साफिर की स्थायी समिति की बैठक में हिस्सा लिया	ढ़ाका, बंगलादेश
4.	श्री सुशांत के. चटर्जी उप प्रमुख(वि.का) एवं श्री सुशील कुमार अरोड़ा निजी सचिव	09.05.2012 से 10.05.2012	साफिर की स्थायी समिति की बैठक में हिस्सा लिया	ढ़ाका, बंगलादेश
5.	श्री वी.एस.वर्मा सदस्य	13.05.2012 से 18.05.2012	13–16 मई, 2012 तक की अवधि के लिए ऊर्जा विनियम के 5वें विश्व फोरम में हिस्सा लिया, 17–18 मई, 2012 को मॉन्ट्रियल में हाइड्रो प्लांट का दौरा किया।	क्यूबैक सिटी, कनाडा एवं मांट्रीयल
6.	श्री राजीव बंसल सचिव	13.05.2012 से 21.05.2012	दनवेर में 13–17 मई 12 तक विश्व नवीकरणीय ऊर्जा फोरम में हिस्सा लिया और वक्तव्य दिया तथा उसके बाद 18–21 मई 12 तक ईवानपा और लॉस वेगास में सौर ऊर्जा केद्रों का दौरा किया	यूएसए (ईवेनपा और लॉस वेगास)
7.	डॉ. प्रमोद देव अध्यक्ष	13.05.2012 से 22.05.2012	13–16 मई, 2012 तक की अवधि के लिए ऊर्जा विनियम के 5वें विश्व फोरम में हिस्सा लिया, 17–18 मई, 2012 को मॉन्ट्रियल में हाइड्रो प्लांट का दौरान किया और 22 मई 2012 को ओटावा में करलेटन यूनिवर्सिटी में वार्ता की।	क्यूबैक सिटी, कनाडा, मांट्रीयल एवं औटावा

क्र.स.	प्रतिनियुक्त किए गए अधिकारी का नाम और पदनाम	अवधि	सेमिनार सम्मेलन / कार्यक्रम का नाम	दौरा किए गए देश का नाम
8.	श्री एच.टी. गांधी उप प्रमुख (वित्त) एवं श्री सुकांता गुप्ता सहायक प्रमुख (इंजी)	04.06.2012 से 08.06.2012	ग्रिड समेकन, हरित ऊर्जा के लिए पारेषण योजना और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र एवं ऊर्जा विनियम में सर्वोत्तम पद्धतियों पर विचार विमर्श करना तथा एसीएमई / ई सौलर सीएसपी प्लांट की सौलर थर्मल सुविधा में दौरा करना।	लासॅ एंजलस और सैन फ्रांससिस्को (यूएसए)
9.	श्री विजय मेंघानी संयुक्त प्रमुख (इंजी)	26.06.2012 से 28.06.2012	क्रास बार्डर ऊर्जा व्यापार में विनियामक भूमिका' विषय पर कार्यशाला में हिस्सा लेना।	ढ़ाका, बंगलादेश
10.	श्री विजय मैघानी संयुक्त प्रमुख (इंजी)	31.07.2012 से 03.08.2012	वितरण सुधार उन्नयन प्रबंधन के अंतर्गत सिंगापुर में स्मार्ट ग्रिड से संबंधित अध्ययन कार्यक्रम में हिस्सा लेना	सिंगापुर
11.	डॉ. प्रमोद देव अध्यक्ष और श्री वी.एस.वर्मा सदस्य	01.08.2012 से 02.08.2012 और 06.08.2012	1–2 अगस्त 12 के दौरान एशिया पैसेफिर ऊर्जा विनियामक (एपीएआर) फोरम की द्विवार्षिक बैठक में सहभागिता करना और 6 अगस्त 2012 को पैनिशलवानिया पब्लिक यूटिलीटी कमीशन के साथ बैठक में भागीदारी करना	यूएसए
12.	श्री एस.सी. श्रीवास्तव संयुक्त प्रमुख (इंजी)	28.08.2012 से 30.08.2012	'क्रास बॉर्डर के लिए ऊर्जा व्यापार के लिए पारेषण परिचालन' से संबंधित कार्यशाला में भाग लिया	थिम्पू, भूटान
13	श्री विक्रम सिंह उप प्रमुख (इंजी)	10.09.2012 से 03.10.2012	कुशल ऊर्जा प्रयोग और योजना 2012	स्वीडन
14.	श्री बी. श्रीकुमार, उप प्रमुख (विधि) श्री ए.वी.शुक्ला, सहायक प्रमुख (वित्त) एवं श्री एम.एम.चौधरी, सहायक प्रमुख (वित्त)	18.10.2012 से 24.10.2012	5वीं क्षमता निर्माण / प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया	कानपुर और बैंकाक, थाईलैंड
15.	श्री एस. सी. श्रीवास्तव संयुक्त प्रमुख (इंजी)	14.11.2012 से 15.11.2012	2012अल्माटी कजाकिस्तान में 'उन्नत फासिल ईंधन टक्नोलॉजी में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने के माध्यम से जलवायु परिवर्तन को कम करना' विषय पर संयुक्त राष्ट्र एपीसीटीटी – ईएससीएपी प्रायोजित अंतराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेना	कजाकिस्तान

अनुबंध-IX

वित्तीय वर्ष 2012–13 में आयोग के अधिकारियों द्वारा भागीदारी किए गए कार्यक्रम (भारत में)

क्र.स.	अधिकारी का नाम	कार्यक्रम	दिनांक	द्वारा संचालित
1.	श्री रामानुज डे सहायक सचिव (कार्मिक एवं प्रशासन) श्री भगत सिंह सहायक	सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन	26/04/2012	वी.एम.सी प्रबंध परामर्श प्रा. लि. नई दिल्ली
2	**श्री एस.सी. श्रीवास्तव** संयुक्त प्रमुख (इंजी) श्री सुकांता गुप्ता सहायक प्रमुख(इंजी)	सुपर विवेचनीय विद्युत संयंत्रों पर सम्मेलन	06/07/12	इन्फ्रालाइन ऊर्जा अनुसंधान एवं सूचना सेवा, नई दिल्ली
3	श्री राजीव कुमार सहायक श्री हरीश बलोदी सहायक	सकारात्मक सोच शक्ति पर कार्यशाला	13/10/2012	विजन 360 प्रबंध परामर्श, नई दिल्ली
4.	डॉ यू.आर. प्रसाद उप प्रमुख (अर्थशास्त्र)	विद्युत क्षेत्र में मांग पूर्वानुमान	14/03/2013 से 16/03/2013	प्रबंध सूचना संस्थान, गुडगांव

अनुबंध-X

वर्ष 2012–13 के लिए वार्षिक खातों की लेखा परीक्षा

31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ) के वार्षिक लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा–परीक्षा रिपोर्ट

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 100 (2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत हमने 31 मार्च, 2013 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ) के संलग्न तुलनपत्र तथा उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियां तथा भुगतान लेखाओं की लेखापरीक्षा की । इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी केविविआ के प्रबंधक की है। हमारा उत्तरदायित्व लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय अभिव्यक्त करना है।

1. इन पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, बेहतर पद्धतियों के अनुरूप लेखांकन मानक तथा प्रकटन मानकों आदि के बारे में केवल लेखांकन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका–टिप्पणियां शामिल हैं। विधि, नियमों तथा विनियमों (औचित्य तथा नियमितता) के अनुपालन के बारे में वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा टिप्पणियों तथा दक्षता–सह–निष्पादन पहुलओं आदि, यदि कोई हो, को पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से रिपोर्ट किया जाता है।

2. हमने सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानक में यह अपेक्षा की जाती है कि हम इस बात के बारे में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना तथा निष्पादन करें कि वित्तीय विवरण में गलत विवरण नहीं हो। लेखापरीक्षा में परीक्षण आधार पर जांच, राशि के साक्ष्य स्वरूप दस्तावेज तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटन सम्मिलित हो। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलन तथा वित्तीय विवरणों के सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट हमारी राय के लिए युक्तियुक्त आधारपर प्रदान करती है।

3. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम निम्नलिखिल रिपोर्ट करते है किः–

   (i) हमने वह सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;

   (ii) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन–पत्र तथा आय तथा व्यय लेखा/प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 100 की उपधारा (1) के अंतर्गत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रारूप से लिए गए हैं;

   (iii) हमारी राय में, लेखाओं की समुचित बहियां तथा अन्य सुंसंगत अभिलेखों का विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 100(1) के अंतर्गत यथापेक्षित केविविआ द्वारा रख–रखाव किया गया है ऐसा बहियों का हमारी जांच से प्रतीत होता है।

   (iv) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं–

(क) लेखों पर टिप्पणियां : शून्य

(ख) अनुदान सहायता : वर्ष के दौरान (मार्च में शून्य रुपए प्राप्त किए गए) प्राप्त 31.31 करोड़ की रुपए की अनुदान सहायता में से (वर्ष 2011–12 की अव्ययित बकाया के लिए 6.25 करोड़ रूपए सहित) केविविआ 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार 26.81 करोड़ रूपए का प्रयोग कर सका जिसमें 4.50 करोड़ रूपए का बकाया अप्रयुक्त रह गया।

(ग) प्रबंधन पत्र

वे कमियां, जिन्हें पृथक, लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित किया गया, उसे उपचारात्मक/सुधार कार्रवाई के लिए पृथक रूप से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से, अध्यक्ष, केविविआ की जानकारी में लाया गया।

;अद्ध पिछले पैरा में अपने संप्रेक्षण के अधीन, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में तुलन पत्र तथा आय तथा व्यय लेखा/प्राप्तियां और भुगतान लेखा बहियों के अनुरूप है।

;अपद्ध हमारी राय में हमारी बेहतर जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखांकन नीतियों तथा लेखाओं पर टिप्पण के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरणों तथा उपरोक्त कथित महत्वपूर्ण मामलों और इस पृथक संपरीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध–1 में उल्लिखित मामलों के अधीन, रहते हुए, भारत में साधारणतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतो के अनुरूप सही तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

क) जहां तक तुलन–पत्र का संबंध हैं, विद्युत विनियामक आयोग का कार्य 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार, और

ख) जहां तक अधिशेष के आय तथा व्यय लेखा का संबंध हैं। यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

हस्ता.
(नैना ए. कुमार)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं
पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–III

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 24 अक्टूबर, 2013

अनुबंध-I

{पैरा 4(vi) में उल्लिखित}

1.	आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता	केविविआ के लेखाओं की आंतरिक लेखा परीक्षा आंतरिक रूप से इसके अपने अधिकारियों द्वारा की जाती है। वर्ष 2012–13 के लिए केविविआ की वार्षिक लेखों की आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा जून, 2013 में की गई थी जिसमें उप प्रमुख (वित्त) और उप प्रमुख(विधि) भी शामिल थे। संव्यवहार लेखा परीक्षा के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा का कवरेज व संभावना वर्ष 2011–12 तक केविविआ द्वारा विनिर्दिष्ट नहीं की गई थी। इसे 9.7.2013 को अनुमोदित केविविआ के आंतरिक लेखा परीक्षा मैनुअल में वर्ष 2012–13 के लिए किया गया था। वर्ष 2012–13 के लिए केविविआ की संव्यवहार की आंतरिक लेखा परीक्षा अभी की जानी है (सितम्बर, 2013)। 18.2.2013 से 27.2.2013 के दौरान इसके अपने अधिकारियों द्वारा की गई वर्ष 2011–12 के लिए केविविआ के संव्यवहारों की आंतरिक परीक्षा रिपोर्ट (सितम्बर, 2013) को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।
2.	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्ता	क्रम संख्या 1 और 3 के अभिमतों के अध्यधीन मानिटरिंग प्राप्तियों एवं भुगतान करने तथा उसके लेखांकन के लिए आंतरित नियत्रण मैकेनिज्म केविविआ गतिविधियों के आकार और प्रकृति के अनुरूप है।
3.	नियत आस्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली	केविविआ द्वारा रखे गए नियत आस्ति रजिस्टर को वर्ष 2011–12 के लिए लेखों के सत्यापन के दौरान लेखा परीक्षा में (जुलाई, 2012) में दिए गए आश्वासन के बावजूद अध्यतन नहीं किया गया। इसके अलावा केविविआ को परामर्श फर्म के लिए इसकी आस्तियों के भौतिक सत्यापन का कार्य दिया गया जिसने अपनी टिप्पणियों के लिए फरवरी, 2013 में केविविआ को अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट को अभी (सितम्बर, 2013) अंतिम रूप दिया जाना है।
4.	उनके लिए लागू सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता	केविविआ उनके लिए लागू सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमित है।

वार्षिक लेखाओं का अनुमोदन

संकल्प

आयोग ने वर्ष 2012–13 के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के वार्षिक लेखओं पर विचार किया तथा सर्वसम्मति से निम्नलिखित संकल्प कियाः

''संकल्प करते हैं कि 31.03.2013 को आयोग का तुलनपत्र तथा उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय तथा व्यय लेखओं सहित प्राप्तियां और संदाय लेखाओं को अनुमोदित किया जाए और किया जाता है।

संकल्प करते हैं कि 31.03.2013 को आयोग का तुलनपत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा सहित प्राप्तयां और संदाय लेखा पर सचिव और आंतरिक वित्तीय सलाहकार, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा हस्ताक्षर किए गए और किए जाएंगे।''

हस्ता.
(राजीव बंसल)
सचिव

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 21 जून, 2013

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग 31.3.2013 को तुलनापत्र

(₹ लाखों में)

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष 31.03.2013	पूर्व वर्ष 31.03.2012
पूंजी निधि और दायित्व			
पूंजी निधि	1	**195.65**	296.58
सीईआरसी निधि	2	**8870.24**	5016.77
चालू दायित्व और प्रावधान	3	**1082.21**	874.42
कुल		**10148.10**	**6187.77**
आस्तियां			
नियत आस्तियां	4	**570.06**	581.24
चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	5	**9578.04**	5606.53
कुल		**10148.10**	**6187.77**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	10		
आकस्मिक दायित्व और लेखाओं पर टिप्पण	11		

हस्ता.
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता.
सचिव

केन्द्रीय विधुत विनियामक आयोग 31.3.2013 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(₹ लाखों में)

विवरण		अनुसूची	चालू वर्ष 31.03.2013	पूर्व वर्ष 31.03.2012
आय				
सीईआरसी निधि से जारी	3131.09			
घटायें: बचत/सीईआरसी निधि को वापस अंतरित खर्च न किया गया अतिशेष	449.64		**2681.45**	2523.01
नियत अस्तियां की बिक्री पर लाभ		6	**0.19**	1.05
आस्थगित आय (सहायता अनुदान से अर्जित आस्तियों पर अवक्षयण)			**13.42**	17.83
कुल (क)			**2695.06**	**2541.89**
व्यय				
स्थापना खर्चे		7	**728.71**	800.89
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि		8	**1864.26**	1624.95
अवक्षयण			**96.50**	84.18
कुल (ख)			**2689.47**	**2510.02**
व्यय पर आय की अधिकता/कमी के लिए अतिशेष (क–ख)			**5.59**	31.87
घटाएं: पूर्व अवधि मदें (निवल)		9	**93.10**	146.60
समग्र/पूंजी निधि को अंतरित अतिशेष			**(87.51)**	**(114.73)**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां		10		
आकस्मिकता दायित्व और लेखाओं पर टिप्पण		11		

हस्ता.
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता.
सचिव

केन्द्रीय विधुत विनियामक आयोग
31 मार्च, 2013 को तुलनपत्र की भागरूप अनुसूचियां

(₹ लाखों में)

अनुसूची 1 – पूंजी निधिः	चालू वर्ष 31.03.2013	पूर्व वर्ष 31.03.2012
वर्ष के प्रारंभ में अतिशेष	**296.58**	4797.11
<u>घटाएं</u> सीईआरसी निधि में अंतरित	-	4367.97
	296.58	**429.14**
<u>घटाएं</u> अचल आस्तियां पर अवक्षयण के कारण आस्थगित आय (सहायता अनुदान से अर्जित)	**13.42**	17.83
	283.16	411.31
<u>जोड़ें:</u> आय और व्यय लेखा से अंतरित कुल आय/व्यय का अतिशेष	**(87.51)**	(114.73)
कुल	**195.65**	**296.58**

हस्ता.
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता.
सचिव

केन्द्रीय विधुत विनियामक आयोग
31 मार्च, 2013 को तुलनपत्र की भागरूप अनुसूचियां

(₹ लाखों में)

अनुसूची 2 – सीईआरसी निधिः		चालू वर्ष 31.03.2013	पूर्व वर्ष 31.03.2012
वर्ष के प्रारंभ में अतिशेष		**5016.77**	0.00
<u>जोड़ें :</u> पूंजीगत निधि से अंतरित		-	4367.97
		5016.77	4367.97
<u>घटाएं</u> सीईआरसी निधि से जारी (भारत का लोक लेखा)		**3131.09**	3148.00
		1885.68	**1219.97**
<u>जोड़ें प्रत्यक्ष आय :</u>			
फाइलिंग शुल्क/टैरिफ शुल्क	**4350.89**		
लाइसेंस शुल्क	**1861.64**		
वार्षिक पंजीकरण शुल्क	**64.00**		
विविध शुल्क	**16.85**	**6293.38**	3019.12
<u>अप्रत्यक्ष आय :</u>			
अर्जित ब्याज **(टीडीएस निल)**	**229.16**		
अन्य आय	**12.38**	**241.54**	152.68
		8420.60	**4391.77**
<u>जोड़ें :</u> वर्ष के दौरान सीईआरसी निधि में वापस की गई बचत		**449.64**	624.99
कुल योग		**8870.24**	**5016.77**

हस्ता.
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता.
सचिव

(₹ लाखों में)

अनुसूची – 3 : चालू दायित्व और प्रावधान	चालू वर्ष 31.03.2013	पूर्व वर्ष 31.03.2012
क. चालू दायित्व		
1. विविध क्रेडिटर्स	**72.77**	52.29
2. प्रतिदेय वेतन (सदस्य व स्टाफ)	**54.48**	49.33
3. प्राप्त अग्रिम(फाइलिंग / टैरिफ शुल्क)		
3.1 उत्पादन टैरिफ शुल्क – वित्त वर्ष 2012–13	**0.00**	64.40
3.2 उत्पादन टैरिफ शुल्क – वित्त वर्ष 2013–14	**167.26**	30.40
3.3 अनूज्ञप्ति शुल्क – वित्त वर्ष 2013–14	**9.00**	00.00
3.4 अनूज्ञप्ति शुल्क – वित्त वर्ष 2012–13	**0.00**	49.17
3.5 पारेषण टैरिफ शुल्क – वित्त वर्ष 2012–13	**0.00**	36.26
3.6 पारेषण टैरिफ शुल्क – वित्त वर्ष 2013–14	**125.55**	0.00
4. वैधानिक दायित्व :		
4.1 सीपीएफ समरूप अंशदान	**0.15**	0.21
4.2 सीपीएफ (सांविधिक व स्वैच्छिक)	**0.00**	0.00
4.3 जीपीएफ समरूप अंशदान	**0.12**	0.09
4.4 ईपीएफ समरूप अंशदान	**3.09**	2.81
4.5 पेंशन अंशदान	**10.43**	7.78
4.6 छुट्टी वेतन अंशदान	**10.38**	9.17
4.7 उपदान अंशदान	**11.47**	11.23
4.8 जीएसएलआई / एलआईसी	**0.01**	0.02
4.9 छुट्टी यात्रा रियायत	**0.07**	0.55
4.10 ईपीएफ कर्मचारी अंशदान	**0.15**	0.00
4.11 एनपीएस समरूप अंशदान	**0.04**	0.00
5. अन्य चालू दायित्व :		
5.1 जुर्माना	**444.28**	411.78
5.2 प्राप्त प्रतिभूति निक्षेप	**2.44**	2.57
5.3 अन्य वसूलियां (कम्प्यूटर अग्रिम)	**0.00**	0.00
5.4 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी ग्रुप इंश्योरैंस योजना	**0.00**	0.00
5.5 अन्य वसूलियां (कार अग्रिम)	**0.01**	0.00
कुल (क)	**911.70**	**728.06**
6. प्रावधान		
6.1 छुट्टी नकदीकरण	**90.36**	70.03
6.2 उपदान	**78.35**	74.08
7. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
संदेय लेखा परीक्षा शुल्क (सी एंड एजी)	**1.80**	2.25
कुल (ख)	**170.51**	**146.36**
कुल योग (क+ख)	**1082.21**	**874.42**

हस्ता.
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता.
सचिव

अनुसूची 4 – नियत आस्तियां

(₹ लाखों में)

विवरण	सकल खण्ड					मूल्यह्रास						शुद्ध खण्ड	
	वर्ष के आरंभ में लागत	समायोजन	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष की समाप्ति पर लागत	वर्ष के आरंभ के रूप में	समा–योजन	प्रारंभ पर	वर्ष के दौरान जोड़ पर	वर्ष के दौरान कटौती पर	वर्ष की समाप्ति कुल	चालू वित्त वर्ष की समाप्ति पर	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर
क. नियत आस्तियां:													
भवन (नवीकरण)	**160.39**	-151.46		8.93	**0.00**	**25.48**	-24.07	-		1.41	**0.00**	**0.00**	134.91
लकड़ी का विभाजन एवं नवीकरण		151.33	53.34		204.67	-	-	49.68	23.70		73.38	131.29	-
फर्नीचर और फिटिंग्स	**320.81**	-28.14	41.18		**333.85**	**156.20**	9.98	27.28	7.32		**200.78**	**133.07**	164.61
मशीनरी और उपकरण	**164.10**	17.64	40.86		**222.60**	**64.70**	10.82	19.32	4.79		**99.63**	**122.97**	99.39
कंप्यूटर/बाह्य उपकरण	**112.36**	10.63	9.03	0.54	**131.48**	**84.80**	3.27	16.48	1.95	0.47	106.03	**25.45**	27.56
पुस्तकालय पुस्तकें	**3.47**				**3.47**	**0.78**		0.38			**1.16**	**2.31**	2.70
साफ्टवेयर	**21.18**				**21.18**	**12.19**		3.61			**15.80**	**5.38**	8.99
कुल	**782.31**	-	**144.41**	**9.47**	**917.25**	**344.15**	-	116.75	37.76	1.88	**496.78**	**420.47**	438.16
ख. प्रगति में पूजीं संकर्म:													
पूंजी डब्लूआईपी–रिम्स एसआरएस	**72.44**		67.09		**139.53**	-						**139.53**	72.44
पूंजी डब्लूआईपी–भव (नवीकरण)	**70.64**		40.61	**101.19**	10.06	-						**10.06**	70.64
कुल	**143.08**		107.70	101.19	**149.59**	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**149.59**	143.08
कुल योग	**925.39**		252.11	110.66	**1066.84**	**344.15**	0.00	116.75	37.76	1.88	**496.78**	**570.06**	581.24

हस्ता.
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता.
सचिव

(₹ लाखों में)

अनुसूची 5 – चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम	चालू वर्ष 31.03.2013	पूर्व वर्ष 31.03.2012
1 चालू आस्तियां		
1.1 हाथ में नकदी अधिशेष (चैक/ड्राफ्ट और इम्प्रेस्ट सहित)	**0.10**	0.10
1.2 बैंक अधिशेष		
1.2.1 अनुसूचित बैंकों में		
चालू खातें में		
कारपोरेशन बैंक (आटो स्वीप सहित)	579.13	17.59
बचत खातों में		
कारपोरेशन बैंक	0.01	0.01
कारपोरेशन बैंक (आटो स्वीप सहित)	421.45	1327.53
1.3 सीईआरसी निधि खाता (भारत का लोक खाता)	8104.90	3736.00
2 ऋण, अग्रिम और अन्य आस्तियां		
2.1 ऋण		
2.1.1 स्टाफ	1.76	1.65
2.1.2 अन्य	0.22	0.00
2.2. अग्रिम और अन्य रकमें नकद या वस्तु के रूप में वसूलनीय या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए		
2.2.1 प्राप्य शुल्क (अधिभार)	0.00	0.43
2.2.2 पूर्व संदत्त खर्चे	17.34	13.50
2.2.3 प्रतिभूति निक्षेप	398.32	425.87
2.2.4 एनडीएमसी के साथ अग्रिम (निक्षेप संकर्म)	0.00	15.00
2.2.5 अन्य अग्रिम	0.00	3.55
2.2.6 विनियामक मंच	9.28	4.90
2.2.7 भारतीय विनयामक मंच	6.50	3.85
2.2.8 दक्षिण एशिया अवसंरचना विनियम मंच	2.75	2.50
3 एफडीआर में प्रोद्धत उपार्जित आय		
प्रोद्धत ब्याज (आटो स्वीप खाते पर)	36.28	54.05
कुल	**9578.04**	5606.53

हस्ता.
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता.
सचिव

(₹ लाखों में)

अनुसूची 6 – अन्य आय	चालू वर्ष 31.03.2013	पूर्व वर्ष 31.03.2012
आस्तियां के विक्रय/निपटारे पर लाभः	**0.19**	1.05
कुल	**0.19**	**1.05**

हस्ता.
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता.
सचिव

(₹ लाखों में)

अनुसूची 7 – स्थापना व्यय	चालू वर्ष 31.03.2013	पूर्व वर्ष 31.03.2012
1 **वेतन एवं मजदूरीः**		
1.1 कर्मचारीवृंद/अधिकारी के वेतन	199.58	202.69
1.2 अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन	157.50	165.37
1.3 भत्ते और बोनस	219.26	195.33
1.4 भविष्य निधि में अंशदान	36.57	33.80
2 **अन्य निधियों में अंशदानः**		
2.1 संदत्त उपदान	1.49	5.30
2.2 पेंशन अंशदान	11.48	9.33
2.3 छुट्टी वेतन अंशदान	9.67	10.29
2.4 उपदान के लिए प्रावधान	0.30	45.85
2.5 छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	20.33	70.04
3 **कर्मचारिवृंद कल्याण खर्चे**		
3.1 चिकित्सा और स्वास्थ्य देख–रेख सुविधाएं	27.95	23.94
3.2 अन्य	20.06	15.24
4 **अन्य (विनिविर्दिष्ट करें):**		
4.1 ट्यूशन फीस/सीईए	6.16	7.15
4.2 एलटीसी	9.99	5.46
4.3 छुट्टी नकदीकरण	8.37	11.10
कुल	**728.71**	**800.89**

हस्ता.
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता.
सचिव

(₹ लाखों में)

अनुसूची 8 – अन्य प्रशासनिक व्यय	चालू वर्ष 31.03.2013	पूर्व वर्ष 31.03.2012
1 श्रम और प्रसंस्करण खर्चे	**139.71**	116.45
2 विधुत एवं ऊर्जा	**31.50**	20.50
3 जल प्रभार	**3.51**	3.34
4 **मरम्मत तथा रख–रखाव:**		
4.1 कम्प्यूटर	**3.37**	3.23
4.2 भवन	**12.64**	16.40
4.3 अन्य	**0.42**	0.35
5 किराया, दर तथा कर	**822.11**	720.18
6 वाहन चालन तथा रख–रखाव	**9.77**	9.28
7 डाक व्यय एवं टेलीफोन प्रभार	**28.65**	26.93
8 मुद्रण तथा लेखन सामग्री	**18.46**	16.28
9 **यात्रा तथा वाहन:**		
9.1 स्वदेश यात्रा व्यय	**61.55**	52.55
9.2 विदेश यात्रा व्यय	**70.87**	54.75
9.3 विदेश मुद्रा के उतार–चढ़ाव पर हानि	**0.01**	0.10
9.4 वाहन	**2.54**	5.01
10 बैठक/सेमिनार/कार्यशाला संबंधी खर्चे	**11.50**	7.24
11 अभिदाय खर्चे	**35.32**	19.02
12 लेखा परीक्षक पारिश्रमिक	**0.65**	1.67
13 व्यवसायिक प्रभार	**419.90**	368.77
14 विज्ञापन तथा प्रकाशन प्रभार	**62.37**	95.34
15 **अन्य (विनिर्दिष्ट करें):**		
15.1 पुस्तक तथा आवधिक पत्रिकाए	**15.76**	12.08
15.2 विविध खर्चे	**0.06**	0.48
15.3 टैक्सी/कार पट्टा किराया पर लेने संबंधी प्रभार	**32.97**	31.08
15.4 एयरकंडीशनर की एएमसी और खर्चे	**12.76**	4.12
15.5 ईपीएबीएक्सकी एएमसी और खर्चे	**0.92**	0.89
15.6 फोटो कापी मशीन की एएमसी और खर्च	**5.11**	3.99
15.7 बैंक प्रभार	**0.05**	0.07
15.8 सूचना प्रणाली – अनुज्ञप्ति शुल्क आदि	**52.12**	29.08
15.9 प्रशिक्षण खर्चे	**2.79**	2.58
15.10 अतिरिक्त प्रावधान का रद्द करण	**-0.63**	3.19
15.11 प्राप्त की गई अनुज्ञप्ति शुल्क की वापसी	7.50	0.00
कुल	**1864.26**	**1624.95**

हस्ता.
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता.
सचिव

(₹ लाखों में)

अनुसूची 9 – अवधिपूर्व मदें	चालू वर्ष 31.03.2013	पूर्व वर्ष 31.03.2012
1. भवन की मरम्मत और रखरखाव	7.52	24.86
2. प्रतिभूति जमा के रूप में लेखा में दर्शायी गई पूर्ववत्ती वर्ष में प्रदत्त किराया	27.66	-
3. एमटीएनएल को जमा प्रतिभूति का भुगतान	(0.09)	-
4. ह्रास	58.01	151.84
5. पूर्ववत्ती वर्ष में प्रभारित आस्तियों को बट्टखाते डालना	-	(30.10)
कुल	93.10	146.60

हस्ता.
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता.
सचिव

31.3.2013 को समाप्त अवधि के लिए लेखाओं की भागरूप अनुसूचियां

अनुसूची 10 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. **लेखांकन कन्वेंशन**

   वित्तीय विवरण जब तक अन्यथा कथित न किया जाए वह एतिहासिक लागत कन्वेशन के आधार पर और लेखाकन की प्रोदभवन नीति पर तैयार किए जाते हैं। लेखों को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 (3ग) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं और लेखांकन सिद्धान्तों तथा मानकों के अनुपालन में तैयार किया गया है।

2. **नियत आस्तियां**

   नियत आस्तियां आवक मालभाडा, शुल्क तथा करों तथा अर्जन से संबधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष खर्चो सहित अर्जन की लागत पर कथित की जाती है।

3. **मूल्यह्रास**

   (i) नियत आस्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची–ग्प्ट में दी गई दरों के अनुसार अवलिखित मूल्य प्रणाली में निकाला गया है।

   (ii) वर्ष के दौरान नियत आस्तियों में जोड़/कटौतियों के संबंध में 30 सितम्बर तक अर्जित आस्तियों पर पूर्ण मूल्यह्रास और 30 सितम्बर के पश्चात अर्जित आस्तियों आधी दर से मूल्यह्रास प्रभावित किया जाता है।

   (iii) 5000/– रूपए या उससे कम की मूल्य की नियत आस्ति को पूंजीगत किया जाता है और पूर्णतः मूल्यह्रास किया जाता है।

4. **अमूर्त आस्तियों का उपाकरण**

   साफ्टवेयर का 5 वर्षों की अवधि के लिए या साफ्टवेयर के पूर्ण काल के लिए जो भी कम हो जब तक की अन्यथा कथित न किया गया हो, उपाकरण किया जाता है।

5. **केविविआ निधि के लिए लेखांकन संव्यवहार**

   केविविआ निधि (निधि के प्रयोग का संगठन और ढंग) नियम 2007 के अनुसार केविविआ निधि खाता भारत के पब्लिक लेखा में खोला गया है। केविविआ द्वारा प्राप्त सभी फीस एवं रकम केविविआ निधि में क्रेडिट की जाती है। भारत के पब्लिक लेखा में रखे गई केविविआ की निधि से विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी की गई रकम आय एवं व्यय खाते में आय के रूप में परिगणित की जाती है।

6. **सरकारी अनुदान/सब्सिडी**

   (i) सरकारी अनुदान/सब्सिडी को उगाही आधार पर परिगणित किया जाता है।

   (ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित लेखा मानक 12 के अनुसार 2009–10 तक अनुदान सहायता में से अर्जित नियत आस्तियों पर प्रभारित मूल्यह्रास आस्थगित आय के रूप में आय एवं व्यय खाते के आय पक्ष में दर्शाया जाता है और तदनुरूपी रकम की पूंजी निधि से कटौती की गई है।

7. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

विदेशी मुद्रा में निर्धारित संव्यवहार को संव्यवहार की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर को परिगणित किया जाता है। विदेशी विनियम लाभ या हानि यदि कोई है तो उसे लेखा मानक–11 के अनुसार वर्ष के आय एवं व्यय खाते में मान्यता दी जाती है।

8. पट्टा

पट्टा किराया पट्टा निबंधनों के प्रति निर्देश से व्ययित किए जाते है।

9. सेवा निवृति फायदे

कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृति पर संदेह उपदान और छुट्टी नकदीकरण के प्रति देयता को लेखा मानक–15 के अनुसार बीमांकन मूल्य के आधार पर परिगणित किया जाता है।

हस्ता.
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता.
सचिव

31.03.2013 को समाप्त अवधि के लिए लेखाओं की भागरूप अनुसूचियां

अनुसूची – 11 आकस्मिक देयता और लेखाओं पर टिप्पण

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की पृष्ठभूमि

केविविआ को विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम 1998 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। आयोग को विद्युत अधिनियम 2003 द्वारा व्यापक जनाधार मिला। आयोग के मुख्य कार्य केन्द्रीय सरकार द्वारा निजी स्वामित्व या नियंत्रित से भिन्न कपंनियों के संबंध में टैरिफ को विनियमित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निजी स्वामित्व या नियंत्रित विद्युत उत्पादनकारी कंपनियों के टैरिफ को विनियमित करना है, यदि इस प्रकार उत्पादनकारी कंपनी एक राज्य से अधिक में विद्युत की बिक्री और उत्पादन के लिए समन्वित योजना में प्रवेश करती है या अन्यथा इस रखती है, और विद्युत की अंतराज्यिक पारेषण का विनियमन; अनुज्ञप्ति को जारी करना; विद्युत उत्पादनकारी कंपनियों के विवादों को अधिनिर्णित करना; अधिनियम के प्रयोजन के लिए फीस की उगाही करना; ग्रिड कोड को विनिर्दिष्ट किया जा सके और राष्ट्रीय विद्युत नीति को तैयार करने पर केन्द्रीय सरकार को सलाह दी जा सके विद्युत उद्योग आदि में निवेश के उन्नयन, टैरिफ नीति का निर्माण करना है।

1. केविविआ निधि

(i) केविविआ निधि तथा आयोग (निधि का गठन और उपयोजन की निधि) तथा बजट का प्रारूप एवं तैयारी के लिए समय नियम 2007 के अनुसार इन निधियों में अधिनियम की धारा 98 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय आयोग को दिए गए किसी भी अनुदान और ऋणों को शामिल किया जाता है जिसमें अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय आयोग द्वारा प्राप्त सभी फीस, समय समय से केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्णय के अनुसार केन्द्रीय आयोग द्वारा या अन्य स्रोत्रों से प्राप्त अन्य रकम में शामिल हैं। केन्द्रीय आयोग स्थापना से संबंधित और अन्य व्ययों की पूर्ति के लिए अपने वार्षिक बजट के लिए इन निधियों से रकम रिलीज करने की मांग करेगा।

(ii) केविविआ निधि नियमावली के अनुसार भारत के लोक लेखा के अधीन एक निधि खाता खोला गया है जो गैर व्यपगत और गैर ब्याज वहन खाता होगा। वर्ष 2012–13 के दौरान 68.75 करोड़ रू (पूववर्ती वर्ष में 52.22 करोड़ रूपए) केविविआ निधि में जमा किए गए हैं और विद्युत मंत्रालय(एमओपी) ने केविविआ के स्थापना व्यय की पूर्ति के लिए निधि से 25.06 करोड़ रूपए की रकम (पूववर्ती वर्ष में 31.48 करोड़ रूपए) रिलीज की जिससे 31.3.2013 को केविविआ निधि (भारत के लोक लेखा) में 81.5 करोड़ रूपए का शेष रह गया। विद्युत मंत्रालय ने भारत के लोक लेखा के अंतर्गत रखी गई केविविआ निधि से रिलीज रकम को अनुदान सहायता के रूप में माना। अध्यक्ष, केविविआ ने मामले को भारत के लोक लेखा के अंतर्गत रखी जा रही केविविआ की निधियों से आहरण रूप में और सेबी फंड निधियों के अनुसार केविविआ निधियों के संवितरण एवं परिचालन, रखरखाव के रूप में विद्युत मंत्रालय द्वारा निधियों को रिलीज करने के संव्यवहार के लिए विद्युत मंत्रालय के सचिव के साथ उठाया। इसके उत्तर की प्रतीक्षा मंत्रालय से की जा रही है।

(iii) चालू वर्ष के दौरान 65.35 करोड़ रूपए (पूववर्ती वर्ष में 31.72 करोड़ रूपए) की रकम की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आय केविविआ निधि खाता (तुलन पत्र की अनुसूची 2) को अंतरित की गई थी और 31.31 करोड़ रूपए (पूववर्ती वर्ष से आगे ले जाई गई 6.25 करोड की अव्ययित बकाया सहित) को चालू वर्ष के लिए व्यय की पूर्ति के लिए केविविआ निधि (पूववर्ती वर्ष में 31.48 करोड़ रूपए) से रिलीज किया गया था। इसमें से 4.50 करोड़ रूपए की बचत (पूववर्ती वर्ष में 6.25 करोड़ रूपए) को केविविआ निधि में वापिस अंतरित किया गया है।

2. पूंजी प्रतिबद्धता

गैर निष्पादित कार्यो के संबंध में 31 मार्च 2013 को 3.26 करोड रूपए (पूववर्ती वर्ष में 4.5 करोड़ रूपए) की पूंजी प्रतिबद्धता रही।

3. पट्टा दायित्व

वाहनों के लिए वित्त पट्टा व्यवस्थाओं के अंतर्गत किरायों के लिए भावी दायित्व की राशि 32.18 लाख रूपए (पूर्ववर्ती वर्ष में 28. 20 लाख) रही।

4. नियत आस्तियां

(i) नियम आस्तियां (अनुसूची 4) में 3 लैपटाप शामिल हैं जो पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान गुम हुए थे और यह निर्णय लिया गया (मई, 2013) कि संबंधित कर्मियों से लैपटॉप की लागत वसूल की जाए। आवश्यक संशोधन/समायोजन धन की वसूली होने पर वार्षिक लेखों एवं नियत आस्ति रजिस्टर में किए जाएंगे।

(ii) वर्ष 2011–12 में भवनों में फर्नीचर एवं फिंटीग, मशीनरी एवं उपकरण और पौटिड प्लांट इत्यादि की खरीद की गई। लेखा परीक्षा की सिफारिशों पर इन वस्तुओं की समीक्षा की गई और आय एवं व्यय लेखा में पुनर्वर्गीकृत/स्थानान्तरित किया गया। वूडन पार्टिशन और फिक्चर जिन्हें भवन के रूप में वर्गीकृत किय गया था और 5 प्रतिशत की दर पर मूल्यह्रास किया गया है उन्हें पूंजी की तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव से 18.1 प्रतिशत की दर पर मूल्यह्रास किया गया है। पुन वर्गीकृत आस्तियों को लागू दरों पर पूंजी की तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव से मूल्यह्रास किया गया है। उन मदों को जो राजस्व किस्म की हैं आय एवं व्यय लेखा में पूर्णतः प्रभारित किया गया है। लेखा संव्यवहार में परिवर्तन के बाद 57.22 रूपए की रकम पूर्व अवधि व्यय के रूप में चालू वर्ष की आय एवं व्यय लेखा में प्रभारित की गई है।

(iii) 15 लाख रूपए का अग्रिम वर्ष 2008–09 में एनडीएमसी को दिया गया था और इसे चालू आस्ति के अंतर्गत प्रतिभूति जमा के रूप में दर्शाया गया था। अंतिम बिल की प्राप्ति को अनिर्णित रखते हुए आस्तियों को मई 2008 में कार्यो को पूरा होने की तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव से पूंजीबद्ध किया गया है और पूर्ववर्ती वर्ष के मूल्यह्रास को पूर्ववर्ती अवधि व्यय के लिए प्रभारित किया गया है।

(iv) चन्द्रलोक बिल्डिंग के भूतल पर मरम्मत का कार्य अप्रैल 2012 में पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि के द्वारा पूरा किया गया था। उनके विस्तृत अंतिम बिल की प्राप्ति को लंबित करते हुए इस व्यय को विस्तृत अंतिम बिल की प्राप्ति पर किसी प्रकार के समायोजनों, यदि कोई हैं, के अध्याधीन रखा गया है।

(v) 5000/– रू या उससे कम के मूल्य की नियत आस्तियों का पूर्णतया मूल्यह्रास के लिए लेखा नीति में परिवर्तन के बाद व्यय पर आय के घाटे का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं रहा है।

5. चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम

(i) प्रबंधन की राय में चालू आस्तियां ऋणों और अग्रिमों का कारोबार के सामान्य उपकरण में उनकी वसूली पर तुलन पत्र में दर्शायी गई न्यूनतम सकल रकम के बराबर होता है।

(ii) वर्ष 2010–11 के दौरान 16,91,875 रूपए के डिमांड ड्राफ्ट आयोग के रजिस्टर में खो गए और केविविआ के कर्मचारी द्वारा धोखे से इसका नगदीकरण करा दिया गया। पुलिस अधिकारी के पास इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी और उनके स्तर पर जांच की जा रही है। संबंधित कर्मी के विरुद्ध विभागीय जांच मार्च, 2013 में पूरी हो गई थी और दोषी कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया था। पुलिस जांच के निष्कर्षो को देखते हुए इस रकम को न तो आय के रूप में बुक किया

गया और न ही हानि के लिए (चुराए गए डिमांड ड्राफ्ट) प्रावधान को लेखा बहियों में किया गया।

(iii) चालू आस्तियों में बैंकों के पास फेलैक्सी जमा राशियों में रखी गई निधियां भी शामिल है जिन्हें निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

6. कराधान

आयकर अधिनियम 61 की धारा 10 (23) (खखछ) के अनुसार आयोग की आय को आयकर से छूट प्राप्त है।

7. देयताओं के लिए प्रावधान

वार्षिक लेख लेखांकन के उपचित आधार पर होते हैं। तदनुसार बकाया देयताओं, सांविधिक दायित्वों जैसे पेंशन और छुट्टी वेतन, अंशदान, सीपीएफ/ईपीएफ समरूप अंशदान लेखा परीक्षा फीस आदि के लिए प्रावधान किया गया है और उस लेखाओं में प्रदर्शित किया गया है।

8. अनुसूची 1 से 11 को 31 मार्च 2013 के अनुसार तुलनपत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा के अभिन्न भाग के रूप में अनुबद्ध किया गया है।

9. पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ो को, जहां कही भी आवश्यक हो, पुनःसमूहित एवं पुनः व्यवस्थित किया गया है।

हस्ता.
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता.
सचिव

केन्द्रीय विधुत विनियामक आयोग 31 मार्च, 2013 को समाप्त अवधि के लिए प्राप्तियां और आस्तियां

(₹ लाखों में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष 2012-13	पूर्व वर्ष 2011-12	भुगतान	चालू वर्ष 2012-13	पूर्व वर्ष 2011-12
1. आरंभिक अतिशेष के लिए			1. खर्चों द्वारा		
			(क) स्थापना खर्च		
(क) हाथ में नकदी	**0.10**	0.10	(i) वेतन (आयोग के अध्यक्ष और सदस्य)	**157.50**	162.75
(ख) बैंक अतिशेष			(ii) वेतन (अधिकारी और स्थापना)	**215.68**	214.78
(i) चालू खातों में:			(iii) भत्ते और बोनस	**199.23**	177.01
कारपोरेशन बैंक – चालू खाता	**17.59**	0.15	(iv)वृत्तिक और अन्य सेवाओं के लिए भुगतान	**400.81**	367.27
भारतीय स्टेट बैंक – चालू खाता	**-**	3.08	(v) छुट्टी नकदीकरण	**8.37**	11.10
			(ख) यात्रा खर्चे		
(ii) बचत खातों में:			(i) विदेश यात्रा	**72.37**	49.68
भारतीय स्टेट बैंक – बचत खाता	**-**	0.05	(ii) घरेलू यात्रा	**57.65**	54.17
कारपोरेशन बैंक – बचत खाता	**1327.53**	2702.60	**(ग) चिकित्सा और स्वास्थ्य देख रेख**	**27.95**	24.28
			(घ) अन्य स्थापना प्रभार		
2. सीईआरसी निधि से जारी	**2506.10**	3148.00	(i) नट्यूशन फीस/सीईए	**6.16**	7.15
			(ii) एलटीसी	**11.15**	6.17
3. आयोग की प्राप्ति के लिए			**(ड) भविष्य निधि में अंशदान**		
			(i) ईपीएफ/सीपीएफ में अंशदान		
(i) समाचारपत्रों की बिक्री	**0.11**	0.28	- सीपीएफ मैचिंग अंशदान	**2.89**	1.73
(ii) आयोग द्वारा फीस प्रभाग			- ईपीएफ मैचिंग	**36.01**	29.25
- फाइलिंग फीस	**471.00**	235.31	- एनपीएफ मैचिंग	**0.19**	-
- अनुज्ञप्ति फीस	**1825.97**	1013.79	**(च) अन्य निधियों में अंशदान**		
- टैरिफ फीस	**4052.14**	1754.19	**(छ) कर्मचारी कल्याण खर्चे**	**21.82**	15.01
- वार्षिक पंजीकरण शुल्क	**64.00**	40.00	**(ज) प्रशिक्षण खर्चे**	**2.83**	2.58
- जुर्माना	**32.50**	43.00			
(iii) प्रकीर्ण प्राप्तियां	**10.78**	0.18	2. प्रशासनिक खर्चों द्वारा		
(iv) अन्य प्राप्तियां (आरटीआई से)	**0.01**	0.00			
			(क) श्रम एवं प्रसंस्करण खर्चे	**135.70**	108.05
(v) ब्याज			**(ख) विधुत और ऊर्जा**	**30.95**	19.52
			(ग) मरम्मत और रखरखाव	**0.18**	0.35
(i) एफडीआर से ब्याज के लिए	**246.80**	89.79	**(घ) किराया, रेट और कर**	**813.66**	710.21
(ii) बचत खातों से ब्याज	**0.13**	26.68	**(ड) वाहन चलन और रख रखाव**		
			- टैक्सी भाड़े पर लेने का खर्च	**31.74**	31.48
			- चालन और रख रखाव	**9.92**	9.18

Contd...

(₹ लाखों में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष 2012-13	पूर्व वर्ष 2011-12	भुगतान	चालू वर्ष 2012-13	पूर्व वर्ष 2011-12
			(च) पोस्टेज, टेलीफोन और संसूचना प्रभार	**27.80**	27.98
			(छ) मुद्रण और स्टेशनरी	**17.64**	16.27
			(ज) यात्रा और प्रवहण	**2.91**	5.01
			(झ) संगोष्ठी/बैठकों के खर्चे	**7.19**	6.97
			(ञ) अभिदाय खर्चे	**37.91**	12.34
			(ट) अतिथि गृह खर्चे	**20.55**	19.79
			(ठ) लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक/विधिक फीस	**0.46**	0.52
4. **ऋण/जमा प्राप्तियां के लिए**			(ड) विज्ञापन और प्रचार	**68.07**	97.36
			(ढ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
(क) कर्मचारी से अग्रिमों की वसूली			- एएमसी ईपीबीएक्स	**0.92**	0.89
(i) मोटर कार/निजी कम्प्यूटर			- एएमसी फोटोकापी मशीन	**4.84**	3.91
अग्रिम	**0.62**	0.95	- एएमपी एयर कंडीशनर	**13.23**	3.33
(ii) स्कूटर/मोटर साइकिल अग्रिम	**0.14**	0.12	- बैंक प्रभार	**0.05**	0.08
(iii) अन्य अग्रिम (विनिर्दिष्ट करें)			- पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	**15.92**	26.47
- उत्सव	**0.24**	0.19	- प्रकीर्ण खर्चे	**0.06**	0.40
- अन्य वसूली	**0.97**	0.10	- जल प्रभार	**0.28**	3.34
			- सूचना प्रणाली – अनुज्ञप्ति फीस	**52.12**	29.08
(ख) आकस्मिक अग्रिमों की वसूली			- भवन मरम्मत एवं रख रखाव	**12.75**	17.71
(i) अन्य अग्रिम (खर्चे)	**0.56**	1.41	- कम्प्यूटर मरम्मत और रख रखाव	**4.06**	3.18
(ग) अन्य जमा			3. **किए गए निक्षेप**		
(i) प्रतिभूति जमा	**1.19**	0ण्47	(क) प्रतिभूति निक्षेप	**1.26**	85.68
			4. **(I) कर्मचारीवृंद को अग्रिम द्वारा**		
5. **विप्रेषण प्राप्तियों के लिए**			(क) मोटर कार/निजी कम्प्यूटर अग्रिम		
(क) लाइसेंस फीस	**0.55**	0.54	(ख) अन्य अग्रिम (खर्चे)	**5.43**	3.02
(i) केन्द्रीय सरकार कर्मचारी समूह			**(II) आकस्मिक अग्रिमों द्वारा**		
बीमा स्कीम (सीजीईआईएस)	**0.16**	0.17	(क) प्रदायकर्त्ता को अग्रिम	**0.20**	3.56
- ईपीएफ वसूली	**32.83**	28.83	**(III) अन्य द्वारा**		
- सीपीएफ मैचिंग अंशदान/ईपीएफ/					
जीएसएलआई/जीपीएफ/एनपीएस	**27.31**	22.92	(क) उत्सव अग्रिम	**0.26**	0.23
- डीटीई वसूली	**-**	0.43	(ख) प्रतिभूति निक्षेप प्रतिदाय	**0.02**	0.40
- एफटीई वसूली	**1.50**	0.04			

Contd...

(₹ लाखों में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष 2011-12	पूर्व वर्ष 2010-11	भुगतान	चालू वर्ष 2012-13	पूर्व वर्ष 2011-12
- एलटीसी वसूली	**0.42**	0.28	**(IV) समायोजन / विप्रेषण**		
- एचबीए वसूली	**1.33**	0.28	(क) प्रतिनिकधारियों से वसूला गया		
- कर्मचारीवृंद वेतन और डीए	**-**	0.04	जीपीएफ / सीपीएफ / ईपीएफ आदि / अग्रिम		
- प्राप्त उपदान	**3.38**	7.88	- विप्रेषित जीपीएफ वसूली	**23.57**	19.40
- चिकित्सा और स्वास्थ्य देखरेख वसूली	**-**	1.22	- विप्रेषित ईपीएफ वसूली	**32.69**	32.06
- प्राप्त पोस्टेज और टेलीफोन	**0.07**	0.07	- विप्रेषित सीपीएफ वसूली		2.54
- कंपेडियमों की बिक्री	**0.00**	0.46	(ख) लाइसेंस फीस	**0.55**	0.42
- अतिथि गृह प्रभार	**1.28**	1.10	(ग) आयकर (वेतन / गैर वेतन)	**141.02**	128.27
- कम्प्यूटर सुविधा वसूली	**0.47**	0.52			
- एफओआईआर / एफओआर / साफिर	**11.25**	8.10			
- वापस किया गया अभिदाय और सदस्यता फीस	**-**	0.53	(घ) सीजीईजीआईएस / सीईईआईएस / जीएसएलआई	**0.74**	0.81
- मुद्रण और स्टेशनरी	**-**	0.51	(ड) भवन निर्माण अग्रिम	**1.33**	0.86
- टीडीएस वसूली	**141.02**	127.86	(च) मोटर कार / कम्प्यूटर अग्रिम	**0.44**	0.77
- वापस किए गए कर्मचारीवृंद कल्याण खर्चे	**0.10**	0.18	(छ) स्कूटर / मोटर साइकिल अग्रिम	**0.14**	0.12
- पुस्तकें एवं पत्रिकाएं 'पूर्व प्रदत्त व्यय'	**-**	0.06	(ज) अन्य वसूलियां (एनपीएस)	**0.19**	0.10
- बैंक से वसूल आयकर	**-**	0.42			
- (6 मास से अधिक के लिए अतिशेध्य चैक)	**0.07**	-	**5. अंशदानों द्वारा**		
- आस्ति की बिक्री	**0.26**	-	(क) पेंशन	**8.83**	9.37
- वाहन चलन और रख रखाव	**0.18**	-	(ख) छुट्टी वेतन	**8.47**	9.89
- सीजीएचएस की वसूली	**0.06**	-	(ग) उपदान	**0.66**	1.58
- अनुज्ञप्ति फीस की वसूली (आवास लीज)	**0.14**	-			
		-	**6. नियत आस्तियां तथा प्रगति में संकर्म व्यय द्वारा**		
			(क) भवन	**40.61**	96.71
			(ख) फर्नीचर और फिटिंग्स	**5.42**	5.73
			(ग) मशीनरी और उपकरण	**31.97**	30.58
			(घ) पूजीगत डब्लूआईपी (रिम्स)	**54.85**	6.39
			7. अन्य द्वारा		
			(क) वापस ली गई फाइलिंग फीस	**4.00**	-
			(ख) वापस ली गई अनुज्ञप्ति फीस	**12.00**	

Contd...

(₹ लाखों में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष 2011-12	पूर्व वर्ष 2010-11	भुगतान	चालू वर्ष 2012-13	पूर्व वर्ष 2011-12
			8. अंतिम अतिशेष द्वारा		
			(क)हाथ में नकदी	**0.10**	0.10
			(ख)बैंक अतिशेष		
			(i) चालू खातों में :		
			कारपोरेशन बैंक – चालू खाता	**579.13**	17.59
			(ii) बचत खातों में :		
			स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – बचत खाता		0.01
			कारपोरेशन बैंक – चालू खाता	**421.46**	1327.53
			केन्द्रीय विधुत विनियामक आयोग को अंतरित निधियां (भारतीय लोक लेखा)	**6875.00**	5222.00
कुल	**10780.86**	9282.07		**10780.86**	9282.07

हस्ता.
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता.
सचिव

अनुबंध XI

आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारियों के ई-मेल आई डी और फोन नं.
(31.03.2013 के अनुसार)

/ अनुबंध-XI /

आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारियों के ई.मेल आईडी और फोन नम्बर (31.03.2013 के अनुसार)

आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारियों के ई–मेल आईडी और फोन नम्बर

	नाम	पदनाम	फोन न.	ई–मेल
	डॉ. प्रमोद देव	अध्यक्ष	23753911	chairman@cercind.gov.in
	एस. जयरमण	सदस्य	23753914	sjayaraman@cercind.gov.in
	वी.एस.वर्मा	सदस्य	23753912	vsverma@cercind.gov.in
	एम.दीन दयालन	सदस्य	23753913	mdayalan@nic.in
	राजीव बंसल	सचिव	23753915	rajiv.bansal@nic.in
	ए.के.सक्सेना	प्रमुख (इंजी)	23753917	chiefengg@cercind.gov.in
	एम.के.आनंद	प्रमुख (वित्त)	23753918	mkanand@nic.in
	डॉ जे.पी. पेन्यूले	प्रमुख सलाहकार (अर्थशास्त्र)	23353503	jppainuly@cercind.gov.in
	एस.सी. श्रीवास्तव	संयुक्त प्रमुख (इंजी.)	23353503	scshrivastava@cercind.gov.in
	त्रिलोचन राउत	संयुक्त प्रमुख (विधि)	23353503	trout@cercind.gov.in
	पी.के.अवस्थी	संयुक्त प्रमुख (वित्त)	23353503	pkawasthi@cercind.gov.in

	नाम	पदनाम	फोन न.	ई–मेल
	विजय मेंघानी	संयुक्त प्रमुख (इंजी.)	23353503	vmenghani@cercind.gov.in
	राहुल बनर्जी	वरिष्ठ सलाहकार (पावर मार्केट)	23353503	rbanerjee@cercind.gov.in
	सुशान्त के. चटर्जी	उप प्रमुख (वि.का.)	23753920	dcra@cercind.gov.in
	एच.टी. गांधी	उप प्रमुख (वित्त)	23353503	htgandhi@cercind.gov.in
	चंद्र प्रकाश	उप प्रमुख (इंजी.)	23353503	cprakash@cercind.gov.in
	वी. श्रीनिवास	उप प्रमुख (विधि)	23353503	v.sreenivas@nic.in
	पार्था सेन	उप प्रमुख (वित्त)	23353503	parthasen@cercind.gov.in
	विक्रम सिंह	उप प्रमुख (इंजी.)	23353503	vikramsingh@cercind.gov.in
	यू. आर. प्रसाद	उप प्रमुख (अर्थशास्त्र)	23353503	urprasad@cercind.gov.in
	अर्चना अहलावत	उप प्रमुख (प्र.सू.प्र)	23353503	dcmis@cercind.gov.in
	बी. श्रीकुमार	उप प्रमुख (विधि)	23353503	bsreekumar@cercind.gov.in
	राजीव पुष्करणा	उप प्रमुख (वित्त)	23353503	rpushkarna@cercind.gov.in
	देवेन्द्र सलूजा	सहायक प्रमुख (इंजी.)	23353503	dsaluja@cercind.gov.in

	नाम	पदनाम	फोन न.	ई–मेल
	सुकांता गुप्ता	सहायक प्रमुख (इंजी.)	23353503	sgupta@cercind.gov.in
	ए.वी. शुक्ला	सहायक प्रमुख (वित्त)	23353503	avshukla@cercind.gov.in
	प्रफुल्ल कुमार सिन्हा	सहायक प्रमुख (विधि)	23353503	prafullsinha@gmail.com
	डी मुरुगन	सहायक प्रमुख (वित्त)	23353503	dmurugan@cercind.gov.in
	विनोद एम	सहायक प्रमुख (वित्त)	23353503	vinodm@cercind.gov.in
	महेश गुप्ता	सहायक प्रमुख (लेखा)	23353503	mgupta@cercind.gov.in
	वैशाली राणा	सहायक प्रमुख (प्र.सू.प्र)	23353503	acmis@cercind.gov.in
	रामानुज डे	सहायक प्रमुख (कार्मिक एवं प्रशासन)	23753921	asstsecy@cercind.gov.in
	एम.एम. चौधरी	सहायक प्रमुख (वित्त)	23353503	mmchaudhari@cercind.gov.in
	राकेश शाह	सलाहकार (नवीकरणीय ऊर्जा)	23353503	rakesh.cerc@gmail.com
	टी. डी. पंत	न्यायपीठ अधिकारी	23353503	tdpant@cercind.gov.in
	तिलक राज	सहायक प्रमुख (वित्त)	23353503	traj@cercind.gov.in
	श्रीमती रितु रणदेवा	सहायक प्रमुख (विधि)	23353503	riturandeva@yahoo.in

उपाबंध–XII

संगठन चार्ट
केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग
(31.03.2013 को)

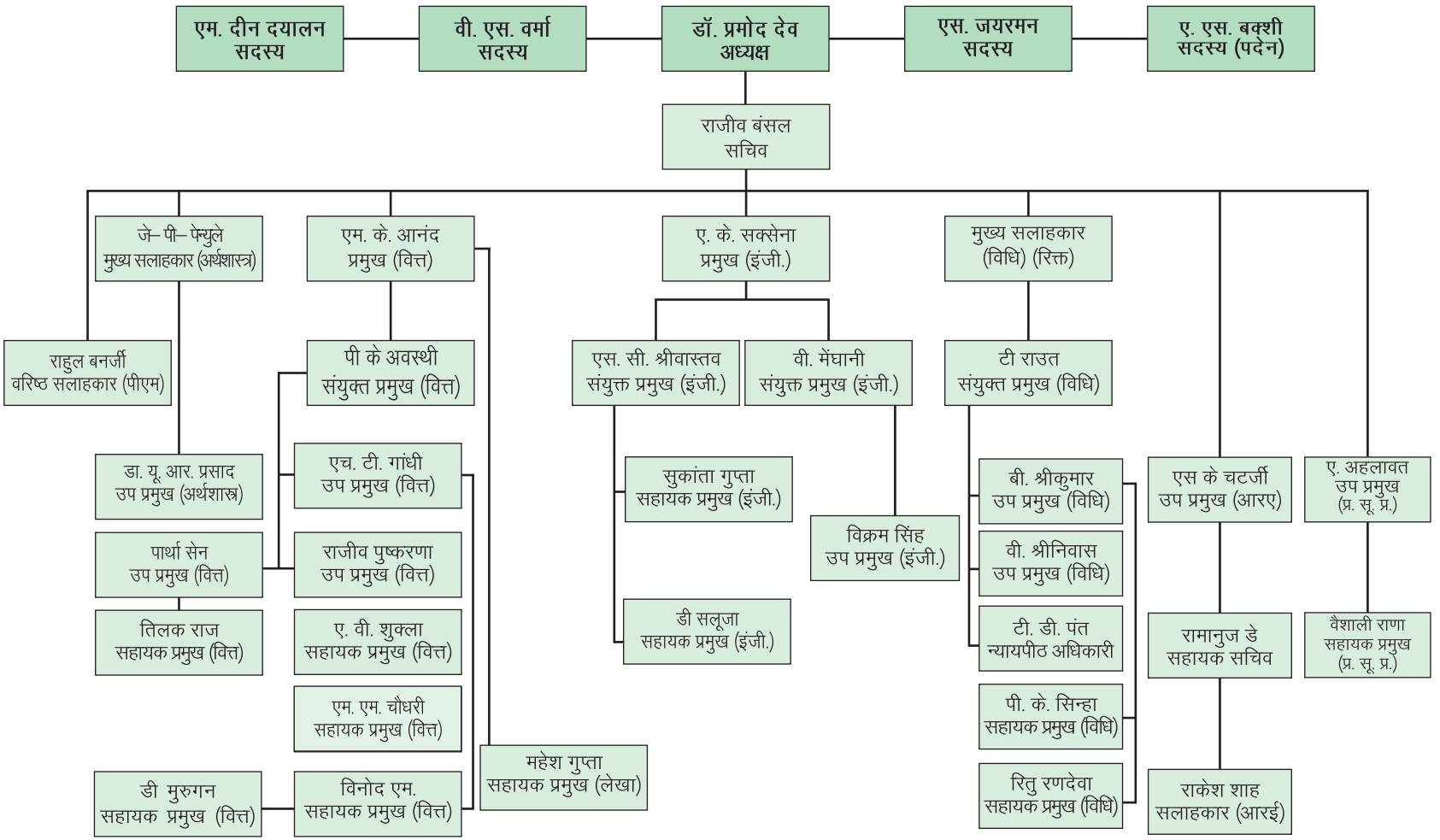

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
तीसरी तथा चौथी मंजिल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली–110001
फोन नं.: +91-11-23353503, फैक्स : +91-11-23753923, वेबासाइट : www.cercind.gov.in